



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17042021-226688
CG-DL-E-17042021-226688

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 130]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 16, 2021/चैत्र 26, 1943

No. 130]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 16, 2021/CHAITRA 26, 1943

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत अधिसूचना

अंतिम जांच परिणाम

नई दिल्ली, 16 अप्रैल, 2021

मामला संख्या: एडी-ओआई-06/2020

विषय: चीन जन.गण., कोरिया गण., मलेशिया, नेपाल, श्रीलंका और थाइलैंड के मूल के अथवा वहां से निर्यातित “कॉपर और कॉपर एलॉय फ्लैट रोल्ड प्रोडक्ट” के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच।

फा. सं. 6/7/2020-डीजीटीआर.—समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) तथा समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली या एडी नियमावली भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए;

क. मामले की पृष्ठभूमि

- निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें यहां आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) को दिनांक 19 फरवरी, 2020 को मै. अग्रवाल मेटल वर्क्स प्रा.लि. (जिसे यहां आगे “आवेदक” भी कहा गया है) की ओर से एक आवेदन प्राप्त हुआ है जिसमें चीन जन.गण., कोरिया गण., मलेशिया, नेपाल, श्रीलंका और थाइलैंड (जिन्हें यहां आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल के अथवा

वहां से निर्यातित “कॉपर और कॉपर एलॉय फ्लैट रोलड प्रोडक्ट” (जिसे यहां आगे “विचाराधीन उत्पाद या “पीयूसी” या “संबद्ध वस्तु” भी कहा गया है) के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया गया है।

2. प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर भारत के राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 20 अप्रैल, 2020 की अधिसूचना सं. 6/7/2020-डीजीटीआर द्वारा एक सार्वजनिक सूचना जारी की थी जिसमें ए डी नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9 के अनुसार संबद्ध जांच की शुरुआत की गई थी ताकि चीन जन.गण., कोरिया गण., मलेशिया, नेपाल, श्रीलंका और थाइलैंड के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के कथित पाटन की मौजूदगी मात्रा और प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और पाटनरोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश की जा सके जिसे यदि लगाया जाए तो घरेलू उद्योग को हुई कथित क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी।

ख. प्रक्रिया

3. इस जांच के संबंध में नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन किया गया है:

- i. प्राधिकारी ने उपर्युक्त नियम 5 के उप नियम (5) के अनुसार जांच की कार्यवाही की शुरुआत करने से पहले वर्तमान पाटनरोधी आवेदन पत्र प्राप्त होने के संबंध में भारत में संबद्ध देश के दूतावास को अधिसूचित किया।
- ii. प्राधिकारी ने भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित दिनांक 20 अप्रैल, 2020 की अपनी जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना द्वारा एक सार्वजनिक सूचना जारी की जिसमें संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरुआत की गई।
- iii. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(2) और 6(4) के अनुसार भारत में संबद्ध देश के दूतावासों, संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, ज्ञात आयातकों, आयातकों/प्रयोक्ता एसोसिएशनों, घरेलू उद्योग तथा अन्य घरेलू उत्पादकों और आवेदन में यथाउल्लिखित अन्य हितबद्ध पक्षकारों को दिनांक 20 अप्रैल, 2020 की जांच शुरुआत अधिसूचना की एक प्रति भेजी और उनसे विहित समय-सीमा के भीतर लिखित में अपने विचारों से अवगत कराने का अनुरोध किया।
- iv. प्राधिकारी ने उपर्युक्त नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों तथा भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों के जरिए उनकी सरकार को आवेदन के अगोपनीय अंश की प्रति उपलब्ध कराई।
- v. भारत में संबद्ध देश के दूतावासों से यह भी अनुरोध किया गया था कि वे अपने देश के निर्यातकों/उत्पादकों को सलाह दें कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर दें। संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों के नामों और पतों के साथ ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को पत्र और प्रश्नावली की एक-एक प्रति भेजी।
- vi. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनेक बार अनुरोध करने पर हितबद्ध पक्षकारों के लिए उनके उत्तर और अनुरोध प्रस्तुत करने हेतु समय बढ़ाया। 1 जलाई, 2020 के पत्र द्वारा समय-सीमा को 20 जुलाई, 2020 तक बढ़ाया गया था। दिनांक 20 जलाई, 2020 के पत्र द्वारा समय-सीमा को आगे 3 अगस्त, 2020 तक बढ़ाया गया था।
- vii. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार संगत सूचना मंगाने के लिए निम्नलिखित संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को निर्यातक प्रश्नावलियां भेजीं।

क्र.सं.	चीन जन.गण.	क्र.सं.	चीन जन.गण.
1.	मै. बुफाब फैशनर्स ट्रेडिंग (शंघाई) कं., लि.	2.	मै. जियांगशू सनयूआन एयरोस्पेस मैटीरियल
3.	मै. बीजिंग सीएन-एफटी जोवी टेक्नोलॉजी	4.	मै. एलजी इलैक्ट्रॉनिक्स इंक
5.	मै. चांगझोऊ पायोनीर इलैक्ट्रॉनिक कं. लि.	6.	मै. जियांगयिन कांगशेंड न्यू मैटीरियल कं.
7.	मै. एनन पावर टेक्नोलॉजी (शेनझेन) कं.	8.	मै. एलएस ग्लोबल इंक.
9.	मै. एएलबी (जियामेन) मैटीरियल कं. लि.	10.	मै. शंघाई टंकी एलॉय मैटीरियल कं. लि.
11.	मै. चुंग शुंग लेमिनेट्स (मकाओ कॉमर्शियल ऑफशोर)	12.	मै. निंगबो जिंगयेशेंगताई ग्रुप कं. लि.

13.	मै. चांगझोऊ चोंगयिंग साइंस एंड टेक्नो.	14.	मै. निंगबो जीकालोय कं. लि.
15.	मै. सीवेन मैटल मैटीरियल (शंघाई)	16.	मै. पावरवे एलॉय (हांगकांग) इंटरनेशनल ट्रेडिंग कं. लिमिटेड
17.	मै. चांगझोऊ फॉरन ट्रेड कॉपर	18.	मै. पावरवे एलॉय (हांगकांग) इंटरनेशनल ट्रेडिंग कं., लि.
19.	मै. बीजिंग सीएन-एफटी जोवी टेक्नोलॉजी एंड ट्रेडिंग कं. लि.	20.	मै. क्विंगडाओ डोंगया मैनुफैक्चरिंग कॉर्प
21.	मै. चाइना मैक्सकूल रेफरीजेशन ग्रुप लिमिटेड	22.	मै. शानडोंग जिनबाओ टैक-इनाव कारपोरेशन
23.	मै. काम्सकोप टेलीकम्यूनिकेशंस (चीन) कंपनी	24.	मै. शानडोंग जिन्दू इलेक्ट्रानिक मैटेरियल कं. लि०
25.	मै. कावमी इंजीनियर्ड फिल्मस झांगजियांग कं. लि.	26.	मै. शंघाई नान्या कॉपर क्लैड लैमिनेट कं., लि०
27.	मै. डोंगगुआन हेजु प्रीसीजन इलेक्ट्रानिक	28.	मै. शाओजिंग माक इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कं. लि०
29.	मै. डोंगगुआन हुआजी इनविरोनमेंटल प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी लि०	30.	मै. शंघाई सुनबी सोलर टेक्नोलॉजी कंपनी
31.	मै. डोवा एडवांस्ड मैटेरियल (शंघाई) कं. लि०	32.	मै. शंघाई यूनिफ एलॉय कं. लि०
33.	मै. इटरनल मैटेरियल्स कं., लि०	34.	मै. सेंझेन जिंगशेंगटोंग ट्रेड कंपनी लि०
35.	मै. फोशन टोंगबाओइमहुआ स्पेशल मेटल कं. लि०	36.	मै. शंघाई जिन्ये मेटल मैटेरियल
37.	मै. फाल्को इलेक्ट्रानिक जियामेन कं. लि०	38.	मै. टोंगलिंग नॉनफेरस मेटल्स ग्रुप कं., लि०
39.	मै. फुकुरावा सांग्यो शंघाई कं. लि०	40.	मै. सेनिडर इलेक्ट्रिक (जियामेन)
41.	मै. ग्लोबलिक ओवरसीज (एच.के.) लि०	42.	मै. तियानजिन यिनयिन इंटरनेशनल कं. लि०
43.	मै. गुआंगडिलांगटाई इलेक्ट्रानिक एससीआई. टेक. कं. लि.	44.	मै. टोंगलिंग जिन्वी कॉपर कारपो.
45.	मै. गोल्डेनमैक्स इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी	46.	मै. टिबिया शेनयांग ट्रान्सफार्मर ग्रुप कं. लि०
47.	मै. हीरो सेल लैमिनेट्स ग्रुप लि०	48.	मै. टूल पीक्स इंडस्ट्रीज लि०
49.	मै. कुन्शान एचबीटी वायर कटिंग पार्ट्स कं. लि०	50.	मै. बुक्सी चिफेंग मेटल प्रोडक्ट कं. लि०
51.	मै. हांगकांग एलजी-विक्टरी टेक्नोलॉजी लि०	52.	मै. बुक्सी स्वेक टेक्नोलॉजी कं. लि०
53.	मै. हांगकांग एनहिंग कं. लि.	54.	मै. जियान टेलीसन न्यू मैटेरियल्स कं.
55.	मै. हुझोऊ झोंगीलियान इम. एंड एक्स. कं. लि०	56.	मै. योंग मेटल कं. लि०
57.	मै. हांगझोऊ यूएलॉय मैटेरियल कं. लि०	58.	मै. झेजियांग हुआझेंग न्यू मैटेरियल कं. लि०
59.	मै. हुझोऊ जिंगबीक एलॉय एलॉय टेक्नोलॉजी कं. लि०	60.	मै. झेजियांग युआनजी न्यू मैटेरियल टेक्नोलॉजी कं. लि०
61.	मै. जियाशान पीवीबी स्लाइडिंग बियरिंग कं. लि०	62.	मै. यॉर्क (गुआंगझोऊ) ए/सी. एंड रिफ्रिजेशन कं., लि०

63.	मै. जिन्हुआ बीहुआ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट	64.	मै. झेजियांग टिवनसेल इलेक्ट्रानिक टेक्नोलॉजी कंपनी लि०
65.	मै. इसोला लैमिनेट सिस्टम्स (सुझोऊ) कं. लि०	66.	मै. झेजियांग डोंगफेंग रेफ्रिजरेशन
67.	मै. जियांगसु रोडा इलेक्ट्रान मैटेरियल	68.	मै. झेजियांग बड़ा कॉपर इंडस्ट्री
क्र. सं.	कोरिया	क्र. सं.	कोरिया
1.	मै. गु कारपोरेशन	2.	मै. पूंगसान कारपोरेशन
3.	मै. ह्यूंडाई कारपोरेशन	4.	मै. ह्यूंडाई कारपोरेशन
5.	मै. जील इंडस्ट्रीयल कं. लि०	6.	मै. एलएस ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजीज कं. लि०
क्र. सं.	मलेशिया	क्र. सं.	मलेशिया
1.	मै. एसएनसी इंडस्ट्रीयल लैमिनेट्स एसडीएन बीएचडी	2.	मै. फुरूकावा सांग्यो कैशा (मलेशिया) एसडीएन बीएचडी
क्र. सं.	नेपाल	क्र. सं.	श्रीलंका
1.	मै. हुलास वायर इंडस्ट्रीयल लैमिनेट्स	1.	मै. सिम्मेट (पीवीटी)
क्र. सं.	थाईलैंड		
1.	मै. ओरियंटल कॉपर कं. लि०	2.	मै. सियाम पूंगसान मेटल कं., लि०

viii. इसके उत्तर में निम्नलिखित निर्यातकों/उत्पादकों ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया;

- क. मै. निंग्बो जिंग्येशेंगताई ग्रुप कंपनी लि०, चीन जन. गण.
- ख. मै. निंग्बो जिंग्येजिन्ताई न्यू इलेक्ट्रॉनिक मैटेरियल कंपनी लि०, चीन जन. गण.
- ग. मै. निंग्बो हांगझोऊ बे न्यू जोन कियांगताई मेटल मैटेरियल कंपनी लि०, चीन जन. गण.
- घ. मै. ह्यूंडाई कारपोरेशन, कोरिया गण.
- ड. मै. पूंगसान कारपोरेशन, कोरिया गण.
- च. मै. हुलास वायर इंडस्ट्रीज लि०, नेपाल
- छ. मै. लुवाता मलेशिया एसडीएनबीएचडी मलेशिया
- ज. सिम्मेट प्रा० लि०, श्रीलंका
- झ. मै. सियम पूंगसान मेटल कंपनी, लि०, थाईलैंड
- ix. निम्नलिखित हितबद्ध पक्षकार ने पंजीकरण हेतु एक पत्र प्रस्तुत किया है।
- क. मै० जील इंडस्ट्रीयल कंपनी लि० (कोरिया)

- x. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना मंगाते हुए भारत में संबद्ध वस्तु के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को आयातक प्रश्नावलियां भेजीं।

क्र. सं.	आयातक/उपभोक्ता	क्र. सं.	आयातक/उपभोक्ता
1.	मै. एबीबी इंडिया लि०	2.	मै. एंड्रिज हाइड्रो प्रा. लि.
3.	मै. अपार इंडस्ट्रीज लि०	4.	मै. एसियाटिक इलेक्ट्रिकल एंड स्विचगेर प्रा. लि.
5.	मै. एमेक्स रिसोर्सेज	6.	मै. अपलाइड इंजीनियरिंग सर्विसेज
7.	मै. अजंता प्रा० लि०	8.	मै. ऐसिन आटोमोटिव कर्नाटक प्रा० लि०
9.	मै. एडवांस केबल टेक्नोलॉजीस प्रा० लि०	10.	मै. बी. रमेश कुमार मेटल्स प्रा. लि.
11.	मै. भारत इलेक्ट्रानिक्स लि०	12.	मै. बीपीएल लि.
13.	मै. बीआईजी इलेक्ट्रॉनिक्स लि०	14.	मै. बानको प्रोडक्ट्स (इंडिया) लि०
15.	मै. बी. एस. इलेक्ट्रानिक्स प्रा० लि०	16.	मै० कनेक्ट वेल इंडस्ट्रीज प्रा० लि०
17.	मै. कांसोलीडेटेड कोइन कंपनी प्रा० लि०	18.	मै. क्राम्पटन ग्रीव्ज लि०
19.	मै. सीएम डब्ल्यू प्रेसिंग	20.	मै. सी एंड एस इलेक्ट्रिक लि०
21.	मै. सिप्सा टेक इंडिया प्रा० लि०	22.	मै. सीजी पॉवर एंड इंडस्ट्रीयल कल्यूशंस लि०
23.	मै. डी. के. इंटरप्राइज	24.	मै. डीएमसी ऑटोमोटिव प्रा० लि०
25.	मै. डी एम एस इलेक्ट्रानिक्स प्रा० लि०	26.	मै. डायनेमिट केबल्स लि०
27.	मै. इपोक्सी हाउस	28.	मै. एसेन डेंकी
29.	मै. एलिन इलेक्ट्रानिक्स लि०	30.	मै. एपीटोम कंपोनेंट्स लि०
31.	मै. एल्कॉन कंपोनेंट्स प्रा० लि०	32.	मै. एफसीआई ओएन कनेक्टर्स लि०
33.	मै. फ्रिक्शन मेटल फाइबर्स (इंडिया) प्रा० लि०	34.	मै. फाइबर होम
35.	मै. गर्ग इलेक्ट्रानिक्स	36.	मै. हाई-टेक रेसिस्टर्स प्रा० लि०
37.	मै. हाई-क्यू इलेक्ट्रानिक्स प्रा० लि०	38.	मै. केई इंडस्ट्रीज लि०
39.	मै. हैवेल्स इंडिया लि०	40.	मै. इन्डक्टोथर्म (इंडिया) प्रा० लि०
41.	मै. इंडो स्कोटल ऑटो पार्ट्स प्रा० लि०	42.	मै. इंटरप्लेक्स इलेक्ट्रानिक्स इंडिया प्रा० लि०
43.	मै. जय ऑटो कंपोनेंट्स लि०	44.	मै. जाक्वर एंड कंपनी प्रा० लि०
45.	मै. क्राम्स्की स्टंपिंग एंड मोल्लिंग इंडिया प्रा० लि०	46.	मै. केडीडीएल लि०
47.	मै. केस्टल इंडिया प्रा० लि०	48.	मै. लार्सेन एंड टुर्बो लि०
49.	मै. लेजर पॉवर एंड इन्फ्रा प्रा० लि०	50.	मै. लक्ष्मी मेटल एक्सचेंज
51.	मै. एलएस केबल इंडिया प्रा० लि०	52.	मै. एललोएड इलेक्ट्रिक एंड इंजी लि०
53.	मै. लक्ष्मी रिमोट (इंडिया) प्रा० लि०	54.	मै. लील इलेक्ट्रीकल्स लि०

55.	मै. मीनाक्षी मेटल इंपेक्स	56.	मै. मित्तल अपलीयांस लि०
57.	मै. मेटालेक्स स्टील स्ट्रिप्स प्रा० लि०	58.	मै. माइक्रोपैक लि०
59.	मै. मल्टी चैनल इंक	60.	मै. मिन्दारिका प्रा० लि०
61.	मै. मदरसन सुमी सिस्टम्स लि०	62.	मै. मोलेक्स इंडिया प्रा० लि०
63.	मै. मल्टीलाइन इलेक्ट्रानिक्स प्रा० लि०	64.	मै. मिन्डा सिल्का इंजीनियरिंग प्रा० लि०
65.	मै. मिन्डा साई लि०	66.	मै. एमएसएस इंडिया प्रा० लि०
67.	मै. मिन्डा कारपोरेशन लि०	68.	मै. एस मोलेक्स इंडिया प्रा० लि०
69.	मै. मोदीसन मेटल्स लि०	70.	मै. मल्टीमेटल्स लि०
71.	मै. ओ/ई/एन इंडिया लि०	72.	मै. ओम साई राम अलाय
73.	मै. प्रेस कॉप इंटरनेशनल (पी) लि०	74.	मै. पूना शिम्स प्रा० लि०
75.	मै. पोलिकैब वायर्स प्रा० लि०	76.	मै. पोलिकैब इंडिया लि०
77.	मै. प्राइड इम्पेक्स	78.	मै. राष्ट्रीय इस्पात निगम लि०
79.	मै. राजेन्द्र मेटल इंडस्ट्रीज	80.	मै. रोजलीन इंटरनेशनल
81.	मै. रेनाता प्रिजीसन कंपोनेट्स प्रा० लि०	82.	मै. एसएफओ टेक्नोलॉजीस प्रा० लि०
83.	मै. साल्जर इलेक्ट्रानिक्स लि०	84.	मै. शिवालिक बीमेटाल कंट्रोल्ल्स लि०
85.	मै. सिग्नम इलेक्ट्रोवेयर	86.	मै. शिगिनी टेक्नोआर्ट्स प्रा० लि०
87.	मै. स्पेस अपलीकेशनस सेंटर	88.	मै. शीदर इलेक्ट्रिक इंडिया प्रा० लि०
89.	मै. सिग्मा टेक्नोलॉजीस	90.	मै. शिल्पी केबल टेक्नोलॉजीस लि०
91.	मै. श्रीनिसंन्स वायरिंग सिस्टम्स प्रा० लि०	92.	मै. सोनिक टेक्नोलॉजी (इंडिया) इंक
93.	मै. सुजाना इंटरप्राइजेस	94.	मै. संधार हान सुंग टेक्नोलॉजीस प्रा० लि०
95.	मै. स्टरलाइट टेक्नोलॉजीस प्रा०	96.	मै. टेकसंस प्रा० लि०
97.	मै. टोरेट पावर लि०	98.	मै. टरमिनल टेक्नोलॉजीस (आई) प्रा० लि०
99.	मै. टे कनेक्टीविटी इंडिया प्रा० लि०	100.	मै. ट्राइटन वाल्वस लि०
101.	मै. एस टाइटन कंपनी लि०	102.	मै. ट्रांसफिक्स इंडिया प्रा० लि०
103.	मै. यूनीवर्सल केबल्स लि०	104.	मै. विनी कारपोरेशन प्रा० लि०
105.	मै. विसु मेटसोल	106.	मै. वीलैंड मेटल्स इंडिया प्रा० लि०
107.	मै. विप्रो जी हेल्थकेयर प्रा० लि०		

xi. इसके उत्तर में निम्नलिखित आयातकों/प्रयोक्ताओं ने आयातक प्रश्नावली का उत्तर दिया।

क. मै० एफसीआई ओईएन कनेक्टर्स लि०

xii. निम्नलिखित हितबद्ध पक्षकार ने टिप्पणियां प्रस्तुत कीं।

क. मै० एटी एंड एस इंडिया प्रा० लि०

- xiii. निम्नलिखित हितबद्ध पक्षकार ने पंजीकरण हेतु एक पत्र प्रस्तुत किया।
 क. मै. टरमिनल टेक्नोलॉजीज (आई) प्रा० लि०
- xiv. अधिकारी ने निम्नलिखित अन्य घरेलू उत्पादकों को जांच शुरूआत की अधिसूचना भेजी जिसमें उन्हें विहित ढंग और तरीके से प्राधिकारी को संगत सूचना देने के अनुरोध सहित जांच शुरूआत के बारे में सूचित किया गया।
 क. मै. ब्राइट मेटल्स
 ख. मै. गुप्ता मेटल शीट लि०
 ग. मै. कृष्ण इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज
 घ. मै. मित्तल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज
 ड. मै. राष्ट्रीय मेटल इंडस्ट्रीज
 च. मै. संधी मेटल यूनिट-1 (संधी ब्रादर्स (इंदौर) प्रा० लि०)
 छ. मै. सिंघल शीट्स एंड फोइल्स प्रा० लि०
- xv. किसी भी अन्य घरेलू उत्पादक ने वर्तमान जांच में न उत्तर दिया और न भाग लिया है।
- xvi. प्राधिकारी ने निम्नलिखित एसोसिएशनों को जांच शुरूआत अधिसूचना भी भेजी जिसमें उनके सभी सदस्यों को उनके अनुरोध/टिप्पणियां, यदि कोई हों, प्रस्तुत करने से आग्रह सहित जांच शुरूआत के संबंध में सूचित किया गया।
 i) इंडियन नॉन-फेरस मेटल मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन (आईएनएफएमएमए)
 ii) बॉम्बे मेटल एक्सचेंज लि० (बीएमई)
- xvii. सभी हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर इस अनुरोध के साथ अपलोड की गई थी कि सभी अन्य हितबद्ध पक्षकार अपने अनुरोध का एन सी वी ई-मेल करें क्योंकि वर्तमान वैश्विक महामारी के कारण सार्वजनिक फाइल भौतिक रूप में उपलब्ध नहीं थी।
- xviii. वर्तमान पाटनरोधी के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि (पी ओ आई) 1 जनवरी, 2019 से 31 दिसंबर, 2019 (12 माह) की है। क्षति विश्लेषण में 1 अप्रैल, 2016 – 31 मार्च, 2017, 1 अप्रैल, 2017 – 31 मार्च, 2018, 1 अप्रैल, 2018 – 31 मार्च, 2019 और पी ओ आई की अवधि शामिल है।
- xix. प्राधिकारी ने वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) और प्रणाली महानिदेशालय (डीजीएस) से पिछले तीन वर्षों और पी ओ आई के लिए संबद्ध वस्तु सौदावार आयात आंकड़े प्राप्त किए और सौदों की आवश्यक जांच के बाद आंकड़ों का विश्लेषण किया।
- xx. सामान्यतया स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों (जीएएपी) और पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-III के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर भारत में संबद्ध सामानों की उत्पादन लागत और निर्माण एवं बिक्री लागत के आधार पर क्षति रहित कीमत (जिसे आगे एनआईपी भी कहा है) निर्धारित की गई है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।
- xxi. आवेदक घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त सूचना का आवश्यक समझी गई सीमा तक केवल अध्ययन के जरिए सत्यापन किया गया था। केवल ऐसी सत्यापित सूचना पर आवश्यक सुधार, जहां लागू हो, के अनुसार अंतिम जांच परिणाम के प्रयोजनार्थ भरोसा किया गया है।
- xxii. उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा प्रदत्त सूचना का प्राधिकारी द्वारा आवश्यक समझी गई सीमा तक डेस्क सत्यापन किया गया था और इस अंतिम जांच परिणाम के प्रयोजनार्थ उस पर भरोसा किया गया है।

- xxiii. इस जांच की प्रक्रिया के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों पर उनके साक्ष्य द्वारा समर्पित होने की सीमा तक और वर्तमान जांच में संगत समझे जाने पर इस अंतिम जांच परिणाम में प्राधिकारी द्वारा उचित ढंग से विचार किया गया है।
- xxiv. प्रस्तावित पी सी एन पद्धति पर दिनांक 30 अप्रैल, 2020 की जांच शुरूआत अधिसूचना द्वारा टिप्पणियां आवंटित की गई थीं। विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त टिप्पणियों और अनुरोधों के आधार पर प्राधिकारी ने दिनांक 1 दिसंबर, 2020 के पत्र द्वारा अंतिम पी सी एन अधिसूचित किया।
- xxv. कोविड-19 के विश्वव्यापी प्रकोप तथा भारत सहित विभिन्न देशों द्वारा लागू परिणामी प्रतिबंधों के कारण प्राधिकारी ने ए डी नियमावली के 6(6) तथा 10 अप्रैल, 2020 की व्यापार सूचना संख्या 01/2020 के अनुसार 16 फरवरी, 2021 की वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए मौखिक सुनवाई आयोजित की ताकि हितबद्ध पक्षकारों को वर्तमान संगत सूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष मौखिक रूप से प्रस्तुत करने का अवसर दिया जा सके। मौखिक सुनवाई में भाग लेने वाले सभी पक्षकारों को मौखिक रूप से व्यक्त विचारों और उसके बाद खंडन, यदि कोई हो, लिखित में प्रस्तुत करने की सलाह दी गई है। हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त ऐसे लिखित अनुरोधों और/या खंडन हो, में दिए गए तर्कों पर इस अंतिम जांच परिणाम के प्रयोजनार्थ आवश्यक सीमा तक विचार किया गया है।
- xxvi. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई थी। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने जहां आवश्यक हो, गोपनीयता के दावे को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उसका प्रकटन नहीं किया है। जहां संभव हो, गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से गोपनीय आधार प्रस्तुत सूचना के पर्याप्त अगोपनीय अंश प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था।
- xxvii. इस जांच में आवश्यक तथ्यों से संबंधित एक प्रकटीकरण विवरण, जो अंतिम जांच परिणामों का आधार होता, दिनांक 01.04.2021 को हितबद्ध पक्षकारों को जारी किया गया था और हितबद्ध पक्षकारों को दिनांक 08.04.2021 तक उन पर टिप्पणियां देने की अनुमति दी गई थी। हितबद्ध पक्षकारों से प्रकटीकरण विवरण पर प्राप्त टिप्पणियों पर इस अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना में आवश्यकता के अनुसार विचार किया गया है।
- xxviii. जहां कहीं भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच की प्रक्रिया के दौरान आवश्यक सूचना देने से मना किया या अन्यथा उसे प्रदान नहीं किया है अथवा जांच में अत्यधिक बाधा डाली है, वहां प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकारों को असहयोगी माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर यह प्रकटन विवरण किया है।
- xxix. इस अंतिम जांच परिणाम में *** हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई तथा प्राधिकारी द्वारा नियमावली के तहत गोपनीय मानी गई सूचना दर्शाते हैं।
- xxx. प्राधिकारी द्वारा पी ओ आई के लिए अपनाई गई विनिमय दर 1 अमेरिकी डॉलर = 71.34 रुपए है।

ग. विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) एवं समान वस्तु

4. जांच शुरूआत के स्तर पर विचाराधीन उत्पाद को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है :-

3. *विचाराधीन उत्पाद कॉपर के फ्लैट रोल्ड उत्पाद हैं जैसे कॉपर शीट, कॉपर प्लेटें, कॉपर स्ट्रिप्स, कॉपर फोइल तथा कॉपर या उसके एलाय के अन्य फ्लैटेंड रूपा। यह शीट के रूप में या फोइल के रूप में हो सकते हैं। विचाराधीन उत्पाद में जिंक या टिन के साथ परिष्कृत कॉपर या कॉपर एलाय शामिल हैं अर्थात् कॉपर-जिंक बेस एलाय (ब्रास) और कॉपर टिन बेस अलाय (फासफर ब्रॉज) अन्य सभी कॉपर एलाय पीयूसी के दायरे से बाहर हैं।*
4. *कॉपर फ्लैट रोल्ड उत्पादों का प्रयोग विद्युत वितरण, विद्युत और विद्युत स्विचर तथा यंत्रों ऑटोमोबाइल टर्मिनल कनेक्टर और ऑटोमोटिव इलेक्ट्रानिक्स, सैनेरिंग फिटिंग रेडिएटर और हीट एक्सचेंजर तथा चाबियों और तालों, बटन और जिपर आदि में होता है।*

5. *संबद्ध उत्पादों को अधिनियम अध्याय के शीर्ष 74 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। यद्यपि उत्पाद का विहित वर्गीकरण 74091100, 74091900, 74092100, 74092900, 74093100, 74093900, 74094000, 74099000 है। तथापि, विचाराधीन उत्पाद को 74101100, 74101200 के अंतर्गत भी आयातित किया गया है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।*

ग.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

5. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:-

- i. विचाराधीन उत्पाद (पी यू सी) कॉपर के फ्लैट रोल्ड उत्पाद हैं जैसे कॉपर शीट, कॉपर प्लेटें, कॉपर स्ट्रिप्स, कॉपर फोइल तथा कॉपर या उसके एलाय के अन्य फ्लैटेंड रूप। यह शीट के रूप में या फोइल के रूप में हो सकते हैं। इसे कॉपर या कॉपर एलाय के रूप में बनाया जा सकता है (कॉपर जिंक बेस अलाया (ब्रास) और कॉपर टिन बेस एलाय (ब्रॉज)) पीयूसी में परिष्कृत कॉपर या कॉपर एलाय की प्लेटें, शीटें, फोइल और स्ट्रिप्स, जो न मुद्रित हो न समर्पित हों, शामिल हैं।
- ii. विचाराधीन उत्पाद के लिए माप के विहित इकाई भार (एमटी) है।
- iii. यद्यपि उत्पाद का विहित वर्गीकरण 74091100, 74091900, 74092100, 74092900, 74093100, 74093900, 74094000, 74099000 है। तथापि, विचाराधीन उत्पाद को 74101100, 74101200 के अंतर्गत भी आयातित किया गया है। तथापि सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।
- iv. आवेदक ने निम्नलिखित उत्पादों के उत्पादन और बिक्री के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं।
 - क. कॉपर फोइल/स्ट्रिप्स/शीट जिनकी न्यूनतम मोटाई 0.03 एमएम से अधिकतम मोटाई 10.00 एमएम हो तथा अधिकतम चौड़ाई 450.00 एमएम से 610 एमएम शीटें हैं, अधिकतम चौड़ाई हो।
 - ख. ब्रास फोइल/स्ट्रिप्स/शीट जिनकी न्यूनतम मोटाई 0.04 एमएम से अधिकतम मोटाई 6.00 एमएम हो तथा न्यूनतम चौड़ाई 6.00 एमएम से अधिकतम चौड़ाई 610 एमएम हो।
 - ग. फासफर ब्रॉज फोइल/स्ट्रिप्स/शीट जिनकी न्यूनतम मोटाई 0.100 एमएम से अधिकतम मोटाई 3.00 एमएम हो तथा शीट में अधिकतम मोटाई - 4.00 एमएम और न्यूनतम चौड़ाई 6.00 एमएम हो।
- v. आवेदक पूर्व प्लेटेड स्ट्रिप्स का उत्पादन भी कर रहा है जिनमें टिन/निकिल प्लेटें हों और आक्सीजन मुक्त कॉपर फोइल/स्ट्रिप्स हो।
- vi. हाई एंड विशेष एलाय में कॉपर-टिन-जिंक के या तो लोहे या तो निकिल में मिश्रण या मैग्नीशियम में संयोजन का प्रयोग मुख्यतः आटो क्षेत्र में होता है, जो वर्तमान जांच का हिस्सा नहीं है। कॉपर-टिन-जिंक संयोजन वाले मिश्रण ही इस जांच का हिस्सा है। संबद्ध देशों का आयात पृथक्करण केवल उन उत्पादों के लिए किया गया है जो वर्तमान जांच का हिस्सा है।
- vii. इस उत्पाद को ड्रॉन प्रक्रिया या रोल्ड प्रक्रिया के जरिए उत्पादित किया जा सकता है। प्रक्रिया में भिन्नता से अलग उत्पाद नहीं बनता है। वह कानून और प्रक्रिया की उत्पादन प्रक्रिया में भिन्नता है तब तक वास्तविक नहीं है जब तक परिणामी उत्पाद अलग-अलग न हो। हितबद्ध पक्षकारों ने यह सिद्ध नहीं किया है कि विभिन्न प्रक्रियाओं के जरिए उत्पादित उत्पाद विभिन्न उत्पाद मापदंडों के आधार पर तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से भिन्न-भिन्न है।
- viii. सनवायर वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद का हिस्सा नहीं है और प्रतिवादी निर्यातक ने फ्लैट रोल्ड उत्पादों के लिए लागू एचएस कोड में उसका गलत ढंग से निर्यात किया है।

- ix. घरेलू उद्योग बिजली के अलावा पी एन जी का भी उपयोग कर रहा है। इस प्रकार निर्यातक घरेलू उद्योग की तुलना में संबद्ध वस्तु की सुविधा लागत के अनुसार इतने लागत कुशल नहीं है।
- x. आवेदक द्वारा उत्पादित वस्तु आयातित वस्तु के समान वस्तु है क्योंकि ये रासायनिक और तकनीकी विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया प्रौद्योगिकी कार्य और प्रयोग उत्पादन विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण की दृष्टि से तुलनीय हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। उपभोक्ता इनका एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर रहे हैं।
- xi. घरेलू उद्योग और संबद्ध देश के उत्पादकों द्वारा अपनाई गई प्रौद्योगिकी में कोई खास ज्ञात अंतर नहीं है।

ग.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

6. पी यू सी के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :-

- i. विचाराधीन उत्पाद का दायरा काफी व्यापक है और उत्पादों की व्यापक रेंज के समावेशन संबंधी समान वस्तु व मापदंडों को पूरा नहीं करता है जो अपने रासायनिक संगठन, विशेषताओं और अंतिम प्रयोग में भिन्न-भिन्न है और आवेदन ए डी नियमावली के नियम 2(घ) के आशय और प्रयोजन के विपरीत है।
- ii. निम्नलिखित उत्पादों को वर्तमान जांच के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए।
 - क. उच्च मूल्य के विशेष एलाय उत्पादों को बाहर रखा जाना चाहिए।
 - ख. 2.55 एमएम से अधिक मोटाई वाली कॉपर फोइल और 400 एमएम से अधिक चौड़ाई वाली कॉपर फोइल।
 - ग. 400 एमएम चौड़ाई से अधिक कॉपर फोइल और स्ट्रिप्स को पी यू सी के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए।
 - घ. 2.5 एमएम से अधिक मोटाई वाली ब्रास स्ट्रिप्स और फोइलों तथा 400 एमएम से अधिक चौड़ाई वाली ब्रास स्ट्रिप्स और फोइलें।
 - ङ. 0.2 एमएम से अधिक मोटाई वाली फासफर ब्रॉज स्ट्रिप्स और 380 एमएम से अधिक चौड़ाई वाली फासफर ब्रॉज स्ट्रिप्स।
- iii. सीयूजेडएन35 और सीयूजेडएन37 की विनिर्माण लागत में अंतर है। इसलिए इन दोनों को समान पी सी एन में नहीं रखा जाना चाहिए।
- iv. सनवायर का पाटन नहीं हो रहा है और इसलिए इसे बाहर रखा जाना चाहिए।
- v. टिन प्लेटेड कॉपर एलाय और आक्सीजन मुक्त कापर का भारत में कोई प्रतिस्थापन नहीं और ये घरेलू विनिर्माताओं द्वारा उत्पादित नहीं होते हैं। इनमें अपनी स्वयं की निर्माण प्रक्रिया, अनुप्रयोग प्रक्रिया और गुणवत्ता अपेक्षित होती है और इसलिए विचाराधीन उत्पाद के दायरे से उन्हें बाहर रखा जाए।
- vi. चीन के आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आपूर्ति की गई संबद्ध वस्तु टेम्पर, ग्रेन आकार और गुणवत्ता संगतता प्लेटिंग के लिए सतह फिनिश की महत्वपूर्ण होने की दृष्टि से काफी बेहतर हैं।
- vii. उत्पाद अपवर्जन, के प्रयोजनार्थ पी यू सी में सहनशीलता सीमा को परिभाषित किया जाना चाहिए। घरेलू उत्पादक ± 0.10 एमएम की चौड़ाई टोलरेंस अपेक्षा की आपूर्ति करने में सक्षम हैं। बल्कि वे ± 0.10 एमएम चौड़ाई सहनशीलता का उत्पादन करते हैं जो हमारे विशिष्ट प्रचालनों के लिए काफी अधिक है।
- viii. चीन के उत्पादक भारतीय उत्पादकों द्वारा प्रयुक्त ईंधन की तुलना में संबद्ध वस्तु के उत्पादन प्रक्रिया के दौरान ऊर्जा के रूप में तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) का प्रयोग करते हैं।
- ix. ड्रॉन कॉपर फ्लैट उत्पादों और फ्लैट रोलड कॉपर उत्पादों के बीच अंतर है। मै० लुवाता मलेशिया एसडीएनबीएचडी, भार, स्ट्रिप्स आदि के रूप में ड्रोन कॉपर फ्लैट उत्पादों का उत्पादन करती है। इन

दोनों की निर्माण प्रक्रिया बिल्कुल अलग है और अलग भौतिक विशेषताओं के कारण ये वाणिज्यिक रूप से आपस में परिवर्तनीय नहीं हैं। याचिकाकर्ता ड्रान कॉपर फ्लैट उत्पादों का उत्पादन नहीं करता है।

- x. भारत को मै० लुवाता मलेशिया एसडीएनबीएचडी एक्सपोर्ट फोटोवोल्टेक रिबन वायर (सनवायर) और इलेक्ट्रिकल पावर फ्लैट कॉपर प्रोडक्ट) का निर्यात करता है प्राधिकारी को इन दोनों उत्पादों को पी यू सी के दायरे से बाहर रखना चाहिए।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

7. विचाराधीन उत्पाद कॉपर के फ्लैट रोल्ड उत्पाद हैं जैसे कॉपर शीट, कॉपर प्लेटें, कॉपर स्ट्रिप्स, कॉपर फोइल तथा कॉपर या उसके एलॉय के अन्य फ्लैटेंड रूप। यह शीट के रूप में या फोइल के रूप में हो सकते हैं। विचाराधीन उत्पाद में जिंक या टिन के साथ परिष्कृत कॉपर या कॉपर एलाय शामिल हैं अर्थात् कॉपर-जिंक बेस एलाय (ब्रास) और कॉपर टिन बेस अलाय (फासफर ब्रॉज) अन्य सभी कॉपर एलॉय पीयूसी के दायरे से बाहर हैं।
8. विचाराधीन उत्पाद को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 74 के अंतर्गत टैरिफ मदों 74091100, 74091900, 74092100, 74092900, 74093100, 74093900, 74094000, 74099000 74101100, 74101200 के अधीन वर्गीकृत किया जाता है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।
9. इस दलील के संबंध में कि विचाराधीन उत्पाद का दायरा काफी व्यापक है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद को संबद्ध देशों से आयातों तथा घरेलू उद्योग में उत्पादन आपूर्ति की स्थिति को ध्यान में रखते हुए उचित ढंग से परिभाषित किया गया है।
10. इस तर्क के संबंध में कि उच्च मूल्य के विशेष एलाय उत्पादों को बाहर रखा जाना चाहिए। प्राधिकारी नोट करते हैं कि उच्च मूल्य वाले विशेष एलाय उत्पादों को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से पहले ही बाहर कर दिया गया है और इसलिए वे वर्तमान जांच के भीतर नहीं हैं।
11. इस तर्क के संबंध में कि घरेलू उद्योग कॉपर, ब्रास और फासफर ब्रॉज, फोइल, स्ट्रिप्स का कतिपय आयामों से बाहर उत्पादन नहीं करता है। प्राधिकारी निम्नानुसार नोट करते हैं:-
 - i. घरेलू उद्योग ने विक्री बीजकों के रूप में उनके द्वारा उत्पादित और बेचे गए आकार तथा विभिन्न प्रकार के उत्पादों के उत्पादन की उनकी क्षमता के बारे में ब्यौरे उपलब्ध कराये हैं।
 - ii. कतिपय आकार से बाहर के उत्पादों को शामिल नहीं करने की मांग करने वाले हितबद्ध पक्षकार ने यह दर्शाने के पर्याप्त साक्ष्य नहीं दिए हैं कि जिन आकारों को बाहर रखने की मांग की गई है। उन्हें वास्तव में भारत में आयात किया गया है और उन उत्पादों की मांग है तथा घरेलू उद्योग में ऐसे आकारों के उत्पादन में असमर्थता दर्शायी है।
 - iii. व्यापक रेंज के उत्पादों के अपवर्जन से हितबद्ध पक्षकारों को शुल्क की प्रवचना का अवसर मिल जाएगा।
12. विनिर्माण प्रक्रिया के अंतर के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रक्रिया में भिन्नता से भिन्न-भिन्न उत्पाद का उत्पादन होना आवश्यक नहीं है। हितबद्ध पक्षों ने यह सिद्ध नहीं किया है कि विभिन्न प्रक्रियाओं के जरिए उत्पादित उत्पाद तकनीकी या वाणिज्यिक रूप से अलग-अलग उत्पाद हैं। हितबद्ध पक्षकारों को विभिन्न उत्पाद मापदंडों के आधार पर सिद्ध करना चाहिए। उत्पाद तकनीकी या वाणिज्यिक रूप से अलग-अलग हैं। अलग-अलग विनिर्माण प्रक्रिया के बावजूद अंतिम उत्पादों में समान भौतिक विशेषताएं होती हैं और अंतिम प्रयोग या अनुप्रयोग समान हैं।
13. सीयूजेडएन35 और सीयूजेडएन37 की विनिर्माण लागत में अंतर के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि सीयूजेडएन35 और सीयूजेडएन37 के विनिर्माण लागत में अंतर पी ओ आई के दौरान तथा वर्तमान तारीख को तांबे और जिंक की औसत एलएमई कीमत के अनुसार दो प्रतिशत से कम है।
14. टिन प्लेटेड कॉपर एलाय और आक्सीजन मुक्त कॉपर को घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और बेचा जाता है और इसलिए इन उत्पादों को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर नहीं रखा जा सकता है।

15. फोटोवोल्टेक रिबन वायर (सनवायर) कॉपर वायर है और कॉपर फ्लैट रोल्ड उत्पाद नहीं है। तदनुसार, सनवायर वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद का भाग नहीं है।
16. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु और संबद्ध देशों से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से आयातित संबद्ध वस्तु भौतिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसी विशेषताओं की दृष्टि से तुलनीय हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु और संबद्ध देशों से आयातित विचाराधीन उत्पाद ए डी नियमावली के नियम 2(घ) के दायरे और अर्थ के भीतर समान वस्तु हैं।

उत्पादन लागत-कीमत तुलना के लिए अपनाई गई पीसीएन प्रणाली

17. प्रस्तावित पी सी एन पद्धति संबंधित टिप्पणियां दिनांक 20 अप्रैल, 2020 की जांच शुरूआत अधिसूचना द्वारा आमंत्रित की गई थीं। विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त टिप्पणियों और अनुरोधों के आधार पर प्राधिकारी ने 1 दिसंबर, 2020 के पत्र द्वारा अंतिम पी सी एन अधिसूचित किए।

1	स्थिति	ब्रास= 1 कॉपर = 2 फासफोर ब्रोज= 3
2	रूप	फोइल = 1 शीट/प्लेट = 2 स्ट्रिप= 3
3	ग्रेड	सीयूजेडएन 30-33, सीयूजेडएन 35-37, सीयूजेडएन 10, सीयूजेडएन 40, सीयूजेडएन 5, सीयूजेडएन 15, सीयूजेडएन 20, कॉपर, सीयूएसएन4, सीयूएसएन 5, सीयूएसएन 6, सीयूएसएन 8

घ. घरेलू उद्योग का दायरा और स्थिति

घ.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

18. घरेलू उद्योग के दायरे और स्थिति के संबंध में घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:-

- यह आवेदन मै० अग्रवाल मेटल वर्क्स प्रा० लि० द्वारा दायर किया गया और निम्नलिखित घरेलू उत्पादकों द्वारा समर्थित है।
 - मै. ब्राइट मेटल्स
 - गुप्ता मेटल शीट्स लि०
 - मै. कृष्ण इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज
 - मै. मित्तल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज
 - मै. राष्ट्रीय मेटल इंडस्ट्रीज
 - मै. संधी मेटल यूनिट-1 (संधी ब्रादर्स (इंदौर) प्रा० लि०)
 - मै. सिंघल शीट्स एंड फोइल्स प्रा० लि०

- ii. यह आवेदन संगठित क्षेत्र में सभी ज्ञात घरेलू उत्पादकों द्वारा समर्थित है। मै० गुप्ता मेटल शीट्स लि० और मै० राष्ट्रीय मेटल इंडस्ट्रीयल लि० के उत्पादन ब्यौरे घरेलू उद्योग की स्थिति के आकलन में शामिल थे।
- iii. ऐसे कुछ उत्पादक हैं जो असंगठित या बिखरे हुए क्षेत्र में हैं। इन उत्पादकों द्वारा उत्पादन पर कोई मात्रात्मक सूचना सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। उनके उत्पादन की मात्रा याचिकाकर्ता के अनुभव और बाजार के ज्ञान पर आधारित है।
- iv. आवेदक न तो भारत में किसी आयातक और न ही संबद्ध देशों में किसी निर्यातक से संबंधित हैं और उन्होंने संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है।
- v. किसी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सूचना के अभाव में आवेदक ने संगठित तथा असंगठित दोनों क्षेत्रों के उत्पादन पर विचार करते हुए बाजार आसूचना के आधार पर सकल घरेलू उत्पादन का अनुमान लगाया है। देश में तांबा और तांबा मिश्र धातु घरेलू उत्पादकों की एक एसोसिएशन इंडियन नॉन-फेरस मेटल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (आईएनएफएमएमए) और बॉम्बे मेटल एक्सचेंज लि० (बीएमई), जो भारत में गैर-लौह धातु व्यापार और उद्योग का शीर्ष निकाय है, प्राधिकारी को भारतीय उत्पादन के ब्यौरे उपलब्ध कराये हैं। आवेदक द्वारा सर्वोत्तम संभव साक्ष्य दिए गए हैं और प्राधिकारी का सत्यापन कर सकते हैं।
- vi. अन्य समर्थक घरेलू उत्पादकों ने आवेदक को संगत सूचना नहीं दी है और आवेदक के पास उन्हें बाध्य करने का कोई प्राधिकार नहीं है। समर्थक कंपनियों के लिए विहित प्रपत्र ऐसे समर्थक उत्पादकों के कार्य निष्पादन का केवल विश्लेषण करने के लिए है। ऐसी स्थिति में जहां समर्थित घरेलू उत्पादकों ने विहित प्रपत्र में सूचना नहीं दी है, प्राधिकारी ऐसे अन्य घरेलू उत्पादकों को संभावित क्षति की जांच नहीं कर सकते हैं।
- vii. आवेदक देश में संबद्ध वस्तु का सबसे बड़ा उत्पादक है और भारत में संबद्ध वस्तु के उत्पादन में उसका 25 प्रतिशत से अधिक हिस्सा है। याचिकाकर्ता ने संबद्ध देशों से उत्पाद का आयात नहीं किया है। आवेदक के पास भारत में कुल घरेलू उत्पादन का प्रमुख हिस्सा है और इसलिए वह घरेलू उद्योग है।

घ.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

19. घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं।

- i. याचिका में पी यू सी की कुल उत्पादन मात्रा और मूल्य के संबंध में कोई समग्र आंकड़े नहीं हैं। और याचिकाकर्ता का उत्पादन नहीं बताया गया है।
- ii. काफी संख्या में उत्पादक असंगठित क्षेत्र में हैं जिनके लिए आंकड़े एकत्रित नहीं हुए हैं। प्राधिकारी के लिए बाजार और याचिकाकर्ता की कुल उत्पादन मात्रा का सत्यापन करना जरूरी है।
- iii. आवेदक ने बाजार आसूचना के आधार पर सकल घरेलू उत्पादन का अनुमान लगाया है और किसी नामित या गैर नामित घरेलू उत्पादक के उत्पादन के आंकड़े के समर्थन के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया है।
- iv. आईएनएफएमएमए द्वारा कुल भारतीय उत्पादन से संबंधित आंकड़े रखे जाते हैं जो न तो आवेदक हैं न ही उसने याचिका दायर की है। यह बात यह याचिका में नहीं बतायी गई है। आईएनएफएमएमए द्वारा प्रदत्त आंकड़ों में कोई समर्थक दस्तावेज नहीं है।
- v. आवेदक का उत्पादन प्रमुख हिस्सा बनाने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है। प्राधिकारी को पी यू सी के कुल घरेलू उत्पादन का अनुमान लगाना चाहिए और आकलन करना चाहिए कि क्या याचिकाकर्ता का उत्पादन प्रमुख हिस्सा बनता है।
- vi. आवेदक सभी ज्ञात घरेलू उत्पादकों द्वारा समर्थित है, परंतु याचिकाकर्ता के अगोपनीय अंश में घरेलू उद्योग के संबंध में कोई आंकड़े नहीं दिए गए हैं।

- vii. (क) मै० गुप्ता मेटल शीट्स लि० और (ख) मै० राष्ट्रीय मेटल इंडस्ट्रीज लि० के लिए कोई समर्थन पत्र संलग्न नहीं है और व्यापार सूचना 13/2018 दिनांक 27 सितंबर, 2018 में यथाविहित किसी सूचना का प्रकटन नहीं किया गया है।
- viii. कॉपर ट्यूबों और पाइपों के आयातों संबंधी एक समानांतर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क जांच में बाम्बे मेटल एक्सचेंज ने घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंडों संबंधी सूचना प्रदान की है। इसलिए उसे घरेलू उद्योग के मापदंडों संबंधी समस्त सूचना प्रस्तुत करनी चाहिए।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

20. नियमावली का 2(ख) घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित करता है: -

“घरेलू उद्योग” का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा उन उत्पादकों से है, जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है, परन्तु जब ऐसे उत्पादक कथित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं या वे स्वयं उसके आयातक होते हैं। ऐसे मामले “घरेलू उद्योग” शेष उत्पादकों को समझा जाएगा।

- 21. यह आवेदक मै० अग्रवाल मेटल वर्क्स प्रा० लि० द्वारा दायर किया गया है और संगठित क्षेत्र में निम्नलिखित प्रमुख घरेलू उत्पादकों द्वारा समर्थित है।
 - i. मै. ब्राइट मेटल्स
 - ii. मै. गुप्ता मेटल शीट लि०
 - iii. मै. कृष्ण इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज
 - iv. मै. मित्तल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज
 - v. मै. राष्ट्रीय मेटल इंडस्ट्रीज
 - vi. मै. संघी मेटल यूनिट-1 (संघी ब्रादर्स (इंदौर) प्रा० लि०)
 - vii. मै. सिंघल शीट्स एंड फोइल्स प्रा० लि०
- 22. चूंकि भारतीय उत्पादन के संबंध में कोई ठोस सूचना किसी एसोसिएशन या किसी एजेंसी द्वारा न तो संकलित और न तो उपलब्ध हैं, जो सार्वजनिक सूचना में उपलब्ध हो, इसलिए वर्तमान मामले के विभिन्न तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए प्राधिकारी ने भारत में कुल उत्पादन और आवेदक की स्थिति को जांच शुरूआत के स्तर पर निर्धारित करने के प्रयोजनार्थ उपलब्ध सूचना पर भरोसा करना उचित माना था।
- 23. विचाराधीन उत्पाद के उत्पादक संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में हैं। किसी भी घरेलू उत्पादक ने आवेदक द्वारा किए गए दावे का विरोध नहीं किया है।
- 24. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह वांछनीय है कि आवेदन का कोई समर्थक व्यापार सूचना 13/2018 में विहित प्रपत्र में वांछित सूचना प्रदान करे। समर्थक घरेलू उत्पादकों के लिए व्यापार सूचना 13/2018 में प्राधिकारी द्वारा विहित सूचना प्राधिकारी को यह सुनिश्चित करने में सक्षम बनाती है कि क्या समर्थक घरेलू उत्पादकों को भी क्षति हुई है। चाहे उन ऐसे घरेलू उत्पादकों को घरेलू उद्योग के रूप में शामिल नहीं किया गया हो। तथापि, ऐसी स्थिति में जहां समर्थक घरेलू उत्पादकों ने विहित प्रपत्र में संगत सूचना प्रदान नहीं की हो, परन्तु फिर भी आवेदन का समर्थन किया हो, प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऐसे समर्थकों को आवेदक द्वारा प्रस्तुत याचिका का विरोधी नहीं माना जा सकता है।
- 25. आवेदक देश में संबद्ध वस्तु का सबसे बड़ा उत्पादक वह भारत में किसी आयातक या संबद्ध देशों में किसी निर्यातक से संबंधित नहीं है और उसने संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है।
- 26. प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति संबंधी समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने वाले आवेदक घरेलू उद्योग का उत्पादन जांच की शुरूआत अब उसके बाद के स्तर पर भी भारतीय उत्पादन का प्रमुख हिस्सा बनता है।

घरेलू उद्योग की स्थिति	2016- 17	2017- 18	2018- 19	जांच की अवधि
मै. अग्रवाल मेटल्स	***	***	***	***
अन्य घरेलू उत्पादक	***	***	***	***
कुल घरेलू उत्पादन	***	***	***	***
घरेलू उद्योग का हिस्सा	***	***	***	***
घरेलू उद्योग का हिस्सा (रेंज %)	35-45	35-45	35-45	35-45

27. रिकार्ड में साक्ष्य दर्शाते हैं कि आवेदक के पास भारत में कुल घरेलू उत्पादन का प्रमुख हिस्सा है। इसके अलावा, आवेदक के पास अकेले कुल भारतीय उत्पादन का 35-45 प्रतिशत हिस्सा है। तदनुसार, प्राधिकारी मानते हैं कि आवेदक नियमावली के नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग है और यह समझते हैं कि आवेदन नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार स्थिति संबंधी मापदंडों को पूरा करता है।

ड. गोपनीयता

ड.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

28. गोपनीयता के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :-

- आवेदक ने ए डी नियमावली के नियम 7 के अनुसार और व्यापार सूचना संख्या 10/2018 दिनांक 7 सितंबर, 2018 के अनुसार आवेदन के अगोपनीय अंश में समस्त अनिवार्य सूचना का प्रकटन किया है।
- जहां संभव हो, सूचीबद्ध सूचना दी गई है। क्षति विश्लेषण अनिवार्य रूप से उस प्रवर्ती का विश्लेषण है जिसे आवेदन में प्रदत्त विभिन्न मापदंडों के जरिए आसानी से देखा जा सकता हो।
- हितबद्ध पक्षकारों ने पर्याप्त और संपूर्ण सूचना प्रस्तुत करने हेतु समय बढ़ाये जाने के बावजूद अगोपनीय अंश में बिल्कुल अधूरा उत्तर प्रस्तुत किया है। उनका इरादा जांच में बाधा डालना है और शीघ्र निर्धारण हेतु आवश्यक आंकड़े प्रदान नहीं करना है। ए डी नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत उत्तर को अस्वीकृत किया जाना चाहिए और असहयोगी घोषित किया जाना चाहिए।
- घरेलू उद्योग ने याचिका के अगोपनीय अंश और अद्यतन आंकड़ों सहित गोपनीयता के अपने दावे के लिए औचित्य बताया है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने व्यापार सूचना के अनुपालन में तालिका भी प्रस्तुत की है।
- आवेदक एक मात्र कंपनी है और अत्यधिक व्यापार संवेदी प्रकृति की वास्तविक सूचना के प्रकटन से प्रतिस्पर्धियों को अत्यधिक प्रतिस्पर्धी लाभ मिल जाएगा और इससे आवेदक के हित गंभीर रूप से प्रभावित होंगे। आवेदक ने केवल उसी सूचना के गोपनीय होने का दावा किया है जिसकी गोपनीयता की कानून में अनुमति है।

ड.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

29. गोपनीयता के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किया गया है:-

- व्यापार सूचना संख्या 10/2018 के उल्लंघन में याचिका में अत्यधिक गोपनीयता की अनुमति दी गई है। एकल कंपनी होने के नाते आवेदक ने अनेक मापदंडों को गोपनीय माना है जैसे अन्य उत्पादकों के उत्पादन की मात्रा और मूल्य, सामान्य मूल्य के देश-वार अनुमान, एन आई पी निर्यातों की प्रति इकाई

बिक्री लागत और प्रति इकाई निर्यात तथा इसका कोई सही कारण नहीं बताया है। घरेलू उद्योग ने याचिका के भाग 6 के लिए सभी प्रश्नों पर भरोसा किया है, परंतु प्रपत्र ए से एल का अगोपनीय अंश प्रदान नहीं किया है।

- ii. घरेलू उद्योग को पूरे बीजक व्यौरों के गोपनीय होने का दावा नहीं करना चाहिए। प्राधिकारी को इस बात की जांच करनी चाहिए कि क्या उन उत्पादों को वाणिज्यिक मात्रा में उत्पादित किया और बेचा जाता है।
- iii. प्रतिवादी ने इसी सूचना के व्यापार संवेदी होने की सीमा तक गोपनीयता का दावा किया है और उसे सारांशीकरण या सूचीबद्ध बनाने के लिए व्यवहार्य नहीं माना है।

ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

30. सूचना की गोपनीयता के संबंध में पाटन-रोधी नियमावली के नियम 7-में निम्नानुसार व्यवस्था है:-

(1) नियम 6 के उपनियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।

31. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीयता के दावों की जांच की है और संतुष्ट होने पर गोपनीयता के दावों की अनुमति दी है। प्राधिकारी मानते हैं कि कोई सूचना जो संभावित रूप से गोपनीय हो या जिसे किसी जांच में पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर सही कारण बताकर दिया गया हो, उसे गोपनीय माना जाना चाहिए। ऐसी सूचना का उसे देने वाले पक्षकार की स्पष्ट अनुमति के बिना प्रकटन नहीं किया जा सकता है।

32. प्राधिकारी ने आवेदक और विरोधी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए गोपनीयता के दावों पर विचार किया है और उनसे संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने गोपनीयता के दावों की अनुमति दी है। सभी हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची इस अनुरोध के साथ डीजीटीआर की वेबसाइट पर डाली गई है कि सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उनके अनुरोधों के एन सी वी ई-मेल किए जाएं क्योंकि वर्तमान वैश्विक महामारी के कारण सार्वजनिक फाइल भौतिक रूप से उपलब्ध नहीं की थी।

च. विविध अनुरोध

च.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

33. घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं :-

- i. विचाराधीन उत्पाद के घरेलू उत्पादक संगठित और असंगठित दोनों एमएसएमई क्षेत्र से संबंधित हैं और इसलिए उन्हें संगत सूचना जुटाने और आवेदन दायर करने के लिए घरेलू उद्योग का हिस्सा बनने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है।

- ii. वर्तमान मामले में जांच पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में भारतीय नियमावली के नियम 5 और डब्ल्यू टी ओ के अनुच्छेद 5 की अपेक्षाओं को पूरा करने के बाद शुरू की गई थी।
- iii. वर्तमान मामले में आवेदक ने अप्रैल, 2018 से सितंबर, 2019 (18 महीने) की जांच अवधि प्रस्तावित की और विधिवत रूप से साक्षात्कृत आवेदन प्रस्तुत किया। लॉकडाउन के कारण जांच पी ओ आई के पांच महीने बीत जाने के बाद शुरू हुई जिसकी वजह से प्राधिकारी ने पी ओ आई को 1 जनवरी, 2019 से 31 दिसम्बर, 2019 (12 महीने) तक अद्यतन किया।
- iv. प्राधिकारी 6 महीने से 8 महीने के बीच पी ओ आई पर विचार कर सकते हैं और आवेदक द्वारा प्रस्तावित पी ओ आई को बढ़ा या संशोधित कर सकते हैं। तथापि, जांच शुरू करते समय प्राधिकारी ने पी ओ आई को अद्यतन बनाया ऐसा लगता है कि हितबद्ध पक्षकार को प्राधिकारी की परिपाटी की जानकारी नहीं है।
- v. प्रस्तावित पाटनरोधी शुल्क लागू होने से अंतिम उत्पाद पर कोई खास प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा और शुल्क लागू करना बृहत्तर जनहित में है। पाटनरोधी शुल्क लगाने से अंतिम उत्पाद की लागत में केवल 0.06 प्रतिशत-0.49 प्रतिशत तक की वृद्धि होगी।

च.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

34. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं :-

- i. आवेदक ने एक बहाना किया है कि उन्हें संगत सूचना जुटाने में कठिनाई हो रही है क्योंकि उत्पादक एमएसएमई क्षेत्र से संबंधित हैं।
- ii. जांच शुरूआत ए डी नियमावली के अनुच्छेद 5 की अपेक्षाओं के अनुपालन में नहीं हैं क्योंकि यह पी ओ आई में पाटन और क्षति के साक्ष्य पर आधारित नहीं है। वर्तमान पी ओ आई के दौरान आयातों में प्रस्तावित पी ओ आई की तुलना में गिरावट आई है और क्षति संबंधी मापदंड में भी भारी बदलाव आये हैं।
- iii. पी यू सी कीमत एल एम ई (लंदन मेटल एक्सचेंज) पर निर्भर है जो किसी उत्पादक के नियंत्रण से बाहर है और निर्यात कीमत/कीमत कटौती/कीमत ह्रास और पाटन मार्जिन के प्रयोजनार्थ केवल फैब्रिकेशन प्रभागों का विश्लेषण किया जाना चाहिए।
- iv. रिकार्ड में त्रुटियों में सुधार करने की जरूरत है। घरेलू उद्योग के अनुरोध में प्रदत्त विभिन्न गणनाओं में नेपाल से संबंधित आयात कीमत और मात्रा असंगत है। क्षति मार्जिन और कीमत कटौती की गणना में प्रदत्त आंकड़े जहां तक नेपाल का संबंध है, अनुरोधों में ही आयात विश्लेषणों और पाटन मार्जिन गणनाओं के लिए प्रदत्त आयात सूचना से मेल नहीं खाते हैं।

च.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

- 35. प्राधिकारी मानते हैं कि जांच की शुरूआत नियमावली के नियम 5 और डब्ल्यू टी ओ करार के अनुच्छेद 5 की अपेक्षा को पूरा करने के बाद की गई थी।
- 36. पी ओ आई की अवधि या जांच शुरूआत की तारीख से उसकी निकटता से संबंधित अनुरोध के बारे में प्राधिकारी नोट करते हैं कि मामले के लिए चुनी गई पी ओ आई जांच शुरूआत के समय की कानूनी स्थिति और प्राधिकारी द्वारा बनायी जा रही परिपाटी के अनुरूप है।
- 37. यह नोट किया जाता है कि वर्तमान मामले में आवेदन 19 फरवरी, 2020 को दायर हुआ था जिसकी जांच अवधि अप्रैल, 2018 – सितंबर, 2019 तक थी। देशव्यापी लॉकडाउन के कारण जांच की शुरूआत 20 अप्रैल, 2020 को हुई थी। प्राधिकारी ने जांच की शुरूआत की और आवेदक से जनवरी, 2019 से दिसंबर, 2019 तक जांच अवधि के लिए अद्यतन सूचना प्रस्तुत करने के लिए कहा।

38. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी उपायों का उद्देश्य अनिवार्य रूप से उचित व्यापार सुनिश्चित करना और सभी हितार्थियों को समान अवसर वाला बाजार देना रहा है। ये उपाय न तो आयातों को रोकते हैं न ही अंतिम उत्पादों की लागत में कोई आयुक्तियुक्त वृद्धि लाते हैं। ए डी डी का उद्देश्य घरेलू उत्पादकों को किसी भी प्रकार का अनावश्यक लाभ देना नहीं है या उत्पाद के ग्राहकों को किसी अनावश्यक कठिनाई में डालना नहीं है। उपभोक्ता अधिकार के रूप में विशेष रूप से तब पाटित कीमतों पर उत्पाद की मांग नहीं कर सकता है जब ऐसे पाटन से भारत में किसी स्थापित उद्देश्य को क्षति हो रही हो। ए डी डी का उद्देश्य घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने वाले अनुचित पाटन को समाप्त करना है। तथापि, भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा पाटनरोधी उपाय लागू होने से कम नहीं होगी। पाटनरोधी शुल्क लागू होने से उचित कीमतों पर ग्राहकों को उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी।

छ. बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार्य (एमईटी) सामान्य कीमत, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण

39. धारा 9(1)(ग) के अधीन, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है:

- (i) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा
- (ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:

(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो, अथवा

(ख) उपधारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उदगम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत:

परंतु यदि उक्त वस्तु का आयात उदगम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल स्थानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उदगम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

छ.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

40. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं-

- i. चीन के एक्सेसन प्रोटोकाल के अनुच्छेद 15 (ख) में निहित है कि खंड 15 (ख) (ii) के प्रावधान चीन के एक्सेसन की तारीख से 15 वर्ष में समाप्त हो जाएंगे। दूसरे शब्दों में इस पैराग्राफ के प्रावधान 15 वर्षों अर्थात् दिसंबर, 2016 तक लागू रहेंगे। क्या यह दलील दी जानी चाहिए कि अनुच्छेद 15(क) (ii) के प्रावधान पहले ही समाप्त हो गए हैं और इसलिए उन्हें वर्तमान मामले में लागू नहीं किया जा सकता है फिर भी अनुच्छेद 15(क) (i) लागू है और चीन जन. गण. में सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु उस पर विचार किया जाना चाहिए। अतः प्राधिकारी चीन के उत्पादकों को यह दर्शाने का निदेश दे सकते हैं कि अनुच्छेद 15 (क) (i) के प्रावधानों के संगत समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में विचाराधीन उत्पाद के विनिर्माण उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की दशाएं विद्यमान हैं ताकि निर्दिष्ट प्राधिकारी चीन की कीमतों या लागतों का प्रयोग जांच के अधीन उद्योग हेतु कर सके। प्रतिवादी निर्यातकों को यह सिद्ध करना होगा कि सामान्य मूल्य के निर्धारण के संदर्भ में उल्लिखित लागतों के तथ्य निर्यातक या जांचाधीन उत्पादक द्वारा रखे गए रिकार्डों में उचित और पूर्ण रूप से प्रदर्शित होते हैं।
- ii. चीन जन. गण. को पूर्ववर्ती मामलों में प्राधिकारी द्वारा और अन्य देशों में जांचकर्ता प्राधिकारियों द्वारा अपनाई गई स्थिति के अनुक्रम में एक गैर बाजार अर्थव्यवस्था माना जना चाहिए।

- iii. आवेदक बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में किसी उत्पादक से वास्तविक या पी सी एन वार कीमत संबंधी सूचना प्राप्त करने में असमर्थ रहा है।
- iv. कोरिया गणराज्य, मलेशिया, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड में विचाराधीन उत्पाद की वास्तविक या पी सी एन वार कीमत पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सूचना के अभाव के कारण सामान्य मूल्य घरेलू बाजार में बिक्री कीमत पर निर्धारित नहीं किया जा सकता है।
- v. संबद्ध वस्तु के उत्पादन में प्रमुख कच्ची सामग्री तांबा है और तांबे की कीमत लंदन मेटल एक्सचेंज (एलएमई) द्वारा रखी जाती है। अतः याचिकाकर्ता ने सभी संबद्ध देशों के लिए पी ओ आई के दौरान प्रसंस्करण लागत एस जी ए लागत, वित्तीय लागत और अन्य आय (आयों) के लिए किए गए समायोजनों सहित एल एम ई की कीमतों के आधार पर सभी संबद्ध देशों के लिए सामान्य मूल्य निर्धारित किया है। याचिकाकर्ता ने घरेलू उत्पादकों के खपत मानकों को अपनाया है।
- vi. आवेदक ने डीजीसीआई एंड एस से प्राप्त सौदावार आंकड़ों पर भरोसा किया है। निर्यात कीमतों से सीआईएफ मूल्य होने जबकि सामान्य मूल्य के कारखानाद्वार स्तर होने के कारण निर्यात कीमतों को समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, अंतर्देशीय मालभाड़ा व्यय, पत्तन व्यय, बैंक प्रभार और वैट (केवल चीन जन. गण. के लिए) हेतु समायोजित किया गया है।
- vii. निर्यातक अलग सामान्य मूल्य दिए जाने के हकदार नहीं हैं क्योंकि उन्होंने यह सिद्ध नहीं किया है कि सामान्य मूल्य उनके स्वयं के आंकड़ों के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है।
- viii. प्राधिकारी सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत, पाटन मार्जिन निर्धारण के लिए भागीदार उत्पादकों/निर्यातकों के आंकड़ों पर केवल तभी विचार कर सकते हैं जब वह सभी तरह से पूर्ण हों।
- ix. संबद्ध देशों से आयातों के लिए पाटन मार्जिन न केवल न्यूनतम सीमा से अधिक है बल्कि काफी अधिक भी है।

छ.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

41. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :-

- i. चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु थाईलैंड को चीन जन. गण. हेतु उचित प्रतिनिधि देश माना जाए।
- ii. निर्यात कीमत निर्धारित करते समय अनुमानित कटौतियां काफी अधिक हैं और उनके परिणामस्वरूप कारखानाद्वार निर्यात कीमत में कमी हुई है और पाटन मार्जिन अधिक अनुमानित है। अप्रैल, 2019-दिसंबर, 2019 के दौरान गैर-वापसी योग्य वैट की दर 0 प्रतिशत थी और इसलिए निर्यात कीमत से 8 प्रतिशत का वैट समायोजन अनावश्यक है।
- iii. चीन जन. गण. से आयात का औसत पहुंच मूल्य गलत है। घरेलू उद्योग ने गलत ढंग से सामाजिक कल्याण अधिभार (एस डब्ल्यू एस) जिसे वित्त अधिनियम, 2018 की धारा 110 के अनुपालन में 10 प्रतिशत की दर से लगाया जाता है, के बजाय चीन जन. गण. से आयातों पर 3 प्रतिशत उपकर जोड़ दिया है। इसके अलावा, चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तु के आयात पर एक मूल सीमा शुल्क लगता है जिसे चीन जन गण. के लिए पहुंच मूल्य की गणना करते समय जोड़ा जाना आवश्यक है।
- iv. चीन जन. गण. से प्रतिवादी उत्पादक/निर्यातक के लिए निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण पी यू आर पर आधारित होना चाहिए।
- v. श्रीलंका में पी यू सी की मांग नगण्य है और पाटन मार्जिन की गणना व्यावहारिक नहीं है क्योंकि तीसरे देश को भी कोई निर्यात नहीं हुआ है।

- vi कंपनी ने अपने वाणिज्यिक ग्रेड उत्पाद के लिए अपने उत्पाद को हमेशा तर्कसंगत बाजार कीमत पर बेचा है और कोई तथाकथित पाटन नहीं हुआ है। पाटन केवल तभी होता है जब काफी कम कीमत पर काफी अधिक मात्रा हो। श्रीलंका या हमारी कंपनी के लिये दोनों मामले नहीं हैं।
- vii. अलग-अलग संबद्ध देशों के लिए अलग-अलग सामान्य मूल्य परिकलित होना चाहिए क्योंकि (क) सभी देशों के विकास में अंतर होता है, (ख) कच्ची सामग्रियों की कीमत में अंतर होता है (ग) श्रम लागत में अंतर होता है।
- viii. कंपनी के मामले में पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन अपनाये गए पी सी एन के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है।

छ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

- 42. प्रतिनिधि देश के रूप में थाईलैंड के उचित होने के संबंध में यह नोट किया जाता है कि किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा इस जांच विशेष में चीन जन. गण. हेतु प्रतिनिधि देश के रूप में थाईलैंड पर विचार करने के लिए कोई सही औचित्य नहीं बताया गया है।
- 43. गैर-वापसी योग्य वैट, सामाजिक कल्याण अधिभार (एस डब्ल्यू एस) आदि में की गई त्रुटि के संबंध में प्राधिकारी ने सूचना का सत्यापन किया है और वर्तमान मामले के लिए सत्यापित सूचना अपनाई है।

छ.3.1 सामान्य मूल्य का निर्धारण

चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य

चीनी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए बाजार बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा

- 44. डब्ल्यू टी ओ में चीन के एक्सेशन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15 में निम्नानुसार व्यवस्था है: "जी ए टी टी 1994 का अनुच्छेद-VI, टैरिफ और व्यापार पर सामान्य करार, 1994 ("पाटनरोधी करार") के अनुच्छेद-VI का कार्यान्वयन संबंधी करार और एससीएम करार किसी डब्ल्यू टी ओ सदस्य में चीन के मूल के आयातों में शामिल कार्यवाही में निम्नलिखित के संगत लागू होगा :
- (क) जीएटीटी, 1994 के अनुच्छेद-VI और पाटनरोधी करार के अंतर्गत कीमत तुलनीयता के निर्धारण में आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन की कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे या उस पद्धति को उपयोग करेंगे जो निम्नलिखित नियमों के आधार पर चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्ती से तुलना करने में आधारित नहीं है:
 - (i) यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां रहती हैं तो आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन की कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।
 - (ii) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त तुलना पर आधारित नहीं है, यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग के लिए लागू नहीं हैं।
- (ख) एससीएम समझौते के भाग II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारित राज्य हायता को बताते समय एससीएम समझौते के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे, तथापि, उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाईयां हों, तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए ऐसी पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखा जाए कि चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें उपयुक्त बेंचमार्क के

रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती है। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में, जहां व्यवहार्य हो, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों के उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यमान निबंधन और शर्तों को समायोजित करना चाहिए।

- (ग) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैराग्राफ (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी प्रक्रिया समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को सब्सिडी तथा प्रतिसंतुलनकारी उपायों संबंधी समिति को अधिसूचित करेगा।
- (घ) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के तहत चीन के एक बार बाजार अर्थव्यवस्था सिद्ध हो जाने पर, उप पैराग्राफ के प्रावधान (क) के प्रावधान समाप्त कर दिए जाएंगे, बशर्ते कि आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में एक्सेशन की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ (क)(ii) के प्रावधान एक्सेशन की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त हो जाएंगे। इसके अलावा, आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं, उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आगे लागू नहीं होंगे।"

45. यह नोट किया जाता है कि यद्यपि अनुच्छेद 15 (क) (ii) में निहित प्रावधान दिनांक 11 दिसंबर, 2016 से कालातीत हो गए हैं, लेकिन ऐक्सेसन प्रोटोकॉल 15(क)(i) के तहत बाध्यता के साथ पठित डब्ल्यूटीओ के अनुच्छेद 2.2.1.1 के तहत प्रावधान में भारत की नियमावली के अनुलग्नक-1 के पैरा 8 में विनिर्दिष्ट मापदंड अपेक्षित हैं, जिन्हें बाजार अर्थव्यवस्था दर्जे का दावा करने के लिए अनुपूरक प्रश्नावली में प्रदान किए जाने वाले डाटा/सूचना के ज़रिए पूरा किया जाना है। यह नोट किया जाता है कि चूंकि चीन जन. गण. से किसी भी प्रतिवादी उत्पादक और निर्यातक ने अनुपूरक प्रश्नावली उत्तर प्रस्तुत नहीं किए हैं, अतः सामान्य मूल्य की गणना पाटनरोधी नियमावली के अनुलग्नक-1 के पैरा 7 के प्रावधानों के अनुसार की जानी अपेक्षित है।
46. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि निर्यातक प्रश्नावली उत्तर मैसर्स निंगबो जिंगयेजिंगटई ग्रुप कं. लि., चीन जन. गण., मैसर्स निंगबो जिंगयेजिंगटई न्यू इलेक्ट्रॉनिक मैटिरियल कं. लि., चीन जन. गण. और मैसर्स निंगबो हेंगझोउ बे न्यू जोन क्रियांगटई मेटल मैटिरिल कं. लि., चीन जन. गण. द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं।
47. चीन जन. गण. से उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत और तर्कसंगत लाभ मार्जिन के आधार पर अनुलग्नक-1 के पैरा 7 के अनुसार किया गया है।

कोरिया गणराज्य के लिए सामान्य मूल्य

सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य

मैसर्स पूंगसन कारपोरेशन, कोरिया गणराज्य

48. जांच की अवधि के दौरान, पूंगसन कारपोरेशन, कोरिया गणराज्य ने असंगत पक्षकारों को घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तुओं की बिक्री की है। घरेलू बिक्रियां भारत को निर्यातों की तुलना में पर्याप्त मात्रा में हैं। सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए, प्राधिकारी ने प्रत्येक पीसीएन के लिए संबद्ध वस्तुओं की उत्पादन की लागत के संदर्भ में लाभ अर्जित करने वाले घरेलू बिक्री सौदों के निर्धारण के लिए सामान्य व्यापार जांच प्रक्रिया का आयोजन किया है। जहां पीसीएन विशेष के लिए लाभ अर्जन सौदे 80 प्रतिशत से अधिक हैं, वहां घरेलू बिक्रियों में सभी सौदे सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए विचार किए जा रहे हैं और यदि लाभ अर्जन सौदे 80 प्रतिशत से कम हैं, वहां केवल लाभ अर्जन घरेलू बिक्रियों पर ही सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए विचार किए जा रहे हैं। पूंगसन कारपोरेशन, कोरिया गणराज्य ने स्वदेशी परिवहन, पैकिंग व्यय, ऋण लागत और किसी अन्य कटौती के संबंध में समायोजनों का दावा किया है और इसके लिए प्राधिकारी द्वारा अनुमति प्रदान की जा चुकी है। तदनुसार, पूंगसन

कारपोरेशन, कोरिया गणराज्य के लिए कारखाना बाह्य स्तर पर सामान्य मूल्य का निर्धारण किया गया है और उसे नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

कोरिया गणराज्य से असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य

49. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि कोरिया गणराज्य से किसी अन्य उत्पादक/निर्यातक ने वर्तमान जांच में प्राधिकारी को उत्तर नहीं दिया है। कोरिया गणराज्य में सभी असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए प्राधिकारी ने सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के आधार पर कारखाना बाह्य स्तर पर सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है और इसे नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

मलेशिया के लिए सामान्य मूल्य

मलेशिया से सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य

मैसर्स लुवाता मलेशिया एसडीएन बीएचडी मलेशिया

50. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि लुवाता मलेशिया एसडीएनबीएचडी मलेशिया में आधारित संबद्ध वस्तुओं का एक उत्पादक और निर्यातक है। लुवाता मलेशिया एसडीएन बीएचडी ने घरेलू बाजार में की गई बिक्रियों के आधार पर सामान्य मूल्य का दावा किया है। यह नोट किया जाता है कि कंपनी ने घरेलू बाजार में असंगत ग्राहकों को बिक्रियां की हैं। कंपनी ने एक पीसीएन के तहत आने वाले विचाराधीन उत्पाद का निर्यात किया है। सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए प्राधिकारी ने सामान्य व्यापार जांच प्रक्रिया आयोजित की ताकि ऐसे पीसीएन के लिए संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की लागत के संदर्भ में जांच अर्जन घरेलू बिक्री सौदों का निर्धारण हो सके। जहां पीसीएन विशेष के लिए लाभ अर्जन सौदे 80 प्रतिशत से अधिक हैं, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए घरेलू बिक्रियों में सभी सौदों पर विचार किया जा रहा है और जहां लाभ अर्जन सौदे 80 प्रतिशत से कम हैं, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए केवल लाभ अर्जन वाली घरेलू बिक्रियों पर विचार किया जा रहा है। कंपनी ने स्वदेशी मालभाड़ा, ऋण लागत और बीमा के संदर्भ में समायोजनों का दावा किया है। प्राधिकारी ने विधिवत सत्यापन करने के बाद उसकी अनुमति दी है और कारखाना बाह्य स्तर पर सामान्य मूल्य का निर्धारण किया गया है तथा इसे नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है। चूंकि सनवायर विचाराधीन उत्पाद का भाग नहीं है, अतः इस पर पाटन मार्जिन का निर्धारण करने के लिए विचार नहीं किया गया है।

मलेशिया से असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य

51. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि मलेशिया के किसी अन्य उत्पादक/निर्यातक ने वर्तमान जांच में प्राधिकारी को उत्तर नहीं दिया है। मलेशिया में सभी असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए प्राधिकारी ने सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के आधार पर कारखाना बाह्य स्तर पर सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है और इसे नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

नेपाल के लिए सामान्य मूल्य

नेपाल से सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य

हुलास वायर इंडस्ट्रीज लिमिटेड

52. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि हुलास वायर इंडस्ट्रीज लिमिटेड नेपाल में संबद्ध वस्तुओं का एक उत्पादक और निर्यातक है। हुलास वायर इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने घरेलू बाजार में की गई बिक्रियों के आधार पर सामान्य मूल्य का दावा किया है। यह नोट किया जाता है कि कंपनी ने घरेलू बाजार में असंगत ग्राहकों को बिक्रियां की हैं। सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए, प्राधिकारी ने सामान्य व्यापार जांच प्रक्रिया आयोजित की है ताकि प्रत्येक पीसीएन के लिए संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की लागत के संदर्भ में लाभकारी घरेलू बिक्री सौदों का निर्धारण किया जा सके। जहां किसी पीसीएन विशेष के लिए लाभ अर्जन सौदे 80 प्रतिशत से अधिक हैं, वहां पर घरेलू बिक्रियों में सभी सौदों पर सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए विचार किया जा रहा है और यदि लाभ अर्जन सौदे 80 प्रतिशत से कम हैं, वहां केवल लाभकारी घरेलू बिक्रियों पर सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए विचार किया जा रहा है। जहां तुलनात्मक पीसीएन की घरेलू बाजार में बिक्री नहीं की गई थी, वहां प्राधिकारी ने उत्पादन की लागत,

बिक्री के सामान्य और प्रशासनिक व्ययों और तर्कसंगत लाभ को जोड़कर इन पीसीएन के लिए सामान्य मूल्य निर्मित किया है। कंपनी ने स्वदेशी मालभाड़ा, ऋण लागत और बीमा के संदर्भ में समायोजनों का दावा किया है। प्राधिकारी ने विधिवत सत्यापन करने के बाद इसकी अनुमति प्रदान की है और कारखाना बाह्य स्तर पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया है तथा इसे नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

नेपाल से असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य

53. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि नेपाल से किसी अन्य उत्पादक/निर्यातक ने वर्तमान जांच में प्राधिकारी को उत्तर नहीं दिया है। नेपाल में सभी असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए प्राधिकारी ने सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के आधार पर कारखाना बाह्य स्तर पर सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है और उसे नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

थाईलैंड के लिए सामान्य मूल्य

थाईलैंड से सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य

सियाम पंगसन मेटल कं. लि., थाईलैंड

54. जांच की अवधि के दौरान, पंगसन मेटल कं. लि. ने असंगत पक्षकारों को घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तुओं की बिक्री की है। भारत में निर्यातों की तुलना में घरेलू बिक्रियां पर्याप्त मात्रा में हैं। सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए प्राधिकारी ने सामान्य व्यापार जांच की प्रक्रिया आयोजित की है ताकि प्रत्येक पीसीएन के लिए संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की लागत के संदर्भ में लाभ अर्जन घरेलू बिक्री सौदों का निर्धारण किया जा सके। जहां किसी पीसीएन विशेष के लिए लाभ अर्जन सौदे 80 प्रतिशत से अधिक हैं, वहां घरेलू बिक्रियों में सभी सौदों पर सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए विचार किया जा रहा है और जहां लाभ अर्जन सौदे 80 प्रतिशत से कम हैं, वहां पर सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए केवल लाभकारी घरेलू बिक्रियों पर ही विचार किया जा रहा है। जहां घरेलू बाजार में तुलनात्मक पीसीएन की बिक्री नहीं की गई थी, वहां प्राधिकारी ने उत्पादन की लागत, बिक्री के सामान्य और प्रशासनिक व्यय तथा तर्कसंगत लाभ को जोड़कर इन पीसीएन के लिए सामान्य मूल्य का निर्माण किया है।
55. सियाम पंगसन मेटल कं. लि., थाईलैंड ने स्वदेशी परिवहन, पैकिंग व्यय, ऋण लागत, किसी अन्य कटौती के संबंध में समायोजन का दावा किया है और इसके लिए प्राधिकारी द्वारा अनुमति दी गई है। तदनुसार, सियाम पंगसन मेटल कं. लि., थाईलैंड के लिए कारखाना बाह्य स्तर पर सामान्य मूल्य का निर्धारण किया गया है और उसे नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

थाईलैंड से असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य

56. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि थाईलैंड से किसी अन्य उत्पादक/निर्यातक ने वर्तमान जांच में प्राधिकारी को उत्तर नहीं दिया है। थाईलैंड में सभी असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए प्राधिकारी ने सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के आधार पर कारखाना बाह्य स्तर पर सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है और उसे नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

श्रीलंका के लिए सामान्य मूल्य

57. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि मैसर्स सिमेट प्रा. लि., श्रीलंका द्वारा निर्यातक प्रश्नावली उत्तर प्रस्तुत किया गया है। तथापि, मैसर्स सिमेट प्रा. लि., श्रीलंका द्वारा प्रस्तुत किया गया निर्यातक प्रश्नावली उत्तर निर्धारित फॉर्मेट के अनुसार नहीं है। इसके अलावा, कंपनी एक्सल फॉर्मेट में संगत परिशिष्ट प्रस्तुत करने में विफल रही है। कंपनी प्राधिकारी द्वारा मांगे गए सहायक दस्तावेजों को प्रदान करने में भी विफल रही है। तदनुसार, प्राधिकारी सिमेट प्रा. लि. द्वारा दाखिल किए गए उत्तर को स्वीकार करने में असमर्थ है और सिमेट प्रा. लि. के लिए तथा सभी अन्य असहयोगी उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है और इसे नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

छ.3.2 निर्यात कीमत का निर्धारण**चीन जन. गण. के लिए निर्यात कीमत****चीन जन. गण. से सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत**

मैसर्स निंगबो जिंगयीशेंगटई ग्रुप कं. लि., चीन जन. गण. और मैसर्स निंगबो जिंगयीजिंगटई न्यू इलेक्ट्रॉनिक मैटिरियल कं. लि. के लिए निर्यात कीमत

58. निम्नलिखित कंपनियों ने निर्यातक प्रश्नावली उत्तर दाखिल किए हैं:-

- क. मैसर्स निंगबो जिंगयीशेंगटई ग्रुप कं. लि., जोकि चीन जन. गण. में विचाराधीन उत्पाद का एक उत्पादक है और उसने भारत को निर्यात भी किया है।
- ख. मैसर्स निंगबो जिंगयीजिंगटई न्यू इलेक्ट्रॉनिक मैटिरियल कं. लि., जो चीन जन. गण. में विचाराधीन उत्पाद का एक निर्यातक है और विचाराधीन उत्पाद की घरेलू बिक्री में शामिल है लेकिन जांच के दौरान भारत को निर्यात नहीं किया है; और
- ग. मैसर्स निंगबो हेंगझोऊ बे कियांगटेई मेटल मैटिरियल कं. लि. (व्यापारी), जो घरेलू बाजार में विचाराधीन उत्पाद की बिक्री में शामिल है।

59. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि मैसर्स निंगबो जिंगयीशेंगटई ग्रुप कं. लि., चीन जन. गण. ने जांच की अवधि के दौरान भारत में असंगत ग्राहकों को विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन करके निर्यात किया है। प्राधिकारी ने इसमें बंदरगाह और अन्य संगत व्यय, स्वदेशी परिवहन, बीमा, समुद्री मालभाड़ा, गैर वापसी योग्य वेट और बैंक प्रभारों के दावों पर विचार करने के बाद उनकी निर्यात कीमत के आधार पर मैसर्स निंगबो जिंगयीशेंगटई ग्रुप कं. लि., चीन जन. गण. के लिए कारखाना बाह्य निर्यात कीमत का निर्धारण किया है।

चीन जन. गण. से असहयोगी उत्पादक/निर्यातक

60. चीन जन. गण. से असहयोगी निर्यातकों के लिए, प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंडएस के सौदा-वार आंकड़ों के आधार पर निर्यात कीमत की गणना की है। समुद्री मालभाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, स्वदेशी मालभाड़ा व्यय, बंदरगाह व्यय, बैंक प्रभारों तथा गैर-वापसी योग्य वेट के संबंध में कीमत समायोजन किया गया है।

कोरिया गणराज्य के लिए निर्यात कीमत**कोरिया गणराज्य से सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत**

मैसर्स पूंगसन कारपोरेशन, कोरिया गणराज्य और मैसर्स ह्यूंडई कारपोरेशन, कोरिया गणराज्य के लिए निर्यात कीमत

61. पूंगसन कारपोरेशन, जो कि कोरिया गणराज्य में संबद्ध वस्तुओं का एक उत्पादक और निर्यातक है, ने निर्यातक प्रश्नावली उत्तर दाखिल किया है। जांच की अवधि के दौरान, पूंगसन कारपोरेशन ने भारत को संबद्ध वस्तुओं का सीधे निर्यात किया है और हंडई कारपोरेशन, कोरिया गणराज्य नामक एक असंगत व्यापारी के ज़रिए निर्यात किया है। पूंगसन कारपोरेशन और हंडई कारपोरेशन ने अपेक्षित फार्मेट में सभी संगत सूचना प्रदान की है। पूंगसन कारपोरेशन ने समुद्री मालभाड़ा, समुद्री बीमा, स्वदेशी यातायात, बंदरगाह और अन्य संगत व्ययों, ऋण लागत, बैंक प्रभारों, पैकिंग व्यय, अन्य कटौतियों तथा शुल्क वापसी के संबंध में समायोजनों का दावा किया है। प्रासंगिक दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने के कारण, प्राधिकारी ने ज्यूटी डा बैक को स्वीकार नहीं किया है। तदनुसार पूंगसन कारपोरेशन के लिए कारखाना बाह्य स्तर पर निवल निर्यात कीमत का निर्धारण किया गया है और उसे नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

कोरिया गणराज्य से असहयोगी उत्पादक/निर्यातक

62. कोरिया गणराज्य से असहयोगी निर्यातकों के लिए प्राधिकारी ने सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के आधार पर निर्यात कीमत की गणना की है और उसे नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

मलेशिया के लिए निर्यात कीमत**मलेशिया से सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत****लुआता मलेशिया एसडीएन बीएचडी के लिए निर्यात कीमत**

63. लुआता मलेशिया एसडीएन बीएचडी मलेशिया ने जांच की अवधि के दौरान भारत को सीधे विचाराधीन उत्पाद का निर्यात किया है। उत्पादक द्वारा अपने प्रश्नावली उत्तर में समुद्री मालभाड़ा, स्वदेशी मालभाड़ा, बीमा, ऋण लागत और बंदरगाह संबंधी व्यय के संबंध में दावा किया गया है ताकि कारखाना बाह्य स्तर पर निवल निर्यात कीमत प्राप्त हो सके। प्राधिकारी द्वारा इन समायोजनों को स्वीकार किया गया है। तदनुसार, लुआता मलेशिया एसडीएन बीएचडी के लिए कारखाना बाह्य स्तर पर निवल निर्यात कीमत का निर्धारण किया गया है। चूंकि सनवायर विचाराधीन उत्पाद का एक भाग नहीं है क्योंकि इसे पाटन मार्जिन के निर्धारण के लिए शामिल नहीं किया गया है।

मलेशिया से असहयोगी उत्पादक/निर्यातक

64. मलेशिया से असहयोगी निर्यातकों के लिए प्राधिकारी ने डीजीसीआई ऐंड एस के सौदा-वार आंकड़ों के आधार पर सभी संबद्ध देशों के लिए निर्यात कीमत की गणना की है। समुद्री मालभाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, स्वदेशी मालभाड़ा व्यय, बंदरगाह व्यय और बैंक प्रभारों के संबंध में कीमत समायोजनों का दावा किया गया है।

नेपाल के लिए निर्यात कीमत**नेपाल से सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत****हुलास वायर इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिए निर्यात कीमत**

65. नेपाल हुलास वायर इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने जांच की अवधि के दौरान भारत को सीधे विचाराधीन उत्पाद का निर्यात किया है। निर्यातक द्वारा अपने प्रश्नावली के उत्तर में स्वदेशी मालभाड़ा, बीमा, बंदरगाह और अन्य संगत व्यय के संबंध में समायोजनों का दावा किया गया है ताकि कारखाना बाह्य स्तर पर निवल निर्यात कीमत प्राप्त हो सके। प्राधिकारी द्वारा इन समायोजनों को स्वीकार किया गया है। तदनुसार, हुलास वायर इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिए कारखाना बाह्य स्तर पर निवल निर्यात कीमत का निर्धारण किया गया है, जिसका कि नीचे पाटन मार्जिन तालिका में उल्लेख किया गया है।

नेपाल से असहयोगी उत्पादक/निर्यातक

66. नेपाल से असहयोगी निर्यातकों के लिए, प्राधिकारी ने सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के आधार पर निर्यात कीमत की गणना की है और इसे नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

थाईलैंड के लिए निर्यात कीमत**थाईलैंड से सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत****सियाम पूंगसन मेटल कं. लि. के लिए निर्यात कीमत**

67. जांच की अवधि के दौरान, सियाम पूंगसन मेटल कं. लि. ने भारत में असंगत पक्षकारों को संबद्ध वस्तुओं का सीधे निर्यात किया है। सियाम पूंगसन मेटल कं. लि. ने अपेक्षित फार्मेट में सभी संगत सूचना प्रदान की है। सियाम पूंगसन मेटल कं. लि. ने समुद्री मालभाड़ा, बीमा, स्वदेशी परिवहन, सीमा शुल्क लागत, बैंक प्रभारों, एलसी शुल्कों, ऋण लागत, पैकिंग लागत और अन्य कटौती के संबंध में समायोजनों का दावा किया है। तदनुसार, सियाम पूंगसन मेटल कं. लि. के लिए कारखाना बाह्य स्तर पर निवल निर्यात कीमत का निर्धारण किया गया है और उसे नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

थाईलैंड से असहयोगी उत्पादक/निर्यातक

68. थाईलैंड से असहयोगी निर्यातकों के लिए, प्राधिकारी ने सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के आधार पर निर्यात कीमत की गणना की है और इसे नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

श्रीलंका के लिए निर्यात कीमत

69. जैसा कि ऊपर कहा गया है, प्राधिकारी मैसर्स सिमेट प्रा. लि., श्रीलंका द्वारा दाखिल किए गए प्रश्नावली उत्तर को स्वीकार करने में असमर्थ है। तदनुसार, श्रीलंका से सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए, सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के आधार पर निर्यात कीमत की गणना की गई है और इसे नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

छ.3.3 पाटन मार्जिन

70. उपरोक्तानुसार सामान्य मूल्य और निर्धारित निर्यात कीमत के आधार पर प्राधिकारी द्वारा संबद्ध देशों से उत्पादकों/निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन का निर्धारण किया गया है और इसे नीचे तालिका में दर्शाया गया है।

संबद्ध देश	सामान्य मूल्य (यूएस डॉलर/मी.टन)	निर्यात कीमत (यूएस डॉलर/मी.टन)	पाटन मार्जिन (यूएस डॉलर/मी.टन)	पाटन मार्जिन (%)	पाटन मार्जिन (%)
चीन जन. गण.					
1. मै. निंगबो जिंगयीशेंगटई ग्रुप कं. लि., चीन जन.गण.	***	***	***	***	
2. मै. निंगबो जिंगयीजिंगटई न्यू इलेक्ट्रानिक मैटिरियल कं. लि., चीन जन. गण.					0-10
सभी अन्य	***	***	***	***	10-20
कोरिया	***	***	***	***	
मै. पूंगसन कारपोरेशन	***	***	***	***	0-10
सभी अन्य	***	***	***	***	10-20
मलेशिया	***	***	***	***	
मै. लुआता मलेशिया एसडीएन बीएचडी मलेशिया	***	***	***	***	20-30
सभी अन्य	***	***	***	***	30-40
नेपाल	***	***	***	***	
मै. हुलास वायर इंडस्ट्रीज लि.	***	***	***	***	5-15
सभी अन्य	***	***	***	***	5-15
थाइलैंड	***	***	***	***	
मै. सियाम पूंगसन मेटल कं. लि., थाइलैंड	***	***	***	***	10-20
सभी अन्य	***	***	***	***	20-30
श्रीलंका	***	***	***	***	
अन्य	***	***	***	***	20-30

71. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देशों से पाटन मार्जिन नियमों के तहत निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक है और काफी सकारात्मक है।

ज. क्षति आकलन और कारणात्मक संबंध

ज.1 घरेलू उद्योग के अनुरोध

72. घरेलू उद्योग द्वारा क्षति और कारणात्मक संबंध के संबंध में किए गए अनुरोध नीचे सारबद्ध किए गए हैं:-

- i. कॉपर फ्लेट रोलड उत्पाद लंदन मेटल एक्सचेंज (एलएमई) में दैनिक आधार पर व्यापक रूप से बेचे और खरीदे जाते हैं। उत्पादकों और ग्राहकों के बीच अनुबंध वैश्विक रूप से स्वीकार्य कीमत के व्यापक संदर्भ में है। इसके अलावा, निर्माण लागतों और ऐसे अनेक कारकों के संबंध में बातचीत हुई है जिन पर एक मेटल अनुबंध की बातचीत के दौरान विचार किया गया है, जिसके चलते निर्माण में लागत आएगी। अलौह मेटल बाजार में कीमत पर (1) एक आधार सन्दर्भ कीमत (अर्थात् एलएमई कीमत) और (2) एक निर्माण लागत के आधार पर बातचीत की जाती है।
- ii. प्राधिकारी से अनुरोध किया जाता है कि वे ऐसे आयातों के प्रभाव का संचित आकलन करें कि (क) प्रत्येक संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के लिए पाटन का मार्जिन न्यूनतम से अधिक है; (ख) संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा तीन प्रतिशत से अधिक है और (ग) संबद्ध देशों से निर्यातों में परस्पर और भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई समग्र वस्तु के साथ प्रतिस्पर्धा है।
- iii. संबद्ध वस्तुओं के लिए मांग में क्षति अवधि के दौरान प्रमुख क्षेत्रों (जैसे ऑटोमोबाइल) में आर्थिक मंदी के कारण गिरावट आई है।
- iv. कुछ उपभोक्ताओं ने अधिक मूल्य के विशेष अलाय की ओर रुख किया है, जो कि भारत में उत्पादित नहीं हैं।
- v. संबद्ध देशों से आयातों में पूर्ण रूप से और उत्पादन व खपत के सन्दर्भ में आधार वर्ष से 2017-18 तक वृद्धि हुई है और उसके बाद जांच की अवधि तक गिरावट आई है। यह (क) मांग में गिरावट और (ख) विगत में अधिक आयातों के कारण से है, जिसके कारण कुछ घरेलू उत्पादक देश में पाटन को देखते हुए आयात और बिक्री, उत्पादन को बंद कर रहे हैं। आयातों का स्तर आधार वर्ष की बजाय जांच की अवधि में अधिक है।
- vi. आवेदक ने पीसीएन आधार पर कीमत कटौती की है। यद्यपि संबद्ध देशों से उत्पाद के लिए भारित औसत कीमत कटौती सकारात्मक है, लेकिन अधिकांश आयातों के लिए कीमत कटौती महत्वपूर्ण है, जो यह दर्शाती है कि पाटित आयातों की कीमत का घरेलू उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।
- vii. पूरी क्षति अवधि के दौरान बिक्रियों की लागत में वृद्धि हुई है, लेकिन बिक्रियों की लागत में आधार वर्ष से वर्ष 2018-19 तक वृद्धि हुई है और उसके बाद जांच की अवधि में गिरावट आई है। बिक्री कीमत में वृद्धि जांच की अवधि में बिक्रियों की लागत में वृद्धि से कम थी। पाटित आयातों से कीमत में ह्रास हो रहा है, जिसके कारण घरेलू उद्योग के लाभों में महत्वपूर्ण गिरावट आई है।
- viii. घरेलू उद्योग के उत्पादन, क्षमता उपयोग तथा बिक्रियों में वर्ष 2017-18 में आधार वर्ष से गिरावट आई है लेकिन उसके बाद 2018-19 में वृद्धि हुई है तथा उसके बाद जांच की अवधि में पुनः गिरावट आई।
- ix. घरेलू उद्योग के बाजार अंश में जांच की अवधि में गिरावट आई है, जबकि घरेलू उद्योग ने मांग को पूरा करने के लिए प्रयास किए जिसकी पूर्ति आयातों से हो रही थी।
- x. घरेलू उद्योग के लाभ, पीबीआईटी और नकदी भाग में आधार वर्ष से वर्ष 2017-18 तक वृद्धि हुई है और जांच की अवधि में भारी गिरावट आई है। घरेलू उद्योग यहां तक कि ऐसी कीमतों पर भी बिक्री नहीं कर पाया, जिससे कि तर्कसंगत लाभ होता।

- xi. आयातों के कारण और घरेलू उद्योग की कम कीमतों पर बिक्री के बावजूद, घरेलू उद्योग की इन्वेन्ट्री में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई और क्षति अवधि के दौरान दोहरी हुई।
- xii. घरेलू उद्योग की उत्पादकता में उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति दर्शाई गई है। इसमें वर्ष 2017-18 में आधार वर्ष से गिरावट आई है, उसके बाद 2018-19 में वृद्धि हुई है तथा जांच की अवधि में गिरावट आई है।
- xiii. पूरी क्षति अवधि के दौरान रोजगार में वृद्धि हुई है। मजदूरी में आधार वर्ष से 2018-19 तक सुधार देखा गया है और उसके बाद जांच की अवधि में गिरावट आई है। रोजगार और मजदूरियां संबद्ध वस्तुओं के निष्पादन पर ही निर्भर नहीं हैं क्योंकि घरेलू उद्योग श्रम कानूनों और सांविधिक प्रावधानों द्वारा शासित है।
- xiv. उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्रियों की मात्रा के संदर्भ में घरेलू उद्योग के विकास ने उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति दर्शाई है और जांच की अवधि में गिरावट आई है। तथापि, कीमत मापदंडों के संदर्भ में विकास नकारात्मक है। घरेलू उद्योग का विकास उससे भी काफी कम है, जो पाटित आयातों की कमी के कारण होना चाहिए।
- xv. कम कीमत के आयात घरेलू उद्योग के प्रचालनों की वित्तीय व्यवहार्यता के लिए गंभीर चुनौती हैं। घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि में प्रतिकूल लाभप्रदता के बावजूद अपने प्रचालनों को जारी रखा। वर्तमान स्थिति लम्बी अवधि के लिए जारी नहीं रह सकती।
- xvi. यूरोपीय संघ (ईयू) से उत्पाद के आयात न्यूनतम स्तर से अधिक हैं लेकिन वे अधिक कीमतों पर हैं। अन्य देशों से आयात नगण्य हैं।
- xvii. मांग में संकुचन के चलते घरेलू उद्योग के समक्ष प्रतिकूल कीमत प्रभाव के लिए योगदान नहीं है।
- xviii. खपत की पद्धति से कुछ उपभोक्ता अधिक मूल्य के विशेष अलॉय उत्पादों की ओर रुख करते देखे गए हैं, जिन्होंने मुख्यतः ऑटो सेक्टर का उपयोग किया जबकि कॉपर और कॉपर अलाय फ्लेट रोल्ड उत्पाद का उपयोग सामान्य है। प्रतिकूल कीमत प्रभाव इस सेक्टर के कारण नहीं है।
- xix. ऐसी कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रक्रिया नहीं है जिसके चलते क्षति के लिए योगदान हुआ हो।
- xx. संबद्ध उत्पाद के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
- xxi. घरेलू उद्योग का उत्पादन और उससे क्षति की, घरेलू उद्योग के बिक्री प्रचालनों के संबंध में यथासंभव जांच की गई है।
- xxii. घरेलू उद्योग की दावा की गई क्षति केवल विचाराधीन उत्पाद के संबंध में है।
- xxiii. डब्ल्यूटीओ एडीए प्रावधान में यह उल्लेख किया गया है कि पाटित आयातों और घरेलू उद्योग को क्षति के बीच “एक कारणात्मक” संबंध का प्रदर्शन प्राधिकारियों के समक्ष सभी संगत साक्ष्य की जांच के आधार पर होगा। एकमात्र कानूनी अपेक्षा यह है कि पाटन घरेलू उद्योग को क्षति होने का “एक कारण” होना चाहिए।
- xxiv. घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों से पाटन के कारण पर्याप्त क्षति हुई है।
- xxv. घरेलू उद्योग विद्युत के अलावा पीएनजी का भी उपयोग कर रहा है। इस प्रकार, निर्यातक संबद्ध वस्तुओं की यूटिलिटी लागत के संदर्भ में इतना लागत दक्ष नहीं है।
- xxvi. वित्तीय रिपोर्ट केवल विचाराधीन उत्पाद के निष्पादन पर ही निर्भर नहीं है। गैर-विचाराधीन उत्पाद (एनपीयूसी) की बिक्री और विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) के निर्यातों में 2018-19 तक वृद्धि हुई है, जिसमें घरेलू बाजार उपलब्ध न होने के कारण जांच की अवधि में मामूली गिरावट आई है।
- xxvii. एनआईपी का निर्धारण अनुलग्नक-III के अनुसार और सेस्टेट के निर्णय के अनुसार किया गया है, जिसके लिए कच्ची सामग्रियों के सर्वोत्तम उपयोग और क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग पर प्राधिकारी द्वारा विचार किया गया है।

ज.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

73. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:-

- i. मांग में वृद्धि के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई है।
- ii. चीन जन.गण. से आयातों में आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान लगभग 30 प्रतिशत तक की महत्वपूर्ण गिरावट आई है। चीन जन.गण. से आयात कीमत में वर्ष 2016-17 से जांच की अवधि तक वृद्धि हुई है और यह संबद्ध देशों में सर्वाधिक है और चीन जन. गण. के आयातों पर लागू सीमा शुल्क के बावजूद जांच की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।
- iii. चीन के उत्पादक भारतीय उत्पादकों द्वारा प्रयुक्त किए जा रहे ईंधन की तुलना में उत्पादन प्रक्रिया के लिए ऊर्जा के रूप में लिक्विफाइड प्राकृतिक गैस (एलएएमजी) का उपयोग करते हैं और अन्य संबद्ध देशों में आधारित उत्पादक चीन के उत्पादकों को लागत दक्ष बना रहे हैं।
- iv. चीन के उत्पादक प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहे हैं और घरेलू उद्योग को क्षति नहीं पहुंचा रहे हैं क्योंकि चीन के उत्पादक/निर्यातक मध्यम और उच्च दर्जे की संबद्ध वस्तुओं की ओर रुख कर रहे हैं ताकि भारतीय मांग को पूरा कर सकें क्योंकि भारत में ग्राहक उच्च दर्जे के कॉपर अलाय फ्लेट रोल्ड उत्पादों की ओर रुख कर रहे हैं, जो कि भारत में उत्पादित नहीं हो रहे हैं।
- v. प्राधिकारी को चीन से आयातों पर शुल्क लगाने की सिफारिश नहीं करनी चाहिए।
- vi. घरेलू उद्योग ने 2016-17 से जांच की अवधि तक निर्यात बिक्रियों में तीव्र वृद्धि दर्ज की है।
- vii. याचिकाकर्ताओं को कोई क्षति नहीं हो रही है क्योंकि (क) पाटित आयातों में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं है; (ख) आयात कीमतों में वृद्धि हुई है; (ग) मांग में कमी हुई है; (घ) आयातित उत्पादों के बाजार अंश में कमी हुई है।
- viii. भारत सरकार ने अलौह धातु उद्योग के लिए आकस्मिक ऋणों की योजना का विस्तार किया है और कोविड से प्रभावित एमएसएमई के लिए 3 लाख करोड़ रु. की ऋण राशि स्वीकृत की है। अन्य कारकों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति को कोविड-19 महामारी के चलते एमएसएमई सेक्टर के लिए सरकार द्वारा कई सहायता उपाय घोषित करके दूर किया जाएगा।
- ix. श्रीलंका के भारत को निर्यातों की वार्षिक मात्रा न्यूनतम से कम है, जो 3 प्रतिशत तक है। वर्ष 2017 में, जब श्रीलंका से कोई निर्यातक नहीं था, आंकड़े 305 मी.टन आयात दर्शाते हैं, जो कि गलत सूचना के आधार पर है और उन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता। कंपनी ने अपना प्रचालन केवल 2017 में ही शुरू किया है। इसके अलावा, श्रीलंका का भारत को निर्यात वाणिज्यिक ग्रेड का है न कि ईटीपी ग्रेड का अथवा उच्च दर्जे के कॉपर अलाय उत्पाद का।
- x. कॉपर शीट, कॉपर अलाय शीट और ब्रास शीट के लिए ली गई औसत कीमत गलत है।
- xi. ये मात्रात्मक क्षति नहीं हैं क्योंकि संबद्ध वस्तुओं की मात्रा पूर्ण रूप से और मांग के संदर्भ में है और जांच की अवधि में भारतीय उत्पादन में गिरावट आई है।
- xii. मांग में गिरावट आई है और घरेलू उद्योग के उत्पादन की गुणवत्ता में गिरावट आई है, जो कि मांग में गिरावट की तुलना में काफी कम है।
- xiii. दोनों अलग-अलग गुणवत्ताओं के बीच कीमत का अंतर स्पष्ट है; (1) उत्पाद प्रमुख धातु से बने हैं और (2) उत्पाद स्क्रैप (रीसाइकल प्रक्रिया) से बने हैं। इसे रीसाइकल प्रक्रिया (जो प्रकृति और ऊर्जा की बचत करती है) के ज़रिए स्क्रैप से उत्पादित रोल्ड उत्पाद पर किसी शुल्क को लगाने के लिए विचार किया जाना है। प्रत्येक तैयार उत्पाद भिन्न है और इसके लिए प्रमुख धातु से बनी कच्ची सामग्री की जरूरत नहीं है। हार्डवेयर की कुछ मदों अथवा घटकों की तरह, जहां पर कि रसायन शास्त्र महत्वपूर्ण नहीं है और उस मामले में एक याचिकाकर्ता उनमें उत्पादों को कच्ची सामग्री के रूप में उपयोग करने पर दबाव नहीं डाल

सकता। प्रत्येक तैयार उत्पाद का उपयोग भिन्न है और उद्योग अन्तिम उपभोक्ता की कीमत के लाभ तक रीसाइकल प्रक्रिया से बने उत्पादों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है।

- xiv. अन्तिम प्रयोक्ता की जरूरत के आधार पर अलग-अलग उपयोग हैं, अतः केवल कीमत की तुलना किसी ऐसे तीसरे पक्ष, जो देश में एकाधिकार चाहता है, द्वारा मांग किए गए किसी अतिरिक्त शुल्क को लगाने के लिए अपनाई जाने वाली सही पद्धति नहीं है।
- xv. घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंडों अर्थात् बाजार अंश, निर्यात बिक्रियों और रोजगार में सुधार हुआ है। घरेलू उद्योग द्वारा किए गए खराब रणनीतिक निर्णयों के कारण उत्पादकता में गिरावट आई है क्योंकि उन्होंने मांग बढ़ने की आशा नहीं की थी और अपने उत्पादन की गुणवत्ता और कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करने के लिए गलत निर्णय लिया।
- xvi. मांग में गिरावट के कारण क्षति, यदि कोई हो, के चलते नकदी लाभों और आरओसीई दोनों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, जो कि जांच की अवधि में अभी भी सकारात्मक है।
- xvii. पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध का अभाव है। यह क्षति अन्य कारकों जैसे मांग में गिरावट और उच्च मूल्य के उत्पादों की ओर रुख करने के कारण है। डब्ल्यूटीओ एडीडी नियमावली के अनुच्छेद 3.5 के गैर-संबद्ध मानकों के संबंध में जापान से डीएस 184 – यूएस कतिपय हॉट रोलड स्टील उत्पादों में डब्ल्यूटीओ एबी निष्कर्षों पर भरोसा किया गया है।
- xviii. यह बाजार क्रेताओं का बाजार बन गया है क्योंकि संबद्ध वस्तुओं की आपूर्ति मांग को बढ़ाती है और संबद्ध वस्तुओं के उत्पादक क्रेता के हित की पूर्ति करते हैं, जबकि एक क्रेता संबद्ध वस्तुओं की न्यूनतम/सर्वोत्तम कीमत लेने के लिए योग्य है, जिससे घरेलू उद्योग पर कीमत का दबाव पड़ता है, जो उसकी लाभप्रदता को प्रभावित करता है।
- xix. क्रेताओं द्वारा घरेलू उद्योग पर कीमत का दबाव मांग में आता है और भारतीय असंगठित क्षेत्र का 30-40 प्रतिशत कीमत के संदर्भ में असंगठित क्षेत्रों को कड़ी प्रतिस्पर्धा दे रहा है।
- xx. खराब रणनीति निर्णयों के कारण उत्पादन में वृद्धि होती है, जिसके चलत इन्वेन्ट्री में वृद्धि होती है और लाभप्रदता में गिरावट आती है। पूंजीगत परिसंपत्तियों के मूल्यहास में वृद्धि लाभों, नकदी लाभों, आरओसीई में गिरावट के कारण हुई।
- xxi. नियमावली के उप खंड (iii) पैरा (4) के अनुसार, प्राधिकारी को दावा किए गए व्यय की जांच करनी चाहिए और जैसा कि घरेलू उद्योग द्वारा फार्मेट-एल में किया गया है, गैर-क्षतिकारी कीमत की गणना के लिए चल रहे कार्यों, अनुसंधान और विकास व्यय, निर्यात संबंधी व्यय तथा विज्ञापन में वृद्धि/कमी पर विचार नहीं करना चाहिए।
- xxii. स्वयं याचिकाकर्ता एक कारोबारी है और कारोबार में प्रतिस्पर्धी है तथा याचिका में इस प्रकार की आधी सच्चाई के लिए उसे प्रतिकूल मुकद्दमेबाजी का सामना करना पड़ सकता है।
- xxiii. कारखाना बाह्य स्तर की कटौती वास्तविक निर्यात लागत से परे है और बहुत ही बड़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत की गई है।
- xxiv. यह स्पष्ट नहीं है कि किस उत्पाद और किस ग्रेड पर आईएम की गणना के लिए विचार किया गया है।
- xxv. यह वास्तविक उपभोक्ता ही है, जिसने यह निर्णय लिया कि उसे वस्तुएं कहां से लेनी है और किस कीमत पर लेनी है। साथ ही, कोविड-19 तक, भारतीय अर्थव्यवस्था की वार्षिक औसत जीडीपी विकास दर करीब 7% थी और मांग में कमी केवल अस्थायी हो सकती है।

ज.3 प्राधिकारी की जांच

74. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों को नोट किया है और रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों तथा मौजूदा कानूनी स्थिति पर विचार करके इसका विश्लेषण किया है। यहां प्राधिकारी द्वारा किया गया क्षति विश्लेषण हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों का स्वतः निपटान करता है।
75. यह नोट किया जाता है कि अनुलग्नक-II के साथ पठित नियम 11 क्षति के संबंध में है, जो यह निर्धारित करता है कि प्राधिकारी एक जांच परिणाम दर्ज करेंगे कि क्या सभी वस्तुओं के भारत में पाटित आयातों के कारण भारत में किसी स्थापित उद्योग को कोई भारी क्षति होती है अथवा क्षति की आशंका होती है, अथवा भारत में किसी उद्योग की स्थापना में बाधा डालती है। इसके अलावा, यह स्पष्ट करती है कि प्राधिकारी पाटित आयातों की मात्रा, घरेलू बाजार में समान वस्तुओं के लिए कीमत पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामी प्रभाव को ध्यान में रखते हुए और नियमावली के तहत निर्धारित किए गए सिद्धान्तों के अनुसार घरेलू उद्योग की क्षति, घरेलू उद्योग को क्षति की आशंका, घरेलू उद्योग की स्थापना में बाधा और पाटित आयातों तथा क्षति के बीच एक कारणात्मक संबंध का निर्धारण करेंगे।

ज.3.1 संचित आकलन

76. डब्ल्यूटीओ करार के अनुच्छेद 3.3 और नियमावली के अनुलग्नक-II के पैरा (iii) में यह प्रावधान है कि यदि एक से अधिक देश से किसी उत्पाद के आयातों के लिए एक साथ पाटनरोधी जांच की जाती है, तो प्राधिकारी ऐसे आयातों के प्रभाव का संचित आकलन करेंगे यदि यह निर्धारित करते हैं कि:

- क. प्रत्येक देश से आयातों के संबंध में स्थापित पाटन का मार्जिन, निर्यात कीमत के प्रतिशत के रूप में स्पष्ट किए गए दो प्रतिशत से अधिक है और प्रत्येक देश से आयातों की मात्रा समान वस्तु के आयातों का तीन प्रतिशत (अथवा अधिक) है अथवा जहां अलग अलग देशों का आयात तीन प्रतिशत से कम है, तो आयात साझा रूप से समान वस्तु के आयात के सात प्रतिशत से अधिक होता है।
- ख. आयातों के प्रभाव का संचित आकलन आयातित वस्तु और समान घरेलू वस्तु के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों को देखते हुए उपयुक्त है।

77. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि:

- क. विभिन्न संबद्ध देशों से और घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति की गई संबद्ध वस्तुएं समान वस्तुएं हैं।
- ख. संबद्ध वस्तुएं भारत में संबद्ध देशों से पाटित की जा रही हैं। प्रत्येक संबद्ध देश से पाटन का मार्जिन नियमावली के तहत निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक है।
- ग. प्रत्येक संबद्ध देश से आयातों की मात्रा अलग-अलग आयात की कुल मात्रा का 3 प्रतिशत से अधिक है।
- घ. जिस कीमत पर वस्तुएं संबद्ध देशों से निर्यात की जा रही हैं, भारतीय बाजार में इन स्रोतों से आयातों के बीच एक स्पष्ट परस्पर प्रतिस्पर्धा है।
- ड. पाटित आयातित वस्तुओं और भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत समान वस्तुओं के बीच प्रतिस्पर्धा मौजूद है।
- च. आयातों के प्रभाव का संचित आकलन उपयुक्त है क्योंकि संबद्ध देशों से निर्यात न केवल परस्पर प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा करते हैं, बल्कि भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत समान वस्तुओं से भी प्रतिस्पर्धा करते हैं।

78. अनुबंध-II के साथ पठित नियमावली के नियम 11 के तहत यह प्रावधान है कि क्षति के निर्धारण में (क) पाटित आयातों की मात्रा, घरेलू बाजार में समान वस्तुओं की कीमतों पर उनके प्रभाव तथा (ख) इस प्रकार की वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामस्वरूप प्रभाव की एक उद्देश्यपरक जांच शामिल होगी। कीमतों पर पाटित आयातों की मात्रा की जांच करते समय यह विचार करना आवश्यक समझा गया है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा महत्वपूर्ण कीमत कटौती हुई है, अथवा क्या ऐसे आयातों का

प्रभाव एक महत्वपूर्ण मात्रा में कीमत को अन्यथा दबाने अथवा कीमत में वृद्धि को रोकने के लिए है, जो अन्यथा एक महत्वपूर्ण मात्रा में होती। घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्रियों की मात्रा, स्टॉक, लाभप्रदता, निवल बिक्री वसूली, पाटन की मात्रा और मार्जिन इत्यादि जैसे घरेलू उद्योग की स्थिति से संबंध रखने वाले कारकों पर नियमावली के अनुबंध के अनुसार विचार किया जाना चाहिए।

79. उपरोक्त को देखते हुए प्राधिकारी संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों से साझा तौर पर घरेलू उद्योग को क्षति होने का आकलन करना उचित मानते हैं।
80. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि श्रीलंका से आयातों का डीजीसीआईएंडएस और डीजी सिस्टम, दोनों से प्राप्त आयात संबंधी डेटा से सत्यापन किया गया है, जिसमें कि यह पाया गया है कि श्रीलंका से आयात कुल आयात के 6.68% हैं जो न्यूनतम से अधिक सीमा हैं।

ज.3.2 घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव

क. मांग/स्पष्ट खपत का आकलन

81. वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए प्राधिकारी ने भारत में उत्पाद की मांग अथवा स्पष्ट खपत पर भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्रियों और सभी स्रोतों से आयातों के योग के रूप में विचार किया है।

भारत में मांग	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि
घरेलू उद्योग की बिक्रियां	मी.टन	***	***	***	***
अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्रियां	मी.टन	***	***	***	***
कुल भारतीय उत्पादक	मी.टन	***	***	***	***
संबद्ध देशों से आयात	मी.टन	7,494	8,233	7,650	7,040
चीन जन.गण.	मी.टन	2,532	2,606	2,071	1,810
कोरिया गणराज्य	मी.टन	367	709	945	541
नेपाल	मी.टन	1,552	1,285	1,399	1,305
श्रीलंका	मी.टन	305	604	511	675
थाइलैंड	मी.टन	2,085	2,655	2,187	2,265
मलेशिया	मी.टन	654	374	538	444
अन्य देशों से आयात	मी.टन	4,762	4,834	2,457	3,058
कुल मांग	मी.टन	***	***	***	***
मांग (सूचीबद्ध)		100	98	90	85

82. यह नोट किया जाता है कि विचाराधीन उत्पाद के लिए मांग में जांच की अवधि सहित क्षति जांच की अवधि के दौरान एक गिरावट की प्रवृत्ति दर्शाई गई है।

i. संबद्ध देश से आयात की मात्रा

83. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी को यह विचार करना अपेक्षित है कि क्या संबद्ध देशों से पाटित आयातों में पूर्ण रूप से अथवा उत्पादन या खपत के सन्दर्भ में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।

विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि
आयात की मात्रा					
संबद्ध देश	मी.टन	7,494	8,233	7,650	7,040
चीन जन.गण.	मी.टन	2,532	2,606	2,071	1,810
कोरिया गणराज्य	मी.टन	367	709	945	541
नेपाल	मी.टन	1,552	1,285	1,399	1,305
श्रीलंका	मी.टन	305	604	511	675
थाइलैंड	मी.टन	2,085	2,655	2,187	2,265
मलेशिया	मी.टन	654	374	538	444
अन्य देश	मी.टन	4,762	4,834	2,457	3,058
कुल आयात	मी.टन	12,256	13,067	10,107	10,099

84. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा में जांच की अवधि सहित क्षति जांच की अवधि के दौरान गिरावट की प्रवृत्ति दर्शाई गई है।

ii. सापेक्ष सन्दर्भ में संबद्ध देशों के आयात

85. यह देखा गया है कि वर्ष 2018-19 तक उत्पादन और मांग के संदर्भ में संबद्ध देशों से आयातों में वृद्धि हुई है और उसके बाद जांच की अवधि के दौरान गिरावट आई है।

निम्नलिखित के संदर्भ में आयात	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि
कुल आयात	%	61.15	63.01	75.69	69.72
कुल मांग	%	***	***	***	***
कुल भारतीय उत्पादन	%	***	***	***	***
कुल भारतीय उत्पादन	सूचीबद्ध	100	115	108	104

ज.3.3 पाटित आयातों का कीमत संबंधी प्रभाव

86. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में, यह विश्लेषण करना अपेक्षित है कि क्या भारत में समान उत्पादों की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा एक महत्वपूर्ण कीमत कटौती हो रही है अथवा क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों पर अन्यथा दबाव डालने अथवा कीमत में वृद्धि को रोकने के लिए है, जो सामान्य स्थिति में हो गई होती। घरेलू उद्योग की कीमतों पर संबद्ध देशों से पाटित आयातों के संबंध में प्रभाव की कीमत कटौती, कीमत दबाव और कीमत ह्रास, यदि कोई हो, के संबंध में जांच की गई है। इस विश्लेषण के प्रयोजन से उत्पादन की लागत, निवल बिक्री वसूली (एनएसआर) और घरेलू उद्योग की एनआईपी की, संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों की पहुंच कीमत के साथ तुलना की गई है।

क. कीमत कटौती

87. कीमत कटौती विश्लेषण के प्रयोजन के लिए, घरेलू उद्योग की निवल बिक्री कीमत की, संबद्ध देशों से आयातों के पहुंच मूल्य के साथ तुलना की गई है। तदनुसार, संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कीमत कटौती प्रभाव का इस प्रकार आकलन किया गया है:

देश	पहुंच कीमत रु./मी.टन	जांच की अवधि एनएसआर रु./मी.टन	कीमत कटौती रु./मी.टन	कीमत कटौती %	रेंज
चीन जन.गण.	4,81,795.70	***	***	***	0-10
कोरिया गणराज्य	4,39,506.59	***	***	***	10-20
मलेशिया	3,99,664.43	***	***	***	20-30
नेपाल	4,08,060.76	***	***	***	15-25
श्रीलंका डीएसआर	4,43,156.84	***	***	***	10-20
थाईलैंड	4,81,293.08	***	***	***	0-10
संबद्ध देश	4,40,078.88	***	***	***	10-20

88. उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि संबद्ध देशों से आयात, घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम कीमतों पर हैं। जांच की अवधि के दौरान कीमत कटौती प्रत्येक संबद्ध देश के लिए सकारात्मक है।

ख. कीमत ह्रास और दबाव

89. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित आयातों से घरेलू कीमतों पर दबाव पड़ रहा है और क्या ऐसे आयातों का प्रभाव एक महत्वपूर्ण मात्रा में कीमतों का ह्रास करने अथवा कीमतों में वृद्धि को रोकने के लिए है, जो सामान्य स्थिति में अन्यथा हो गई होती, क्षति अवधि के दौरान लागतों और कीमतों में बदलाव की इस प्रकार से तुलना की गई है:-

विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि
बिक्रियों की लागत	रु./मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	117	126	127
बिक्री कीमत	रु./मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	117	123	119
पहुंच कीमत	रु./मी.टन	3,62,664	4,25,126	4,66,112	4,40,079
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	117	129	121

90. यह देखा जा सकता है:-

- क. संबद्ध देशों से आयात जांच की अवधि सहित क्षति जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्रियों की लागत से कम कीमतों पर हैं।

ख. उत्पादन की लागत और बिक्री की कीमत की तुलना यह दर्शाती है कि जांच की अवधि में बिक्री कीमत में गिरावट आई जबकि जांच की अवधि में उत्पादन की लागत में वृद्धि हुई है।

91. इस प्रकार से यह देखा गया है कि आयातों से बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों का हास और दबाव पड़ रहा है।

ज.3.4 घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदण्ड

92. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II में यह अपेक्षा होती है कि क्षति का निर्धारण करने में ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर पाटित आयातों के अनुवर्ती प्रभाव की वस्तुपरक जांच करना शामिल होगा। ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर पाटित आयातों के अनुवर्ती प्रभाव के संबंध में नियमावली में यह भी प्रावधान होता है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में उन सभी प्रासंगिक आर्थिक कारकों एवं सूचकों का वस्तुपरक एवं निष्पक्ष मूल्यांकन करना शामिल होना चाहिए जिनका बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्सा, उत्पादकता, निवेशो पर लाभ अथवा क्षमता के उपयोग सहित उद्योग की स्थिति; घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारकों; नकद प्रवाह, सामान-सूचियों, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की सामर्थ्य पर प्रभाव हो। घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति मापदण्डों के बारे में इसमें नीचे विचार-विमर्श किया है।

93. हितवद्ध पक्षकारों द्वारा अपने अनुरोधों में दिए गए विभिन्न तथ्यों एवं तर्कों को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी ने क्षति से संबंधित मापदण्डों की जांच की है।

क. उत्पादन, क्षमता, बिक्री और क्षमता उपयोग

94. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, बिक्री एवं क्षमता उपयोग का ब्यौरा निम्नलिखित सारणी में दिया गया है:-

विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि
प्रतिस्थापित क्षमता	मी.टन	***	***	***	***
सूचीबद्ध		100	100	100	100
जॉब वर्क सहित उत्पादन की मात्रा	मी.टन	***	***	***	***
सूचीबद्ध		100	94	105	95
जॉब वर्क सहित उत्पादन की मात्रा	मी.टन	***	***	***	***
सूचीबद्ध		100	89	100	90
जॉब वर्क उत्पादन	मी.टन	***	***	***	***
सूचीबद्ध		100	109	119	109
क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
सूचीबद्ध		100	93	104	93
घरेलू बिक्री	मी.टन	***	***	***	***
सूचीबद्ध		100	90	95	83
निर्यात बिक्री	मी.टन	***	***	***	***
सूचीबद्ध		100	81	131	125

95. उपर्युक्त सारणी से निम्नलिखित अवलोकन किया है:-

- क. घरेलू उद्योग का उत्पादन, घरेलू बिक्री, क्षमता उपयोग और निर्यात बिक्रियों में वर्ष 2017-18 में पहले गिरावट हुई, फिर वर्ष 2018-19 में सुधार हुआ और उसके बाद जांच की अवधि के दौरान गिरावट हुई।
- ख. घरेलू उद्योग की क्षमता क्षति अवधि के दौरान स्थिर रही है।
- ग. जांच अवधि के दौरान उत्पादन और घरेलू बिक्रियों में गिरावट विचाराधीन उत्पादन के लिए मांग में हुई गिरावट के अनुरूप है।
- ख. बाजार हिस्सा

96. घरेलू उद्योग का तथा आयातों का बाजार हिस्सा नीचे दी गई सारणी में दिखाया है:-

विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि
मांग में बाजार हिस्सा					
घरेलू उद्योग की बिक्रिया	%	***	***	***	***
रेंज	%	30-40	30-40	30-40	30-40
अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्रियां	%	***	***	***	***
रेंज	%	40-50	40-50	40-50	40-50
कुल भारतीय उत्पादक	%	***	***	***	***
रेंज	%	75-85	75-85	75-85	75-85
संबद्ध देश	%	12.28	13.73	13.86	13.52
अन्य देश	%	7.80	8.06	4.45	5.87
कुल मांग	%	100.00	100.00	100.00	100.00

97. यह नोट किया जाता है कि:-

- क. घरेलू उद्योग और भारतीय उत्पादकों के बाजार हिस्से में जांच की अवधि के दौरान हल्की सी गिरावट होने के साथ वर्ष 2018-19 तक समग्र रूप से सुधार हुआ।
- ख. संबद्ध देशों से आयातों के बाजार हिस्से में जांच की अवधि के दौरान हल्की सी गिरावट होने के साथ वर्ष 2018-19 तक सुधार हुआ।
- ग. लाभ/हानि, नकद प्रवाह, नियोजित पूंजी पर लाभ:

98. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की लाभप्रदता, निवेश पर लाभ एवं नकद लाभों के बारे में नीचे सारणी में दिया गया है:-

विवरण	यूओएम	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि
विक्रय मूल्य	₹/मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	117	123	119
लागत	₹/मी.टन	***	***	***	***

प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	117	126	127
लाभ/हानि	₹/मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	108	76	(19)
लाभ/हानि	₹ लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	97	73	(16)
नकद लाभ	₹ लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	83	10
आरओसीई	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	89	73	16

99. यह नोट किया जाता है कि:-

- क. जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को हानियां हुई थी।
 ख. पूर्ववर्ती वर्षों की तुलना में जांच अवधि के दौरान नकद लाभों तथा आरओसीई में काफी गिरावट हुई।

घ सामान-सूचियां

100. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के पास सामान-सूची की स्थिति नीचे सारणी में दी गई है:-

विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि
औसत स्टॉक	मी.टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	100	127	151	172
प्रारंभिक स्टॉक	मी.टन	***	***	***	***
अन्तशेष:	मी.टन	***	***	***	***

101. यह देखा गया है कि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की वस्तु सूचियों में काफी बढ़ोतरी हुई है। इनके संग्रहण की वजह से घरेलू उद्योग को कठिनाई हो रही है।

ड. उत्पादकता

102. उत्पादकता के संबंध में घरेलू उद्योग का निष्पादन नीचे दिए अनुसार था:-

विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि
प्रति दिन उत्पादकता	मी.टन/दिन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	100	89	100	90
प्रति कर्मचारी उत्पादकता	मी.टन/कर्मचारी	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	78	86	77

103. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग की प्रति दिन की उत्पादकता और प्रति कर्मचारी उत्पादकता में वर्ष 2017-18 में गिरावट हुई, वर्ष 2018-19 में बढ़ोतरी हुई और जांच अवधि के दौरान गिरावट हुई।

च. रोजगार और मजदूरी:

104. क्षति अवधि के दौरान रोजगार, उत्पादकता और मजदूरियों के संबंध में घरेलू उद्योग का निष्पादन नीचे दिए अनुसार था:-

विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि
कर्मचारियों की संख्या	सं.	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	115	117	117
मजदूरियां		***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	115	131	95

105. यह देखा गया है कि क्षति अवधि के दौरान कर्मचारियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। मजदूरियों में क्षति अवधि के दौरान बढ़ोतरी हुई है लेकिन जांच की अवधि के दौरान इनमें गिरावट हुई।

छ. वृद्धि

विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि
बिना जॉब वर्क उत्पादन (मी.टन)	%		-11	13	-11
बिना जॉब घरेलू बिक्रिया (मी.टन)	%		-10	6	-12
बिक्री लागत(₹/मी.टन)	%		17	8	1
बिक्री मूल्य (₹/मी.टन)	%		17	6	-4
लाभ/हानि(₹/मी.टन)	%		8	-29	-124
आरओसीई (%)	%		-12	-20	-75

106. घरेलू उद्योग के उत्पादन, घरेलू बिक्रियों तथा क्षमता उपयोग में वर्ष 2018-19 तक सुधार हुआ, और उसके बाद, जांच अवधि के दौरान गिरावट आयी। जांच अवधि के दौरान उत्पादन और घरेलू बिक्रियों में गिरावट विचाराधीन उत्पाद की मांग में हुई गिरावट के अनुरूप है। जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को हानियां हुईं। पूर्ववर्ती वर्षों की तुलना में जांच की अवधि के दौरान नकद लाभों तथा आरओसीई में गिरावट हुई।

ज. पूंजी निवेश जुटाने की सामर्थ्य:

107. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की लाभप्रदता विकृत हुई है और इस विकृति से पूंजी निवेश जुटाने के लिए आवेदक घरेलू उद्योग की सामर्थ्य पर प्रभाव अवश्य पड़ेगा।

झ. पाटन मार्जिन की मात्रा:

108. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध वस्तुओं का भारत में पाटन किया जा रहा है और पाटन मार्जिन सकारात्मक एवं पर्याप्त है।

ज. कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक:

109. संबद्ध देशों से आयात कीमतों की जांच, लागत ढांचे में बदलाव, घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्धा, पाटित आयातों के अलावा अन्य कारक, जो घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रभावित कर सकते हैं, यह दर्शाएंगे कि संबद्ध देशों से आयातित सामग्री का पहुंच-मूल्य घरेलू उद्योग के विक्रय मूल्य के लिए बेंचमार्क हैं। वास्तव में, घरेलू उद्योग आयात कीमत से मिलान कर रहा है और उसने लागतों में हुई बढ़ोतरी के अनुपात में अपनी कीमतों में बढ़ोतरी नहीं की है। यह इस बात को दर्शाता है कि आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतें प्रभावित हो रही हैं।

ज.3.5 क्षति का समग्र निष्कर्ष

110. संबद्ध उत्पाद के आयातों की जांच और घरेलू उद्योग का निष्पादन यह दर्शाता है कि:-

- क. पीओआई सहित जांच की अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद की मांग में गिरावट होने की प्रवृत्ति दर्शायी है।
- ख. पीओआई सहित क्षति जांच अवधि के दौरान संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा में गिरावट होने की प्रवृत्ति दर्शायी है।
- ग. पीओआई के दौरान प्रत्येक संबद्ध देश के लिए कीमत में कटौती सकारात्मक है।
- घ. घरेलू उद्योग के उत्पादन, घरेलू बिक्रियों और क्षमता उपयोग में वर्ष 2018-19 तक सुधार हुआ और उसके बाद में पीओआई के दौरान गिरावट हुई। पीओआई के दौरान उत्पादन और घरेलू बिक्रियों में गिरावट विचाराधीन उत्पाद की मांग में हुई कमी के अनुरूप है।
- ड. घरेलू उद्योग को पीओआई के दौरान हानियां हुईं।
- च. पूर्ववर्ती वर्षों की तुलना में पीओआई के दौरान नकद लाभों और आरओसीई में काफी कमी हुई।

ज.3.6 उत्तरदायी न ठहराने संबंधी विश्लेषण

111. नियमावली के अनुसार, प्राधिकारी को, अन्य बातों के साथ-साथ, पाटित आयातों के अलावा ऐसे किन्हीं ज्ञात कारकों की जांच करनी होती है, जो घरेलू उद्योग को उस समय क्षति पहुंचा रहे हैं, ताकि इन अन्य कारकों की वजह से हुई क्षति को पाटित आयातों के लिए उत्तरदायी न ठहराया जा सके।

अन्य ज्ञात कारक और कारणात्मक संबंध

112. इस संबंध में जो संगत कारक हो सकते हैं, उनमें अन्य बातों के साथ-साथ पाटित कीमतों पर न बेचे गए आयातों की मात्रा और कीमतें, मांग में कमी अथवा खपत के पैटर्न में बदलाव विदेशी और घरेलू उत्पादकों की व्यापार संबंधी प्रतिबंधक प्रथाएं और उन उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा, प्रौद्योगिकी में विकास और निर्यात निष्पादन एवं घरेलू उद्योग की उत्पादकता शामिल हैं। नीचे इस बात की जांच की गई है कि क्या पाटित आयातों के अलावा अन्य कारकों से घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती है।

क. तृतीय देशों से आयातों की मात्रा और कीमत:

113. अधिक कीमतें होने के कारण भी यूरोपीय संघ (ईयू) से उत्पाद के आयातों से घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हो रही है।

ख. मांग में कमी

114. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पीओआई सहित क्षति जांच की अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं की मांग में कमी आयी है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पी ओ आई सहित संपूर्ण क्षति जांच अवधि में संबद्ध वस्तु की मांग में गिरावट आई है। तथापि, मांग में गिरावट का प्रभाव इतना अधिक नहीं है जिससे पाटित आयातों और लाभ प्रतिशतता की मापदंडों के संबंध में घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति के बीच कारणात्मक संबंध को तोड़ा जा सके।

ग. खपत के पैटर्न में बदलाव

115. तांबे और तांबे मिश्रित धातु वाले फ्लैट रोल्ड उत्पादों के कुछ उपभोक्ता अधिक मूल्य के विशेष मिश्रित धातु के उत्पादों की ओर बढ़ गए हैं। ऐसे अधिक मूल्य वाले उत्पादों का मुख्य रूप से ऑटो-सेक्टर में उपयोग किया जाता है।

घ. विदेशी और घरेलू उत्पादकों की व्यापार संबंधी प्रतिबंधक प्रथाएं और उनके बीच में प्रतिस्पर्धा

116. संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर किसी तरह से कोई प्रतिबंध नहीं है और इनका देश में स्वच्छंद रूप से आयात किया जा सकता है। विदेशी और घरेलू उत्पादकों के बीच में प्रतिस्पर्धा की शर्तों में किसी प्रकार का परिवर्तन हुआ है, इस बारे में सुझाव देने के लिए किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ड. प्रौद्योगिकी में विकास

117. प्रौद्योगिकी में परिवर्तन होने की वजह से घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती है, इस बात को सार्थक रूप से दर्शाने के लिए किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है। फ्लैट रोल्ड उत्पाद और ड्रान उत्पाद दोनों का ही भारत में उपयोग किया जाता है। इसके अलावा, प्रक्रिया में अन्तर होने से अलग-अलग उत्पाद नहीं बनते हैं। यह केवल अलग-अलग प्रक्रियाओं से एक ही उत्पाद का उत्पादन करने का मामला है। कानून एवं प्रथा के तहत यह अच्छी तरह से समझा गया था कि जब तक परिणामी उत्पाद अलग-अलग नहीं होते हैं, तब तक उत्पादन प्रक्रिया में अन्तर होना कोई महत्व नहीं रखता है। हितबद्ध पक्षकारों ने यह सुनिश्चित नहीं किया है कि अलग-अलग प्रक्रियाओं से उत्पादित उत्पाद तकनीकी और वाणिज्यिक दृष्टि से अलग-अलग उत्पाद हैं। उत्पाद के विभिन्न मानदण्डों के आधार पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उत्पाद तकनीकी और वाणिज्यिक दृष्टि से अलग-अलग उत्पाद हैं।

च. निर्यात संबंधी निष्पादन

118. प्राधिकारी ने घरेलू प्रचालनों की क्षति का विश्लेषण करने के लिए ही इसके आंकड़ों के बारे में विचार किया है।

छ. घरेलू उद्योग के द्वारा उत्पादित एवं बेचे जा रहे उत्पादों का निष्पादन

119. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित एवं बेचे जा रहे अन्य उत्पादों का निष्पादन घरेलू उद्योग के लिए क्षति होने का संभव कारण होना प्रतीत नहीं होता है क्योंकि प्राधिकारी ने विश्लेषण के लिए ही विचाराधीन उत्पाद के आंकड़ों पर विचार किया है।

ज.3.7 कारणात्मक संबंध स्थापित करने वाले कारक:

120. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि:-

- क) सभी संबद्ध देशों के लिए पाटन मार्जिन न्यूनतम सीमा से अधिक है।
- ख) पीओआई सहित जांच की अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद की मांग में गिरावट होने की प्रवृत्ति दर्शायी है। तथापि, मांग में गिरावट का प्रभाव इतनी अधिक नहीं है जिससे पाटित आयातों और लाभ प्रतिशतता की मापदंडों के संबंध में घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति के बीच कारणात्मक संबंध को तोड़ा जा सके।
- ग) पीओआई सहित क्षति जांच अवधि के दौरान संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा में गिरावट होने की प्रवृत्ति दर्शायी है।
- घ) पीओआई के दौरान प्रत्येक संबद्ध देश के लिए कीमत में कटौती सकारात्मक है।
- ड.) घरेलू उद्योग के उत्पादन, घरेलू बिक्रियों और क्षमता उपयोग में वर्ष 2018-19 तक सुधार हुआ और उसके बाद में पीओआई के दौरान गिरावट हुई। पीओआई के दौरान उत्पादन और घरेलू बिक्रियों में गिरावट विचाराधीन उत्पाद की मांग में हुई कमी के अनुरूप है।
- च) घरेलू उद्योग को पीओआई के दौरान हानियां हुईं।

छ) पूर्ववर्ती वर्षों की तुलना में पीओआई के दौरान नकद लाभों और आरओसीई में काफी कमी हुई।

झ. क्षति मार्जिन की मात्रा:

121. प्राधिकारी ने यथा-संशोधित अनुबंध-III के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली में निर्धारित सिद्धान्तों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए क्षति रहित कीमत (एनआईपी) का निर्धारण किया है। विचाराधीन उत्पाद की क्षतिरहित कीमत का निर्धारण जांच की अवधि की उत्पादन लागत संबंधी सूचना/आंकड़ों को स्वीकार करके किया गया है। क्षति मार्जिन की गणना करने के लिए संबद्ध देश से पहुंच मूल्य की तुलना करने हेतु क्षति रहित कीमत पर विचार किया गया है। क्षति रहित कीमत का निर्धारण करने के लिए विचाराधीन उत्पाद हेतु नियोजित औसत पूंजी (अर्थात् औसत चल पूंजी जमा औसत निवल स्थिर परिसम्पत्तियों) पर उचित लाभ (कर पूर्व 22 प्रतिशत की दर से) पूर्व कर लाभ के रूप में अनुमति दी गई थी।
122. संबद्ध देशों से सभी असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर पहुंच मूल्य का निर्धारण किया है।
123. यथा-उपरोक्त निर्धारित पहुंच मूल्य और क्षतिरहित कीमत के आधार पर उत्पादकों/निर्यातकों के लिए क्षति मार्जिन का निर्धारण किया गया है और नीचे दी गई सारणी में इसका प्रावधान है:-

संबद्ध देश	पहुंच मूल्य (यूएसडॉलर/मी.टन)	क्षति रहित कीमत (यूएसडॉलर/मी.टन)	क्षति मार्जिन (यूएसडॉलर/मी.टन)	क्षति मार्जिन (%)	क्षति मार्जिन रेंज
चीन जन.गण.					
1. मै. निंगबो जिंग्येशेंगटार्डग्रुप कं. लि., चीन जन.गण.	***	***	***	***	0-10
2. मै. निंगबो जिंग्येजिंटार्ड न्यू इलेक्ट्रानिक मैटिरियल कं. लि., चीन जन.गण.					
अन्य सभी	***	***	***	***	5-15
कोरिया	***	***	***	***	
मै. पूंगसन कारपोरेशन	***	***	***	***	नगण्य
अन्य सभी	***	***	***	***	5-15
मलेशिया	***	***	***	***	
मै. लुआता मलेशिया एसडीएनबीएचडी मलेशिया	***	***	***	***	5-15
अन्य सभी	***	***	***	***	10-20
नेपाल	***	***	***	***	
मै. हुलास वायर	***	***	***	***	5-15

इंडस्ट्रीज लि.					
अन्य सभी	***	***	***	***	5-15
थाइलैंड	***	***	***	***	
मै. सियाम पूंगसन मेटल कं. लि., थाइलैंड	***	***	***	***	0-10
अन्य सभी	***	***	***	***	5-15
श्रीलंका	***	***	***	***	
अन्य	***	***	***	***	5-15

ज. प्रकटन पश्चात की टिप्पणियां

124. प्रकटन विवरण प्राधिकारी द्वारा 01.04.2021 को जारी किया गया जिसमें मामले के अनिवार्य तथ्य प्रकट किए गए और सभी हितबद्ध पक्षकारों से उन पर टिप्पणियां मांगी गईं। प्रकटन पश्चात के अनुरोध हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त हुए हैं। इनमें उठाए गए अधिकांश मुद्दे दोहराए गए हैं और उन्हें पहले ही उठाया गया और उनका उचित समाधान किया गया है। अतिरिक्त अनुरोधों की संगत समझी सीमा तक निम्नानुसार जांच की गई है।

ज.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

125. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में प्राधिकारी की संमूक्तियां सही हैं।
- घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति के संबंध में प्राधिकारी की संमूक्तियां सही हैं। भारत में कुल उत्पादन और आवेदक की स्थिति निर्धारित करने के प्रयोजनार्थ उपलब्ध सूचना पर भरोसा करना सही है।
- उपायों के लागू होने से संबद्ध देशों से आयात किसी भी तरह से प्रतिबंधित नहीं होंगे और उपभोक्ताओं को उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी। उपभोक्ता अब भी दो या उससे अधिक आपूर्ति के स्रोत रख सकते हैं।
- प्रस्तावित पाटनरोधी शुल्क को लगाने से अंतिम उत्पाद पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा और इसे लगाना बृहत्तर जनहित में होगा।
- क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में निर्दिष्ट प्राधिकारी की संमूक्तियों के संबंध में कोई अतिरिक्त अनुरोध नहीं है। प्राधिकारी ने पहले ही पाया है कि आयातों से घरेलू उद्योग कीमतों में काफी अधिक कटौती हो रही है।
- शुल्क को सी आई एफ कीमत से प्रतिशत के रूप में व्यक्त मूल्यानुसार आधार पर लगाया जाए क्योंकि (क) एल एम ई में परिवर्तन बारंबार आधार पर होते हैं और (ख) संबद्ध वस्तुओं के विभिन्न पी सी एन हैं। यदि ए डी डी स्थिर मात्रा के आधार पर रखा जाता है तो उसका अर्थ उच्च कीमत उत्पाद किस्म के लिए कम संरक्षण देना और कम कीमत पर उत्पाद किस्मों को अधिक संरक्षण देना होगा।

ज.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

126. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :

- प्राधिकारी किसी आंकड़े विशेष के आधार पर कोई जांच शुरू नहीं कर सकते हैं और तत्पश्चात घरेलू उद्योग के अद्यतन सूचना नहीं मांग सकते हैं।

- ii. प्राधिकारी को प्रश्नावली के उत्तर में प्रदत्त सूचना के अनुसार उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य परिकलित करना चाहिए।
- iii. हम प्राधिकारी द्वारा हुलास के लिए परिकलित एन ई पी से सहमत हैं। तथापि, चार पी सी एन में से तीन के लिए सामान्य मूल्य के परिकलन में कुछ त्रुटि लगती है।
- iv. प्राधिकारी के लिए ए डी नियमावली के नियम 17(1)(ख) के अनुसार कमतर शुल्क नियम का पालन करना अपेक्षित है। प्राधिकारी ने प्रकटन विवरण में निर्धारित किया था कि क्षति मार्जिन पाटन मार्जिन से कम है इसलिए पाटनरोधी शुल्क क्षति मार्जिन से अधिक नहीं हो सकता है। किसी भी तरह से प्राधिकारी यदि बाद में क्षति मार्जिन या पाटन मार्जिन निर्धारण में कोई परिवर्तन करते हैं तो उन्हें संशोधित प्रकटन विवरण जारी करना चाहिए और हितबद्ध पक्षकारों को टिप्पणी देने का अवसर देना चाहिए।
- v. ए डी नियमावली के नियम 14(ड.) के अनुसार प्राधिकारी को जांच समाप्त कर देनी चाहिए। यदि क्षति नगण्य हो। यदि क्षति का मार्जिन उत्पादक/निर्यातक की तुलना में काफी कम हो तो जांच को ऐसे उत्पादक/निर्यातक के विरुद्ध समाप्त कर देना चाहिए।
- vi. घरेलू उद्योग की उत्पादन क्षमता से संबंधित साक्ष्यों को प्रकटन न करने और घरेलू उद्योग के दावों में विसंगति पर प्राधिकारी को ध्यान देना चाहिए। हितबद्ध पक्षकारों के पास घरेलू उद्योग द्वारा दावा किए गए उत्पादन और उत्पाद किस्मों के विपरीत से संबंधित साक्ष्य नहीं हैं।
- vii. प्राधिकारी को अपनी संगत परिपाटी के अनुसार ऐसे उत्पादकों पी यू सी के दायरे में शामिल करना चाहिए जो घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित होते हैं। घरेलू उद्योग ने स्वयं अपनी वेबसाइट पर बताया है कि वे इसी मोटाई, चौड़ाई आदि विशेष से अधिक की संबद्ध वस्तु का उत्पादन नहीं करते हैं। इस संबंध में साक्ष्य पहले ही रिकार्ड में उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग ने स्वयं स्वीकार किया है कि उनके पास केवल विशेष चौड़ाई और मोटाई तक की संबद्ध वस्तु के उत्पादन हेतु क्षमता है।
- viii. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग से इस दावे पर काफी अधिक भरोसा किया है कि भारतीय उत्पादन के संबंध में सार्वजनिक रूप से कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। हितबद्ध पक्षों ने यह तर्क दिया है कि मलेशिया, थाईलैंड और वियतनाम से कॉपर ट्यूबों और पाइपों के आयातों के संबंध में प्राधिकारी द्वारा एक समानांतर प्रतिकारी शुल्क जांच में बाम्बे मेटल एक्सचेंज ने घरेलू उद्योग के उत्पादन संबंधी सूचना प्राप्त की है। ऐसा इस बात के होते हुए है कि उक्त मामले में घरेलू उद्योग भी एम एस एम ई और गैर-लौह धातु क्षेत्र है। प्राधिकारी को घरेलू उद्योग संबंधी सूचना में कमियों को पूरा करने के लिए वर्तमान जांच में बांबे मेटल एक्सचेंज को बुलाना चाहिए।
- ix. याचिकाकर्ता की स्थिति घरेलू उद्योग की समग्र स्थिति की प्रतिनिधि नहीं है और याचिकाकर्ताओं ए डी नियमावली के नियम 2(ख) के अंतर्गत घरेलू उद्योग नहीं माना जाना चाहिए। वर्तमान मामले में समर्थकों ने इन वर्षों के दौरान उत्पादन में निरंतर वृद्धि दर्ज की है और समर्थकों द्वारा उत्पादन की अलग-अलग प्रवृत्ति याचिकाकर्ता की स्थिति से बिल्कुल विपरीत रूझान दर्शाती है।
- x. समर्थक उत्पादकों द्वारा व्यापार सूचना संख्या 13/2018 के अनुसार प्रकटन अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं करने से प्राधिकारी इस बात का आकलन नहीं करता है कि क्या घरेलू उद्योग को समग्र रूप से क्षति हुई और प्राधिकारी इस बात के कारण पर भी विचार नहीं सके हैं कि समर्थक सह याचिकाकर्ता क्यों नहीं बने थे। प्राधिकारी को समर्थकों के सूचना के अभाव में वास्तविक क्षति के संबंध में घरेलू उद्योग के दावे को पुनः आकलन करना चाहिए।
- xi. अनिवार्य तथ्य चीन जन. गण. से आयातों के कारण किसी मात्रात्मक प्रभाव का प्रकटन नहीं करते हैं। चीन से आयातों की मात्रा में 2017-18 और पी ओ आई के बीच 30 प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई है।
- xii. चीन जन. गण. से आयातों के कारण कोई कीमत प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि वहां से आयातित पी यू सी की कीमत क्षति जांच अवधि के दौरान बढ़ी है। चीन जन. गण. से पी यू सी के आयात कीमत 2016-17 में 3,54,944 आईएनआर/एमटी से बढ़कर पी ओ आई में 4,67,354 आईएनआर/एमटी हो गई है। संबद्ध

- देशों से पी यू सी की समग्र आयात कीमत में भी इस अवधि में वृद्धि हुई है। प्राधिकारी को नोट करना चाहिए कि यद्यपि अन्य संबद्ध देशों से पी यू सी पर शून्य सीमा शुल्क है। तथापि, चीन के आयातों पर सीमा शुल्क लागू है और इसलिए चीन जन. गण. से पी यू सी का पहुंच मूल्य संबद्ध देशों की तुलना में अधिक है।
- xiii. चीन के आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आपूर्ति की गई संबद्ध वस्तु घरेलू उद्योग के उत्पाद की तुलना में टेंपर, ग्रेन आकार और गुणवत्ता, संगतता, प्लेटिंग के लिए सतह फिनिश के महत्वपूर्ण होने आदि की दृष्टि से काफी बेहतर है।
- xiv. पी यू सी की सहनशीलता सीमाओं को उत्पाद अपवर्जन के प्रयोजनार्थ परिभाषित करना चाहिए। घरेलू उत्पादकों को आयामी सहनशीलता के संबंध में प्रयोक्ता के विनिर्देशन अपेक्षा को पूरा करने में समस्याएं हो रही हैं।
- xv. चीन जन. गण. से पी यू सी के आयात घरेलू उद्योग से प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहे हैं क्योंकि चीन के उत्पादक/निर्यातक उच्च मूल्य के विशेष मिश्र धातु उत्पादों के लिए भारतीय मांग को पूरा करने हेतु संबद्ध वस्तु के मध्यम और उच्च स्तर पर पहुंच गए हैं। घरेलू उद्योग ने स्वयं माना है कि वह ऐसे उच्च मूल्य के उत्पादों का उत्पादन नहीं करता है। तदनुसार, प्राधिकारी का निष्कर्ष होना चाहिए कि चीन जन. गण. से पी यू सी के आयात घरेलू उद्योग से प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहे हैं।
- xvi. संचयी आकलन की अपेक्षा यह है कि आयातित वस्तुएं परस्पर एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करें। प्राधिकारी द्वारा विभिन्न देशों से आयातों के बीच परस्पर प्रतिस्पर्धा की मौजूदगी को सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है।
- xvii. घरेलू उद्योग का जॉब वर्क उत्पादन में वृद्धि हुई है और उत्पादन में गिरावट जॉब वर्क (घरेलू उद्योग का आंशिक उत्पादन) के बिना उत्पादन में भारी गिरावट के कारण हुई है। इससे घरेलू उद्योग में अंतरनिहित ढांचागत कमियों का पता चलता है जिससे उसके कार्य निष्पादन में गिरावट आई और बिक्री लागत में वृद्धि हुई है।
- xviii. घरेलू उद्योग को क्षति और चीन जन. गण. के आयात के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं है। प्राधिकारी को चीन के आयातों द्वारा किसी कीमत ह्रास निष्कर्ष के पहले क्षति जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री लागत में वृद्धि के विशिष्ट कारणों की जांच करनी चाहिए।
- xix. प्राधिकारी को किसी एक घरेलू उत्पादक के अनुभव के आधार पर कीमत ह्रास का निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। कीमत ह्रास के दावों का आकलन करने से पहले समर्थक उत्पादकों से सूचना एकत्रित करनी चाहिए।
- xx. प्राधिकारी ने स्वयं नोट किया है कि घरेलू उद्योग और समग्र रूप से भारतीय उत्पादकों के बाजार हिस्से में 2018-19 तक सुधार हुआ है और पी ओ आई के दौरान संबद्ध देशों से आयातों के बाजार हिस्से में गिरावट आई है। घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग भी स्थिर रहा है और उत्पादन और बिक्री में गिरावट विचाराधीन उत्पाद की मांग में गिरावट के अनुरूप रही है।
- xxi. यद्यपि याचिकाकर्ताओं ने घाटों का दावा किया है। तथापि, उन्हें संबद्ध देशों के आयातों द्वारा सृजित किसी कीमत प्रभाव से जोड़ा नहीं जा सकता है।
- xxii. घरेलू उद्योग मांग में संकुचन से पीड़ित है। प्राधिकारी को अंतिम जांच परिणाम में पुष्टि करनी चाहिए कि घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन में गिरावट क्षति जांच अवधि के दौरान मांग में गिरावट के कारण हुई है। घरेलू उद्योग की उत्पादन मात्रा में गिरावट इसी अवधि के दौरान मांग में गिरावट की तुलना में काफी कम है।
- xxiii. याचिकाकर्ता द्वारा मात्रा और मूल्य दोनों मापदंडों के संबंध में दावा किए गए प्रतिकूल प्रभाव मांग में गिरावट से सीधे संबंधित है।

- xxiv. प्राधिकारी को अन्य कारकों जैसे घरेलू उद्योग के ह्रास पर भी गैर-आरोपण विश्लेषण में विचार करना चाहिए। मूल्यह्रास में 2016-17 में 100 सूचीबद्ध बिंदुओं से 2018-19 में 112 सूचीबद्ध बिंदुओं तक की वृद्धि हुई है।
- xxv. क्षति यदि कोई हो, के लिए घरेलू उद्योग द्वारा लिए गए गलत रणनीतिक निर्णय जिम्मेदार हैं। वस्तुतः आवेदक ने 2016-17 में अपने उत्पादन में 100 सूचीबद्ध बिंदुओं से 2018-19 में 105 सूचीबद्ध बिंदुओं तक वृद्धि करने का निर्णय लिया जबकि संबद्ध वस्तु की मांग घट रही थी।
- xxvi. प्राधिकारी ने यह विश्लेषण नहीं किया कि क्या श्रीलंका से आयात के कारण घरेलू उद्योग को क्षति/कारणात्मक संबंध हैं। डीजीटीआर ने इस तथ्य पर विचार नहीं किया कि श्रीलंका से आयात में भी दी गई अवधि के दौरान गिरावट आई है।
- xxvii. मै० सिमेट (प्रा०) निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर प्रदत्त निर्देशों के अनुसार प्रस्तुत करने में विफल रहे हैं क्योंकि अपेक्षाकृत छोटी कंपनी होने के कारण वे परामर्श की लागत का वहन करने में असमर्थ हैं इसलिए कंपनी ने स्वयं प्रश्नावली का उत्तर पूरा किया है और निर्देशों को गलत समझा है। अतः प्राधिकारी से श्रीलंकाई उद्योग द्वारा प्रस्तुत तथ्यों पर विचार करने और मै० सिमेट (प्रा०) के प्रश्नावली के संशोधित अंश पर पुनः विचार करने का अनुरोध किया जाता है।
- xxviii. प्राधिकारी को पाटन मार्जिन की गणना अर्थात् (i) डीजीटीआर द्वारा लागत परिकलन और (ii) सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का विस्तृत परिकलन प्रदान करना चाहिए। परिकलन को गोपनीय नहीं माना जा सकता है क्योंकि यह सूचना स्वयं हितबद्ध पक्षकारों की है।

ब.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

127. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पक्षकारों के अधिकांश अनुरोध दोहराई गई प्रकृति के हैं और उन पर प्रकटन विवरण में पहले ही ध्यान दिया गया था। यह जांच परिणाम वस्तुतः पक्षकारों के इन तर्कों पर भी ध्यान देता है। इसके अलावा, प्राधिकारी ने संगत सीमा तक हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों की निम्नानुसार जांच की है और कहीं और समाधान नहीं किया है।
- इस अनुरोध के संबंध में कि घरेलू उद्योग अद्यतन आंकड़े प्रस्तुत नहीं कर सकता है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा आवेदन अप्रैल, 2018 से सितंबर, 2019 (18 महीने) को जांच अवधि के रूप में मानते हुए प्रस्तुत किया गया था। जांच शुरूआत आधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा जांच अवधि में किए गए बदलाव के कारण घरेलू उद्योग ने अद्यतन सूचना प्रस्तुत की थी। घरेलू उद्योग द्वारा आंकड़ों में कोई संशोधन नहीं किया गया है। परंतु सूचना को केवल अद्यतन पी ओ आई हेतु प्रस्तुत किया गया है।
 - इस अनुरोध के संबंध में कि सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत को प्रश्नावली के उत्तर में प्रदत्त सूचना के आधार पर निर्धारित करना चाहिए, यह नोट किया गया है कि प्रत्येक देश के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के निर्धारण का आधार उचित कारणों सहित इस जांच परिणाम में पहले ही उपलब्ध कराया गया है।
 - इस अनुरोध के संबंध में कि उत्पादक/निर्यातक के लिए सामान्य मूल्य के परिकलन में कुछ त्रुटियां हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि उन्होंने जांच परिणाम में प्रत्येक संबद्ध देश के लिए सामान्य मूल्य के निर्धारणार्थ अपनाई गई पद्धति पहले ही सूचित की है। सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के परिकलन का गोपनीय अंश भी सभी भागीदारी उत्पादकों/निर्यातकों को दिया गया था। प्राधिकारी ने सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम और ए डी नियमावली के अंतर्गत संगत प्रावधानों के अनुसार और प्राधिकारी की संगत परिपाटी के अनुसार भी सभी भागीदार उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन परिकलित किया है।
 - इस अनुरोध के संबंध में किस प्राधिकारी को कमतर शुल्क नियम का पालन करना चाहिए। प्राधिकारी नोट करते हैं कि अंतिम जांच परिणाम में शुल्क तालिका में अनुशंसित पाटनरोधी शुल्क कमतर शुल्क नियम पर ही आधारित होता है।

- v. इस दावे के संबंध में कि उनकी वेबसाइट में विनिर्दिष्ट आयामों के बाहर के विचाराधीन उत्पाद को बाहर रखा जाना चाहिए। यह नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग ने बिक्री बीजक के रूप में दस्तावेजी साक्ष्य प्राप्त किए हैं जो सिद्ध करते हैं कि घरेलू उद्योग के पास उनकी वेबसाइट में दर्शाए गए आयामों से बाहर के पी यू सी विनिर्मित करने की क्षमता है। कतिपय आयामों के बाहर से उत्पादों को बाहर रखने की मांग करने वाले हितबद्ध पक्षकारों ने दूसरी ओर पर्याप्त साक्ष्य से यह दर्शाया है कि ऐसे आयामों के उत्पाद के लिए मांग है जिनके लिए अपवर्जन की मांग की जा रही है और यह कि घरेलू उद्योग ने ऐसे आयामों के उत्पादन में असमर्थता जतायी है। यह भी नोट किया गया है कि व्यापक रेंज के उत्पादों को बाहर रखने से हितबद्ध पक्षकारों को शुल्क प्रवचना का अवसर मिल जाएगा।
- vi. इस दावे के संबंध में कि समर्थकों की क्षति संबंधी सूचना का भी क्षति के आकलन हेतु विश्लेषण किया जाना चाहिए। प्राधिकारी नोट करते हैं कि समर्थक घरेलू उत्पादकों के लिए व्यापार सूचना 13/2018 में विहित सूचना प्राधिकारी को यह पता लगाने में सक्षम बनाती है कि क्या समर्थक घरेलू उत्पादकों को भी क्षति हुई है। चाहे उन्हें घरेलू उद्योग के भाग के रूप में शामिल नहीं किया गया हो। तथापि, ऐसी स्थिति में जहां समर्थक घरेलू उत्पादकों ने विहित प्रपत्र में संगत सूचना नहीं दी है, परंतु फिर भी आवेदन का समर्थन किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि जैसे समर्थकों आवेदक द्वारा प्रस्तुत याचिका का विरोधी नहीं माना जा सकता है। वर्तमान जांच में घरेलू उद्योग में एक मात्र उत्पादक अग्रवाल मेटल वर्क्स प्रा० लि० शामिल हैं और इसलिए प्राधिकारी ने आवेदक घरेलू उद्योग अग्रवाल मेटल वर्क्स प्रा० लि० द्वारा प्रदत्त सूचना पर वास्तविक क्षति के निर्धारण हेतु भरोसा किया है।
- vii. इस दलील के संबंध में कि घरेलू उत्पादन के संबंध में बांबे मेटल एक्सचेंज की सूचना को घरेलू उद्योग की स्थिति की जांच हेतु लिया जा सकता है। जैसा कि मलेशिया, थाईलैंड और वियतनाम से कॉपर पाइपों और ठूबों के आयातों संबंधी चल रही प्रतिसंतुलनकारी शुल्क जांच में किया गया है, यह नोट किया जाता है कि प्रत्येक जांच अद्वितीय और भिन्न होती जिसमें अलग तथ्य और परिस्थितियां शामिल होती हैं और एक जांच में अपनाई गई परिपाटी को दूसरी में अपनाना आवश्यक नहीं है।
- viii. इस दावे के संबंध में कि संबद्ध देशों से आयात की मात्रा में गिरावट आई है और यह कि संबद्ध देशों से आयात कीमतों में वृद्धि हुई है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि आयातों की मात्रा में गिरावट और आयात कीमत में वृद्धि मात्र वास्तविक क्षति के अभाव के संबंध में निर्णायक नहीं है। वास्तविक क्षति का आकलन घरेलू उद्योग के सभी आर्थिक मापदंडों वस्तुनिष्ठ विश्लेषण पर आधारित होना चाहिए। प्राधिकारी नोट करते हैं कि संगत आर्थिक मापदंडों के वस्तुनिष्ठ विश्लेषण से पहले ही जांच परिणाम में निर्धारित हुआ है कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हो रही है।
- ix. इस अनुरोध के संबंध में कि प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से आयातों के संचयी आकलन हेतु साक्ष्य नहीं उपलब्ध कराए हैं। यह नोट किया जाता है कि ए डी नियमावली के अनुबंध II (iii) संबद्ध आयातों के संचयी आकलन हेतु संभावना का प्रावधान है जब एक से अधिक देश से किसी उत्पाद के आयात एक साथ पाटनरोधी जांच के अधीन है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों ने यह सिद्ध करने के साक्ष्य नहीं प्रदान किए हैं कि ए डी नियमावली के अनुबंध I (iii) के अधीन विहित शर्तें वर्तमान जांच में पूरी नहीं की गई हैं।
- x. इस दावे के संबंध में कि घरेलू उद्योग अंतरनिहित ढांचागत कमियों, मांग में गिरावट और मूल्यहास में वृद्धि के कारण नुकसान उठा रहा है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्राधिकारी के लिए पाटित आयातों और घरेलू उद्योग को क्षति के बीच कारणात्मक संबंध का आकलन करना अपेक्षित है। आयातों और घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति के बीच कारणात्मक संबंध से पता चलता है कि पाटित आयातों ने घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन में गिरावट में अहम भूमिका निभाई है
- xi. सिमेट (प्रा०) द्वारा दायर प्रश्नावली के उत्तर से संबंधित दावे के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि मै० सिमेट प्रा० लि० द्वारा प्रस्तुत निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर विहित प्रपत्र के अनुसार नहीं है। इसके अलावा, कंपनी एक्सेल फार्मेट में संगत परिशिष्ट प्रस्तुत करने में विफल रही है। कंपनी प्राधिकारी द्वारा

मांगे गए संगत दस्तावेजों को प्रस्तुत करने में भी विफल रही है। अतः पूरी और सत्यपान योग्य सूचना के अभाव में प्राधिकारी उपलब्ध तथ्यों के आधार पर सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत निर्धारित करने के लिए बाध्य हैं।

- xii. गोपनीय पाटन मार्जिन परिकलन से संबंधित अनुरोध के संबंध में यह नोट किया गया है कि प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का गोपनीय परिकलन ए डी नियमावली के अनुसार और अपनी संगत परिपाटी के अनुरूप हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराया गया है।

ट. भारतीय उद्योग का हित

128. प्राधिकारी नोट करते हैं कि सामान्यतः पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य पाटन के अनुचित व्यापार व्यवहार द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली और उचित प्रतियोगिता की स्थिति पुनः स्थापित की जा सके जो देश के सामान्य हित में है। पाटनरोधी उपाय लागू करने से संबद्ध देशों से आयात किसी भी तरह से प्रतिबंधित नहीं होंगे तथा इसलिए उपभोक्ता को उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं करेंगे।
129. यह माना जाता है कि पाटनरोधी शुल्क लगाना संबद्ध वस्तुओं का प्रयोग करके निर्मित उत्पाद के कीमत स्तर को प्रभावित कर सकती है तथा परिणामतः इस उत्पाद के सापेक्ष प्रतिस्पर्धा पर कुछ प्रभाव डाल सकती है। तथापि, पाटनरोधी उपायों से भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा में कमी नहीं होगी विशेषकर यदि पाटनरोधी शुल्क उसी राशि तक सीमित हो जो घरेलू उद्योग की क्षति की भरपाई के लिए आवश्यक हो। इसके विपरीत, पाटनरोधी उपाय पाटन व्यवहार द्वारा अर्जित किए गए अनुचित लाभ समाप्त करेंगे, घरेलू उद्योग के निष्पादन में गिरावट समाप्त करेंगे तथा उपभोक्ताओं को संबद्ध वस्तुओं की विस्तृत विकल्प की उपलब्धता बनाए रखने में मदद करेंगे।

ठ. अंतिम प्रयोक्ताओं पर प्रभाव

130. तीन प्रयोक्ताओं अर्थात् (i) एफ सी आई ओईएन कनेक्टर्स लि० (ii) ए टी एंड एस इंडिया प्रा० लि० (iii) टरमिनल टेक्नोलॉजीस (आई) प्रा० लि० ने इस जांच की शुरुआत का उत्तर दिया है। एफ सी आई ओईएन कनेक्टर्स ने प्रयोक्ता प्रश्नावली का उत्तर दिया है परंतु प्रयोक्ता उद्योग पर पाटनरोधी उपाय पर संभावित प्रतिकूल प्रभाव संबंधी कोई विशिष्ट टिप्पणी नहीं की है। ए टी एंड एस इंडिया प्रा० लि० ने प्रयोक्ता उद्योग पर पाटनरोधी शुल्क के संभावित प्रतिकूल प्रभाव के संबंध में विशिष्ट दावा किया है। परंतु विहित प्रपत्र ने प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है और प्रतिकूल प्रभाव की मात्रा नहीं बतायी है। टरमिनल टेक्नोलॉजीस (आई) प्रा० लि० ने केवल हितबद्ध पक्षकार के रूप में स्वयं को पंजीकृत करने का एक पत्र दिया है और प्रयोक्ता उद्योग पर पाटनरोधी शुल्क के संभावित प्रभाव का कोई अनुरोध प्रस्तुत नहीं किया है।
131. इस प्रकार यह नोट किया जाता है कि भागीदार प्रयोक्ताओं ने या तो संभावित प्रतिकूल प्रभाव के बारे में कुछ नहीं बताया है या पाटनरोधी उपाय के लागू होने पर संभावित प्रतिकूल प्रभाव की मात्रा नहीं बतायी है। घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि इस उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क लगाने से अंतिम उत्पाद की लागत केवल 0.06-0.49% बढ़ जाएगी। किसी भी इच्छुक पार्टी ने घरेलू उद्योग के इस दावे का खंडन नहीं किया है।

ड. निष्कर्ष

132. हितबद्ध पक्षों द्वारा दी गई दलीलों प्रदत्त सूचना और अनुरोधों तथा उपर्युक्त निष्कर्षों में रिकार्ड के अनुसार प्राधिकारी के पास उपलब्ध तथ्यों को ध्यान में रखते हुए और पाटन तथा घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति के उक्त विश्लेषण के आधार पर प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि –

- क. संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद का पाटित कीमतों पर निर्यात किया गया है।
- ख. घरेलू उद्योग को वित्तीय घाटे उठाने पड़े हैं और उत्पादन, बिक्री तथा क्षमता उपयोग में गिरावट के अलावा पी ओ आई में नकद लाभ और आर ओ सी ई में गिरावट का भी सामना करना पड़ा है। घरेलू उद्योग को इस प्रकार वास्तविक क्षति हुई है।
- ग. विचाराधीन उत्पाद के पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति के बीच कारणात्मक संबंध है।

ढ. सिफारिशें

133. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की शुरुआत की गई थी और सभी हितबद्ध पक्षकारों को सूचित की गई तथा घरेलू उद्योग, निर्यातक, आयातक और अन्य हितबद्ध पक्षों को पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के पहलुओं संबंधी सूचना देने का अवसर प्रदान किया गया था। नियमावली के अनुसार पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध की जांच शुरू करने और संचालित करने के बाद और सकारात्मक पाटन मार्जिन तथा ऐसे पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति सिद्ध करने के बाद प्राधिकारी का विचार है कि पाटन और क्षति की भरपाई के लिए पाटनरोधी शुल्क लगाना आवश्यक है।
134. उपर्युक्त के मद्देनजर प्राधिकारी नियमावली के नियम 4(घ) के साथ पठित नियम 17 (1) (ख) में दिए गए प्रावधानों के अनुसार पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन में से कमतर के बराबर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं ताकि घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त किया जा सके। तदनुसार, प्राधिकारी चीन जन. गण., कोरिया गणराज्य, मलेशिया, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड के मूल के अथवा वहां से निर्यातित शुल्क तालिका के कॉलम 3 में वर्णित वस्तु के सभी आयातों पर नीचे तालिका से कॉलम 7 में इंगित राशि के बराबर पाटनरोधी शुल्क केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए लगाने की सिफारिश करते हैं।
135. इस प्रयोजनार्थ आयातों का पहुंच मूल्य सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत सीमा शुल्क द्वारा यथा निर्धारित आकलन योग्य मूल्य होगा और उस पर सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3, 3क, 8ख, 9, 9क के अंतर्गत शुल्कों के अतिरिक्त सीमा शुल्क के प्रयोज्य स्तर शामिल होंगे।

शुल्क सारणी

क्र. सं.	शीर्ष	विवरण	मूलता का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	राशि	इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	7409, 7410	कॉपर तथा कॉपर एलाय* के फ्लैट रोल्ड उत्पाद	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई देश	निन्बो जिन्ये शेगताई ग्रुप कं., लि०	42	एमटी	यूएस डॉलर
2.	7409, 7410	कॉपर तथा कॉपर एलाय* के फ्लैट रोल्ड उत्पाद	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई देश	निन्बो जिन्ये जिन्ताई न्यू इलेक्ट्रॉनिक मैटेरियल कं., लि०	42	एमटी	यूएस डॉलर
3.	7409, 7410	कॉपर तथा कॉपर एलाय* के फ्लैट रोल्ड उत्पाद	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई देश	क्र. सं. 1 और 2 के अलावा कोई उत्पादक	618	एमटी	यूएस डॉलर
4.	7409, 7410	कॉपर तथा कॉपर एलाय* के फ्लैट रोल्ड उत्पाद	चीन जन. गण., कोरिया गणराज्य, मलेशिया, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड के अलावा कोई देश	चीन जन. गण.	कोई	618	एमटी	यूएस डॉलर

क्र. सं.	शीर्ष	विवरण	मूलता का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	राशि	इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5.	7409, 7410	कॉपर तथा कॉपर एलाय* के फ्लैट रोल्ड उत्पाद	कोरिया गणराज्य	कोरिया गणराज्य सहित कोई देश	पूंगसान कारपोरशन	शून्य	एमटी	यूएस डॉलर
6.	7409, 7410	कॉपर तथा कॉपर एलाय* के फ्लैट रोल्ड उत्पाद	कोरिया गणराज्य	कोरिया गणराज्य सहित कोई देश	क्र. सं. 5 के अलावा कोई उत्पादक	651	एमटी	यूएस डॉलर
7.	7409, 7410	कॉपर तथा कॉपर एलाय* के फ्लैट रोल्ड उत्पाद	चीन जन. गण., कोरिया गणराज्य, मलेशिया, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड के अलावा कोई देश	कोरिया गणराज्य	कोई	651	एमटी	यूएस डॉलर
8.	7409, 7410	कॉपर तथा कॉपर एलाय* के फ्लैट रोल्ड उत्पाद	मलेशिया	मलेशिया सहित कोई देश	लुवाता मलेशिया एसडीएनबीएचडी	828	एमटी	यूएस डॉलर
9.	7409, 7410	कॉपर तथा कॉपर एलाय* के फ्लैट रोल्ड उत्पाद	मलेशिया	मलेशिया से इतर कोई देश	क्र. सं. 8 के अलावा कोई उत्पादक	1077	एमटी	यूएस डॉलर
10.	7409, 7410	कॉपर तथा कॉपर एलाय* के फ्लैट रोल्ड उत्पाद	चीन जन. गण., कोरिया गणराज्य, मलेशिया, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड के अलावा कोई देश	मलेशिया	कोई	1077	एमटी	यूएस डॉलर
11.	7409, 7410	कॉपर तथा कॉपर एलाय* के फ्लैट रोल्ड उत्पाद	नेपाल	नेपाल सहित कोई देश	हुलास वायर इंडस्ट्रीज लि०	429	एमटी	यूएस डॉलर
12.	7409, 7410	कॉपर तथा कॉपर एलाय* के फ्लैट रोल्ड उत्पाद	नेपाल	नेपाल से इतर कोई देश	क्र. सं. 11 के अलावा कोई उत्पादक	478	एमटी	यूएस डॉलर

क्र. सं.	शीर्ष	विवरण	मूलता का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	राशि	इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
13.	7409, 7410	कॉपर तथा कॉपर एलाय* के फ्लैट रोल्ड उत्पाद	चीन जन. गण., कोरिया गणराज्य, मलेशिया, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड के अलावा कोई देश	नेपाल	कोई	478	एमटी	यूएस डॉलर
14.	7409, 7410	कॉपर तथा कॉपर एलाय* के फ्लैट रोल्ड उत्पाद	थाईलैंड	थाईलैंड सहित कोई देश	सियाम पुंगसान मेटल कं. लि०	144	एमटी	यूएस डॉलर
15.	7409, 7410	कॉपर तथा कॉपर एलाय* के फ्लैट रोल्ड उत्पाद	थाईलैंड	थाईलैंड सहित कोई देश	क्र. सं. 14 के अलावा कोई उत्पादक	440	एमटी	यूएस डॉलर
16.	7409, 7410	कॉपर तथा कॉपर एलाय* के फ्लैट रोल्ड उत्पाद	चीन जन. गण., कोरिया गणराज्य, मलेशिया, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड के अलावा कोई देश	थाईलैंड	कोई	440	एमटी	यूएस डॉलर
17.	7409, 7410	कॉपर तथा कॉपर एलाय* के फ्लैट रोल्ड उत्पाद	श्रीलंका	श्रीलंका सहित कोई देश	कोई	720	एमटी	यूएस डॉलर
18.	7409, 7410	कॉपर तथा कॉपर एलाय* के फ्लैट रोल्ड उत्पाद	चीन जन. गण., कोरिया गणराज्य, मलेशिया, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड के अलावा कोई देश	श्रीलंका	कोई	720	एमटी	यूएस डॉलर

* कॉपर के फ्लैट रोल्ड उत्पाद जिनमें परिष्कृत तांबा या जिंक और टिन के साथ तांबा मिश्र धातु शामिल हैं। अर्थात् कॉपर-जिंक बेस एलाय (ब्रास) और कॉपर-टिन बेस एलाय (फासफर ब्रॉज)। तथापि, विचाराधीन उत्पाद के दायरे से कोई अन्य तांबा मिश्र धातु और फोटोवोल्टेक, रिबन वायर (सनवायर) बाहर है।

ण. आगे की प्रक्रिया

136. इस सिफारिश से उत्पन्न केन्द्र सरकार के आदेश के खिलाफ कोई अपील अधिनियम के संगत प्रावधानों के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष दायर की जाएगी।

अनंत स्वरूप, संयुक्त सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

NOTIFICATION
FINAL FINDINGS

New Delhi, the 16th April, 2021

Case No. AD-OI-06/2020

Subject : Anti-Dumping investigation concerning imports of “Copper & Copper Alloy Flat Rolled Products” originating in and exported from China PR, Korea RP, Malaysia, Nepal, Sri Lanka and Thailand

F. No. 6/7/2020-DGTR.—Having regard to the Customs Tariff Act 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as “the Act”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred to as “the Rules” or “the AD Rules”) thereof.

A. BACKGROUND OF THE CASE

1. The Designated Authority (hereinafter referred to as “Authority”) received an application dated 19th February 2020 from M/s Agrawal Metal Works Pvt. Ltd. (hereinafter also referred to as “the applicant”) requesting imposition of anti-dumping duty on imports of “Copper & Copper Alloy Flat Rolled Products” (hereinafter also referred to as “the product under consideration” or “PUC” or “subject goods”) originating in or exported from China PR, Korea RP, Malaysia, Nepal, Sri Lanka and Thailand (hereinafter also referred to as the “subject countries”).
2. The Authority, on the basis of sufficient prima-facie evidence submitted by the applicant, issued a public notice vide Notification No. 6/7/2020-DGTR dated 20th April 2020 published in the Gazette of India, initiating the subject investigation in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the AD Rules to determine existence, degree and effect of the alleged dumping of the subject goods, originating in or exported from China PR, Korea RP, Malaysia, Nepal, Sri Lanka and Thailand and to recommend the amount of anti-dumping duty, which, if levied, would be adequate to remove the alleged injury to the domestic industry.

B. PROCEDURE

3. The procedure described hereinbelow has been followed with regard to the investigation:
 - i. The Authority notified the Embassies of the Subject Countries in India about the receipt of the present anti-dumping application before proceeding to initiate the investigation in accordance with Sub-Rule (5) of Rule 5 supra.
 - ii. The Authority issued a public notice vide its initiation notification dated 20th April 2020, published in the Gazette of India Extraordinary, initiating anti-dumping investigation concerning imports of the subject goods from subject countries.
 - iii. The Authority sent a copy of the initiation notification dated 20th April 2020 to the Embassies of subject countries in India, the known producers and exporters from the subject countries, known importers, importer/user Associations, the domestic industry as well as other domestic producers, and other interested parties as mentioned in the application, and requested them to make their views known in writing within the prescribed time limit, in accordance with Rules 6(2) and 6(4) of the Rules.
 - iv. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters and to the Government of the subject countries, through their Embassies in India in accordance with Rule 6(3) of the Rules supra.
 - v. The Embassies of the subject countries in India were also requested to advise the exporters/producers from their respective countries to respond to the questionnaire within the prescribed time limit. A copy of the letter and questionnaire sent to the known producers/exporters was also sent to them along with the names and addresses of the known producers/exporters from the subject countries.

- vi. The Authority, upon several requests made by the interested parties, granted extensions of time to the interested parties to file their response as well as submissions. Vide communication dated 1st July, 2020, the time limit was extended up to 20th July, 2020. Vide communication dated 20th July, 2020, the time limit was further extended up to 3rd August, 2020.
- vii. The Authority sent questionnaires to the following known producers/exporters in the subject countries in accordance with Rule 6(4) of the AD Rules:

Sl. No.	China PR	Sl. No.	China PR
1.	M/s Bufab Fasteners Trading (Shanghai) Co., Ltd	2.	M/s Jiangsu Sunyuan Aerospace Material
3.	M/s Beijing Cn-Ft Jovi Technology	4.	M/s Lg Electronics Inc
5.	M/s Changzhou Pioneer Electronic Co Ltd	6.	M/s Jiangyin Kangsheng New Material Co.
7.	M/s Ann Power Technology (Shenzhen) Co.	8.	M/s Ls Global Inc.
9.	M/s Alb(Xiamen) Material Co Ltd	10.	M/s Shanghai Tankii Alloy Material Co. Ltd.
11.	M/s Chung Shun Laminates (Macao Commercial Offshore)	12.	M/s Ningbo Xingye Shengtai Group Co., Ltd.
13.	M/s Changzhou Zhongying Science & Techn	14.	M/s. Ningbo Zycalloy Co., Ltd
15.	M/s Civen Metal Material (Shanghai)	16.	M/s Powerway Alloy (Hongkong) International Trading Co., Limited
17.	M/s Changzhou Foreign Trade Corpor	18.	M/s Powerway Alloy (Hongkong) International Trading Co., Limited
19.	M/s Beijing Cn-Ft Jovi Technology and Trading Co Ltd	20.	M/s Qingdao Dongya Manufacturing Corp
21.	M/s China Maxcool Refrigeration Group Limited	22.	M/s Shandong Jinbao Tech-Innov Corporation
23.	M/s Commscope Telecommunications (China) Co	24.	M/s Shandong Jindu Electronic Material Co Ltd
25.	M/s Coveme Engineered Films Zhangjiagang Co., Ltd.	26.	M/s Shanghai Nanya Copper Clad Laminate Co., Ltd
27.	M/s Dongguan Heju Precision Electronic	28.	M/s Shaoxing Maq Import & Export Co. Ltd.
29.	M/s Dongguan Huaji Environmental Protection Technology Ltd.	30.	M/s Shanghai Sunby Solar Technology Co
31.	M/s Dowa Advanced Material (Shanghai) Co Ltd	32.	M/s Shanghai Unique Alloy Co Ltd
33.	M/s Eternal Materials Co., Ltd	34.	M/s Shenzhen Xingshengtong Trade Co Ltd
35.	M/s Foshan Tongbao Imhua Special Metal Co. Ltd.	36.	M/s Shanghai Xinye Metal Material
37.	M/s Falco Electronics Xiamen Co Ltd	38.	M/s Tongling Nonferrous Metals Group Co., Ltd.
39.	M/s Fukurawa Sangyo Shanghai Co. Ltd.	40.	M/s Schneider Electric (Xiamen)
41.	M/s Globelink Overseas (H.K) Limited	42.	M/s Tianjin Yinyin International Co., Ltd
43.	M/s Guangde Longtai Electronic Sci Tech Co Ltd	44.	M/s. Tongling Jinvi Copper Corp.
45.	M/s Goldenmax International Technology	46.	M/s Tbea Shenyang Transformer Group Co Ltd
47.	M/s Hero Sail Laminates Group Ltd.	48.	M/s. Tool Peaks Industries Limited
49.	M/s Kunshan Hbt Wire Cutting Parts Co Ltd	50.	M/s Wuxi Chifeng Metal Products Co. Ltd
51.	M/s Hong Kong Lg-Victory Technology Limited	52.	M/s. Wuxi Sveck Technology Co., Ltd
53.	M/s. Hongkong Anhing Co.Ltd.	54.	M/s. Xi'an Telison New Materials Co
55.	M/s Huzhou Zhonglian Imp.&Exp. Co. Ltd	56.	M/s Yong Metal Co., Limited

57.	M/s Hangzhou Ualloy Material Co Ltd	58.	M/s Zhejiang Huazheng New Material Co. Ltd
59.	M/s Huzhou Xingbeike Alloy Technology co Ltd	60.	M/s Zhejiang Yuanji New Material Technology Co.Ltd
61.	M/s Jiashan Pvb Sliding Bearing Co Ltd	62.	M/s York (Guangzhou) A/C. & Refrigeration Co., Ltd
63.	M/s Jinhua Beiduo Import & Export	64.	M/s Zhejiang Twinsel Electronic Technology Co Ltd
65.	M/s. Isola Laminate Systems (Suzhou) Co., Ltd.	66.	M/s Zhejiang Dongfeng Refrigeration
67.	M/s. Jiangsu Roda Electron Material	68.	M/s Zhejiang Bada Copper Industry
Sl. No.	Korea	Sl. No.	Korea
1.	M/s Gu Corporation	2.	M/s Poongsan Corporation
3.	M/s. Hyundai Corporation.	4.	M/s. Hyundai Corporation
5.	M/s. Jeil Industrial Co. Ltd.	6.	M/s Ls Automotive Technologies Co., Ltd
Sl. No.	Malaysia	Sl. No.	Malaysia
1.	M/s Snc Industrial Laminates Sdn. Bhd.	2.	M/s Furukawa Sangyo Kaisha (Malaysia) Sdn. Bhd,
Sl. No.	Nepal	Sl. No.	Sri Lanka
1.	M/s Hulas Wire Industries Limited	1.	M/s Simmet (Pvt) Ltd.
Sl. No.	Thailand		
1.	M/s. Oriental Copper Co. Ltd.	2.	M/s. Siam Poongsan Metal Co., Ltd.

viii. In response, the following exporters/producers have filed the exporter's questionnaire response:

- M/s. Ningbo Xingye Shengtai Group Co., Ltd, China PR
- M/s. Ningbo Xingye Xintai New Electronic Material Co., Ltd, China PR
- M/s. Ningbo Hangzhou Bay New Zone Qiangtai Metal Materials Co, Ltd., China PR
- M/s. Hyundai Corporation, Korea RP
- M/s. Poongsan Corporation, Korea RP
- M/s. Hulas Wire Industries Ltd, Nepal
- M/s. Luvata Malaysia Sdn Bhd Malaysia
- M/s. Simmet Pvt Ltd, Sri Lanka
- M/s. Siam Poongsan Metal Co., Ltd., Thailand

ix. The following interested party has submitted a letter for registration:

- M/s. Jeil Industrial Co. Ltd (Korea)

x. The Authority sent Importer's Questionnaire to the following known importers/users of subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Rules:

Sl. No.	Importer/User	Sl. No.	Importer/User
1.	M/s. ABB India Limited	2.	M/s. Andritz Hydro Private Limited
3.	M/s. Apar Industries Limited	4.	M/s. Asiatic Electrical And Switchgear Pvt. Ltd.
5.	M/s. Amex Resources	6.	M/s. Applied Engineering Services

7.	M/s. Ajanta Private Limited	8.	M/s. Aisin Automotive Karnataka Private Limited
9.	M/s. Advance Cable Technologies Pvt. Ltd,	10.	M/s. B. Rameshkumar Metals Private Limited
11.	M/s. Bharat Electronics Limited	12.	M/S. BPL Limited
13.	M/s. BIG Electronics Ltd	14.	M/s. Banco Products (India) Limited
15.	M/s. B.S. Electronics Private Limited	16.	M/s. Connect well Industries Pvt Ltd
17.	M/s. Consolidated Coin Company Private Limited	18.	M/s. Crompton Greaves Limited
19.	M/s. C.M.W Pressings	20.	M/s. C & S Electric Limited
21.	M/s. Cipsa Tec India Private Limited	22.	M/s. Cg Power And Industrial Solutions Limited
23.	M/s. D. K. Enterprise	24.	M/s. DMC Automotive Private Limited
25.	M/s. DMS Electronics Pvt. Ltd.	26.	M/s. Dynamic Cables Ltd.
27.	M/s. Epoxy House	28.	M/s. Essen Deinki
29.	M/s. Elin Electronics Limited	30.	M/s. Epitome Components Ltd.
31.	M/s. Elcon Components Pvt. Ltd.	32.	M/s. Fci Oen Connectors Limited
33.	M/s. Friction Metal Fibres (India) P.Ltd	34.	M/S. Fibre Home
35.	M/s. Garg Electronics	36.	M/s. Hi-Tech Resistors Pvt Ltd
37.	M/s. Hi-Q Electronics Pvt Ltd	38.	M/s. Kei Industries Limited
39.	M/s. Havells India Ltd	40.	M/s. Inductotherm (India) Pvt. Ltd
41.	M/s. Indo Schottle Auto Parts Pvt Ltd	42.	M/s. Interplex Electronics India Pvt.Ltd.
43.	M/s. Jay Auto Components Limited	44.	M/s. Jaquar & Company Pvt.Ltd.
45.	M/s. Kramski Stamping And Molding India Private Limited	46.	M/S. Kddl Limited
47.	M/s. Kostal India Pvt. Ltd.	48.	M/s. Larsen & Toubro Limited
49.	M/s. Laser Power & Infra Private Limited	50.	M/s. Lakshmi Metal Exchange
51.	M/s. Ls Cable India Private Limited	52.	M/s. Lloyd Electric & Engg. Ltd.
53.	M/s. Laxmi Remote (India) P.Ltd.	54.	M/s. Leel Electricals Limited
55.	M/s. Meenakshi Metal Impex	56.	M/s. Mittal Appliances Limited
57.	M/s. Metalex Steel Strips Pvt.Ltd	58.	M/s. Micropack Ltd
59.	M/s. Multi Channel Inc	60.	M/s. Mindarika Pvt. Ltd.
61.	M/s. Motherson Sumi Systems Limited	62.	M/s. Molex India Private Limited
63.	M/s. Multiline Electronics Pvt Ltd	64.	M/s. Minda Silca Engineering Private Limited

65.	M/s. Minda Sai Limited	66.	M/s. Mss India Pvt Ltd
67.	M/s. Minda Corporation Ltd.	68.	M/s. Molex India Private Limited
69.	M/s. Modison Metals Ltd.	70.	M/s. Multimetals Ltd.
71.	M/s. O/E/N India Limited	72.	M/s. Om Sai Ram Alloys
73.	M/s. Press Comp International (P) Ltd	74.	M/s. Poona Shims Private Limited
75.	M/s. Polycab Wires Private Limited	76.	M/s. Polycab India Limited
77.	M/s. Pride Impex	78.	M/s. Rashtriya Ispat Nigam Limited
79.	M/s. Rajendra Metal Industries	80.	M/s. Roseleen International
81.	M/s. Renata Precision Components Private Limited	82.	M/s. Sfo Technologies Private Limited
83.	M/s. Salzer Electronics Ltd	84.	M/s. Shivalik Bimetal Controls Ltd.
85.	M/s. Signum Electrowave	86.	M/s. Shogini Technoarts Pvt Ltd
87.	M/s. Space Applications Centre	88.	M/s. Schneider Electric India Pvt Limited
89.	M/s. Sigma Technologies	90.	M/s. Shilpi Cable Technologies Limited
91.	M/s. Srinisons Wiring Systems Pvt. Ltd.	92.	M/s. Sonic Technology (India) Inc
93.	M/s. Srujana Enterprises	94.	M/s. Sandhar Han Sung Technologies Pvt Ltd
95.	M/s. Sterlite Technologies Ltd.	96.	M/s. Teksons Pvt. Ltd.
97.	M/s. Torrent Power Limited	98.	M/s. Terminal Technologies (I) Pvt. Ltd.
99.	M/s. Te Connectivity India Pvt Ltd	100.	M/s. Triton Valves Limited
101.	M/s. Titan Company Limited	102.	M/s. Transfix India Pvt. Ltd.
103.	M/s. Universal Cables Ltd.	104.	M/s. Viney Corporation Pvt. Ltd.
105.	M/s. Visu Metsol	106.	M/s. Wieland Metals India Private Ltd
107.	M/s. Wipro Ge Healthcare Pvt. Ltd.		

- xi. In response, the following importers/users have responded by filing importer's questionnaire response:
- a. M/s. FCI OEN Connectors Ltd
- xii. The following interested party submitted comments:
- a. M/s. AT & S India Pvt Ltd.
- xiii. The following interested party has submitted a letter for registration:
- a. M/s. Terminal Technologies (I) Pvt Ltd
- xiv. The Authority sent notice of initiation to the following other domestic producers, intimating them of the initiation of investigation with a request to provide relevant information to the Authority in the form and manner prescribed.
- a. M/s. Bright Metals
- b. M/s. Gupta Metal Sheets Ltd.

- c. M/s. Krishna Engineering Industries
 - d. M/s. Mittal Engineering Industries
 - e. M/s. Rashtriya Metal Industries
 - f. M/s. Sanghi Metal Unit- I (Sanghi Brothers (Indore) Pvt. Ltd.)
 - g. M/s. Singhal Sheets and Foils Pvt. Ltd.
- xv. None of the other domestic producers have responded or participated in the present investigation.
- xvi. The Authority also sent initiation notification to the following Associations asking them to inform all their members regarding the initiation of investigation with the request to submit their response/comments, if any:
- i) Indian Non-Ferrous Metal Manufacturers' Association (INFMMA)
 - ii) Bombay Metal Exchange Ltd. (BME)
- xvii. A list of all interested parties was uploaded on DGTR's website along with the request therein to email the NCV of their submissions to all other interested parties since the public file was not accessible physically due to ongoing global pandemic.
- xviii. The Period of Investigation ("POI") for the purpose of the present anti-dumping investigation is from 1st January 2019 to 31st December 2019 (12 months). The injury analysis period covers 1st April, 2016 – 31st March, 2017; 1st April, 2017 – 31st March, 2018; 1st April, 2018- 31st March, 2019 and the POI.
- xix. The Authority obtained transaction-wise import data for subject goods for the past three years, and the POI from the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) and Directorate General of Systems (DGS) and analysed the data after due examination of the transactions.
- xx. The Non-Injurious Price (hereinafter referred to as "NIP") has been determined based on the cost of production and cost to make & sell the subject goods in India based on the information furnished by the domestic industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the Rules so as to ascertain whether anti-dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.
- xxi. Verification of the information provided by the applicant domestic industry by way of table study, to the extent deemed necessary, was carried out. Only such verified information with necessary rectification, wherever applicable, has been relied upon for the purpose of these final findings.
- xxii. Desk Verification of the information provided by the producers/ exporters, to the extent deemed necessary, was carried out by the Authority and the same has been relied upon for the purpose of these final findings.
- xxiii. Submissions made by the interested parties during the course of this investigation, to the extent supported with evidence and considered relevant to the present investigation, have been appropriately considered by the Authority, in these final findings.
- xxiv. Comments on the proposed PCN methodology were invited vide initiation notification dated 20th April 2020. Based on the comments/submissions received from various interested parties, Authority notified the final PCNs vide letter dated 1st December 2020.
- xxv. Due to the worldwide outbreak of COVID-19 and consequent restrictions imposed by different countries, including India, the Authority in accordance with Rule 6(6) of the AD Rules and Trade Notice No. 01/2020 dated 10th April 2020, conducted oral hearing through video conferencing on 16th February 2021 to provide an opportunity to the interested parties to present relevant information orally before the Designated Authority. All the parties who attended the oral hearing were advised to file written submissions of the views expressed orally, followed by rejoinders, if any. The arguments made in such written submissions and/or rejoinders received from the interested parties have been considered, to the extent deemed necessary, for the purpose of these final findings.

- xxvi. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted, and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.
- xxvii. A Disclosure Statement containing the essential facts of this investigation was issued to the interested parties on 01.04.2021 and the interested parties were allowed time upto 08.04.2021 to file comments on the same. The comments on Disclosure Statement received from the interested parties have been considered, to the extent found relevant, in this Final Findings Notification.
- xxviii. Wherever an interested party has refused access to or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded these final findings on the basis of the facts available.
- xxix. ‘***’ in these final findings represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.
- xxx. The exchange rate for the POI has been taken by the Authority as 1USD = Rs. 71.34.

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION (PUC) AND LIKE ARTICLE

4. At the stage of initiation, the product under consideration was defined as:

3. The product under consideration is flat rolled products of copper, such as copper sheets, copper plates, copper strips, copper foils and other flattened forms of copper or its alloys. It may be in sheet form or coil form. The product under consideration includes refined copper or copper alloys with Zinc and tin i.e., Copper-Zinc base alloys (Brass) and Copper-Tin base alloys (Phosphor Bronze). All other copper alloys are beyond the scope of PUC.

4. Copper flat rolled products are used in power distribution, electrical & electronic switchgears & devices, Automobile Terminal Connector and Automotive Electronics, Sanitary Fittings, Radiators and Heat Exchangers and Key and Locks, Buttons, Zippers etc.

5. The subject products are classified under Chapter Heading 74 of the Act. While the prescribed classification of the product is 74091100, 74091900, 74092100, 74092900, 74093100, 74093900, 74094000, 74099000, the product under consideration has also been imported under 74101100, 74101200. The customs classifications are indicative only and are not binding on the scope of the present investigations.

C.1 Submissions of the domestic industry

5. The following submissions have been made by domestic industry with regard to product under consideration and like article:
- The product under consideration(‘PUC’) is flat rolled products of copper, such as copper sheets, copper plates, copper strips, copper foils and other flattened forms of copper or its alloys. It may be in sheet form or coil form. It can be made of refined copper or copper alloys [copper-zinc base alloys (brass) and copper-tin base alloys (bronze)]. PUC includes “plates, sheets, foils and strip, not printed not backed, of refined copper or copper alloys”.
 - The prescribed unit of measurement for the product under consideration is weight (MT).
 - While the prescribed classification of the product is 74091100, 74091900, 74092100, 74092900, 74093100, 74093900, 74094000, 74099000, the product under consideration has also been imported under 74101100, 74101200. The customs classification is however only indicative and is not binding on the scope of the present investigations.
 - The applicant has furnished evidence regarding the production and sale of the following products.
 - Copper foils/strips/sheet having Minimum thickness 0.03 mm to maximum thickness 10.00mm and having maximum width 450.00mm maximum width in sheet 610 mm.
 - Brass foils/strips/sheet having Minimum thickness 0.04 mm to Maximum Thickness-6.00 mm and Minimum Width-6.00 mm to Maximum Width-610 mm

- c) Phosphor Bronze foils/strip/sheets having Min thickness 0.100 mm to Maximum Thickness-3.00mm and Maximum Thickness in sheet- 4.00mm and Minimum Width-6.00mm.
- v. The applicant is also producing pre-plated strips having Tin/Nickel plating and Oxygen free Copper Foils/Strips.
- vi. High end special alloys are having combination of copper-tin-zinc combined either with iron or nickel or magnesium mainly used in auto sector which is not the part of the present investigation. Alloy having copper-tin-zinc combination are only part of this investigation. The import segregation of subject countries is only done for those products which are part of the present investigation.
- vii. The product can be produced either through drawn process or rolled process. Difference in the process does not result in different product. The law and practice is that the difference in production process is immaterial so long as the resultant product are not different. Interested parties have not established that the product produced through different processes are technically and commercially different based on various product criteria.
- viii. Sunwire is not a part of the product under consideration in the present investigation and responding exporter is wrongly exporting the same in HS code applicable for flat rolled products.
- ix. The domestic industry is also using PNG apart from electricity. Thus, the exporters are not so cost efficient in terms of utility cost of subject goods in comparison to the domestic industry.
- x. The goods produced by the applicant are like article to the imported goods as they are comparable in terms of chemical & technical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumers are using the two interchangeably.
- xi. There is no known significant difference in the technology employed by the domestic industry and the producers in subject country.

C.2 Submissions of the other interested parties

- 6. The following submissions have been made by other interested parties regarding the PUC:
 - i. Scope of product under consideration is too broad and does not meet the like article criteria encompassing a wide range of products which differ in their chemical composition, characteristics and end use and applications contrary to the intent and purpose of Rule 2 (d) of AD Rules.
 - ii. Following products should be excluded from the scope of the present investigation-
 - a. High value special alloy products should be excluded
 - b. Copper foils having thickness greater than 2.5 mm and copper foils having width greater than 400 mm
 - c. Copper foils and strips beyond 450 mm width should be excluded from the scope of PUC
 - d. Brass strips and foils having thickness greater than 2.5 mm and Brass strips and foils having width greater than 400 mm
 - e. Phosphor Bronze strips having thickness greater than 0.2 mm and Phosphor Bronze strips having width greater than 380 mm
 - iii. There is a difference in the manufacturing cost of CuZn35 and CuZn37, thus the two should not be kept in same PCN.
 - iv. Sunwire is not being dumped and thus should be excluded.
 - v. Tin-plated copper alloy and oxygen free copper has no substitute in India and are not being produced by the domestic manufacturers. They require their own manufacturing processes, applications, process and quality and thus should be excluded from the scope of product under investigation.

- vi. The subject goods supplied by Chinese suppliers is much superior in terms of temper, grain size and quality consistency, criticality of surface finish for plating.
- vii. Tolerance limits in PUC should be defined for the purpose of product exclusion. Domestic producers are unable to deliver the width tolerance requirement of $\pm 0.05\text{mm}$. Rather, they offer a tolerance of $\pm 0.10\text{mm}$ on width, which is too high for our specialized operations.
- viii. Chinese producers use Liquified Natural Gas (LNG) as energy during the production process of the subject goods as compared to fuel which are used by Indian producers.
- ix. There is a difference between drawn copper flat products and flat rolled copper products. M/s Luvata Malaysia Sdn Bhd, produces drawn copper flat products in the form of bar, strips etc. The manufacturing process of the two are entirely different and due to distinct physical properties, they are not commercially interchangeable. Petitioner does not produce drawn copper flat products.
- x. M/s Luvata Malaysia Sdn Bhd exports Photovoltaic Ribbon wire (Sunwire) and Electrical Power Flat Copper Products (EP Products) to India. The Authority should exclude both these products from the scope of PUC.

C.3 Examination by the Authority

- 7. The product under consideration is flat rolled products of copper, such as copper sheets, copper plates, copper strips, copper foils and other flattened forms of copper or its alloys. It may be in sheet form or coil form. The product under consideration includes refined copper or copper alloys with Zinc and tin i.e., Copper-Zinc base alloys (Brass) and Copper-Tin base alloys (Phosphor Bronze). All other copper alloys are beyond the scope of PUC.
- 8. The product under consideration is classified under Chapter 74 of the Customs Tariff Act under tariff items 74091100, 74091900, 74092100, 74092900, 74093100, 74093900, 74094000, 74099000, 74101100 and 74101200. The customs classification is indicative only and not binding on the scope of the product under consideration.
- 9. Regarding the contention that the scope of product under consideration is too broad, the Authority notes that the product under consideration has been appropriately defined keeping in view the imports from the subject countries and production and supply position of the domestic industry.
- 10. Regarding the contention that high value special alloy products should be excluded, the Authority notes that the high value special alloy products are already excluded from the scope of the product under consideration and thus not within the purview of the present investigation.
- 11. Regarding the contention that the domestic industry does not produce copper, brass and phosphor bronze, foil, sheet and strips beyond certain dimensions, the Authority notes as follows:
 - i. The domestic industry has provided details about the dimensions produced and sold by them in the form of sales invoices and their capabilities regarding the production of the different types of product.
 - ii. The interested parties seeking exclusion of products beyond certain dimensions have not demonstrated with sufficient evidence that the dimensions for which exclusions are being sought have actually been imported into India and that there is demand for such products and that the domestic industry has shown inability to produce such dimensions.
 - iii. Exclusion of the products of the wider range will give the opportunity to the interested parties to circumvent the duty.
- 12. Regarding difference in manufacturing process, the Authority notes that difference in the process does not necessarily result in a different product. The interested parties have not established that the product produced through different processes are technically and commercially different product. The interested parties should establish on the basis of various product criteria that the products are technically and commercially different. Despite different manufacturing processes, the end products have similar physical properties, and the end use or application is same.
- 13. Regarding the difference in the manufacturing cost of CuZn35 and CuZn37, the Authority notes that difference in manufacturing cost of CuZn35 and CuZn37 is less than 2% as per the average London Metal Exchange (LME) price of copper and zinc during the POI and as on the current date.

14. Tin-plated copper alloy and oxygen free copper are produced and sold by the domestic industry and therefore these products cannot be excluded from the scope of the product under consideration.
15. Photovoltaic Ribbon wire (Sunwire) is Copper wire and not copper flat rolled product. Accordingly, Sunwire is not a part of the product under consideration in the present investigation.
16. It is noted that there is no known difference in the subject goods produced by the domestic industry, and product under consideration exported from subject countries. Subject goods produced by the Indian industry and imported from subject countries are comparable in terms of characteristics such as physical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The subject goods produced by the domestic industry are like article to the product under consideration imported from subject countries within the scope and meaning of Rule 2(d) of AD Rules.

PCN system adopted for the product cost-price comparison

17. Comments on the proposed PCN methodology were invited vide initiation notification dated 20th April 2020. Based on the comments/submissions received from various interested parties, Authority notified the final PCNs vide letter dated 1st December 2020.

1	Condition	Brass = 1 Copper = 2 Phosphor Bronze = 3
2	Form	Foil = 1 Sheet/Plate = 2 Strip = 3
3	Grade	CuZn30-33, CuZn35-37, CuZn10, CuZn40, CuZn5, CuZn15, CuZn20, Copper, CuSn4, CuSn5, CuSn6, CuSn8

D. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

D.1 Submissions of the domestic industry

18. Following are the submissions made by the domestic industry with regard to scope of the domestic industry and standing:
 - i. The application has been filed by the M/s. Agrawal Metal Works Pvt. Ltd. and supported by the following domestic producers-
 - a) M/s. Bright Metals
 - b) M/s. Gupta Metal Sheets Ltd.
 - c) M/s. Krishna Engineering Industries
 - d) M/s. Mittal Engineering Industries
 - e) M/s. Rashtriya Metal Industries
 - f) M/s. Sanghi Metal Unit- I (Sanghi Brothers (Indore) Pvt. Ltd.)
 - g) M/s. Singhal Sheets and Foils Pvt. Ltd.
 - ii. The application has been supported by all known domestic producers in the organised sector. Production details of M/s. Gupta Metal Sheets Ltd. and M/s. Rashtriya Metal Industries Ltd. was incorporated in assessment of standing of domestic industry.
 - iii. There are some producers which are in the unorganized or fragmented sector. There is no quantified publicly available information on the production by these producers. Their production has been quantified based on petitioner's experience and knowledge about the market.

- iv. The applicant is neither related to an importer in India nor an exporter from the subject countries and has not imported the product under consideration from the subject countries.
- v. In the absence of any publicly available information, the applicant has estimated gross domestic production based on market intelligence considering production of both organized as well as unorganized sectors. Indian Non-Ferrous Metal Manufacturers' Association (INFMMA), an association representing copper and copper alloy domestic producers in the country, and Bombay Metal Exchange Ltd. (BME), one of the apex body of Non-ferrous Metal trade and Industry in India has provided details of Indian production to the Authority. The best possible evidence has been provided by the applicant and the Authority may verify the same.
- vi. Other supporting domestic producers have not provided relevant information to the applicant and the applicant has no Authority to force them. The prescribed format for supporting companies is only to analyse the performance of such supporting producers. In a situation where supporting domestic producers have not provided information in the prescribed formats, the Authority cannot examine possible injury to such other domestic producers.
- vii. The applicant is the largest producer of the subject goods in the country and accounts for more than 25% of the production of the subject goods in India. The petitioner has not imported the product from subject countries. The applicant holds a major proportion of total domestic production in India and thus constitutes domestic industry.

D.2. Submissions of the other interested parties

19. The following submissions have been made by other interested parties with regard to the scope of the domestic industry and standing:
- i. The petition fails to provide any absolute figure regarding the volume and value of the total production quantity of PUC and the volume produced by the Petitioner.
 - ii. Large number of producers are in unorganized sector for which data hasn't been gathered. The Authority needs to verify total production quantity of the market and the petitioner.
 - iii. applicant has estimated gross domestic production based on market intelligence and not provided any evidence to support the production data of any of the named and unnamed domestic producers.
 - iv. Figures pertaining to total Indian production maintained by the INFMMA, who is neither the applicant, nor had filed the petition was never disclosed in the Petition. The figures provided by the INFMMA have no supporting documents.
 - v. Applicant's production may not be sufficient to constitute a major proportion. The Authority should estimate the total domestic production of the PUC and assess whether the Petitioner's production constitutes a major proportion.
 - vi. The application has been supported by all known domestic producers but no data regarding the domestic industry has been provided in the non-confidential version of the petition.
 - vii. No support letters attached for (a) M/s Gupta Metal Sheets Limited and (b) M/s Rashtriya Metal Industries Ltd and no information has been disclosed as prescribed in Trade Notice No. 13/2018 dated 27 September 2018.
 - viii. In a parallel countervailing duty investigation on imports of Copper tubes and pipes, Bombay Metal Exchange has provided information on economic parameters of domestic industry. Hence, it should furnish all relevant information on domestic industry parameters.

D.3 Examination by the Authority

20. Rule 2(b) of the AD Rules defines domestic industry as under:

“domestic industry means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term ‘domestic industry’ may be construed as referring to the rest of the producers”.

21. The application has been filed by the M/s. Agrawal Metal Works Pvt. Ltd. and supported by the following major domestic producers in the organised sector-
- M/s. Bright Metals
 - M/s. Gupta Metal Sheets Ltd.
 - M/s. Krishna Engineering Industries
 - M/s. Mittal Engineering Industries
 - M/s. Rashtriya Metal Industries
 - M/s. Sanghi Metal Unit- I [Sanghi Brothers (Indore) Pvt. Ltd.]
 - M/s. Singhal Sheets and Foils Pvt. Ltd.
22. Since no concrete information with regard to Indian production is compiled by or available with either the associations, or any agency, which would be accessible as public information; considering various facts and circumstances of the present case, the Authority considered it appropriate to rely on the available information for the purpose of determining the total production in India and standing of the applicant at the stage of initiation.
23. The producers of the product under consideration are both in organised and unorganised sector. None of the domestic producers have opposed the claim made by the applicant.
24. The Authority notes that it is desirable that a supporter of an Application provides the desired information in the format prescribed in Trade notice 13/2018. The information prescribed by the Authority in Trade notice 13/2018 for supporting domestic producers enables the Authority to ascertain whether supporting domestic producers have also suffered injury, even if such domestic producers are not included as a part of the domestic industry. However, in a situation where supporting domestic producers have not provided relevant information in prescribed format, but have nonetheless expressed support to the application, the Authority notes that such supporters cannot be treated as "opposing" the petition filed by the applicant.
25. The applicant, the largest producer of the subject goods in the country, is neither related to an importer in India nor an exporter from the subject countries and has not imported the product under consideration from the subject countries.
26. The Authority notes that the production of the applicant domestic industry who has provided all relevant information with regard to injury constitutes a major proportion of Indian production at the stage of initiation and even thereafter.

Standing of domestic Industry	2016- 17	2017- 18	2018- 19	POI
M/s. Agrawal Metals	***	***	***	***
Other domestic producers	***	***	***	***
Total domestic production	***	***	***	***
Share of domestic industry	***	***	***	***
Share of domestic industry (Range%)	35-45	35-45	35-45	35-45

27. The evidence on record shows that the applicant commands a major proportion in the total domestic production in India. Further, the applicant, alone constitutes 35-45% of the total Indian production. Accordingly, the Authority holds that the applicant constitutes domestic industry within the meaning of Rule 2(b) of the Rules and considers that the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules.

E. CONFIDENTIALITY**E.1 Submissions of the domestic industry**

28. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to confidentiality:
- i. Applicant has disclosed all the essential information in the non-confidential version of the application in accordance with Rule 7 of AD Rules and as per Trade Notice No. 10/2018 dated 7th September 2018.
 - ii. Indexed information has been provided, wherever possible. The injury analysis is essentially an analysis of trend which can be easily seen through trends of various parameters provided in the application.
 - iii. Interested parties have filed a grossly deficient response in the non-confidential version even after being given an extension to file sufficient and complete information, with the intent to impede the investigation and not provide the data necessary for an expedited determination. By virtue of Rule 6(8) of the AD Rules, the response filed by interested parties must be rejected and declared as non-cooperative.
 - iv. Domestic industry has submitted justification for its claims of confidentiality both with the non-confidential version of the petition and the updated data. Further, the domestic industry has submitted a table showing its compliance with the trade notice.
 - v. The applicant is the sole company and disclosure of actual information of highly business-sensitive nature would give a significant competitive advantage to the competitors and consumers and would seriously affect the interest of the applicant. The applicant has claimed only such information as confidential, confidentiality of which is permitted under the law.

E.2 Submissions of the other interested parties

29. The following submissions have been made by the other interested parties with regard to confidentiality:
- i. Excessive confidentiality is allowed in the petition in violation of Trade Notice No. 10/2018. Being a single company as applicant, a number of parameters have been kept confidential such as volume and value of production of other producers, country wise estimates of normal value, NIP, per unit Cost of Sales of Exports and per unit Export without any good cause. The domestic industry has relied on all questions to Part VI of the Petition but has not provided non-confidential version of format A to L.
 - ii. Domestic industry should not have claimed complete invoice details as confidential. Authority should examine whether these products are produced and sold in commercial quantity.
 - iii. The Respondent has claimed confidentiality to the extent the information is business sensitive and is not amenable to either summarization or indexation.

E.3 Examination by the Authority

30. With regard to confidentiality of information, Rule 7 of the Rules provide as follows:

“Confidential information: (1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7) of rule 6, sub-rule(2) of rule 12, sub-rule(4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated Authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated Authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.

(2) The designated Authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated Authority a statement of reasons why summarization is not possible.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information.”

31. The Authority examined the confidentiality claims of the interested parties and on being satisfied allowed the claim on confidentiality. The Authority considers that any information which is by nature confidential or which is provided on a confidential basis by parties to an investigation shall, upon good cause shown, should be treated as such. Such information cannot be disclosed without specific permission of the party submitting it.
32. The Authority has considered the claims of confidentiality made by the applicant and the opposing interested parties and on being satisfied about the same, the Authority has allowed the claims on confidentiality. A list of all interested parties was uploaded on DGTR's website along with the request therein to email the NCV of their submissions to all other interested parties since the public file was not accessible physically due to ongoing global pandemic.

F. MISCELLANEOUS SUBMISSIONS

F.1. Submissions of the domestic industry

33. The following submissions have been made by domestic industry:
 - i. The domestic producers of the product under consideration belong to both organized and unorganized MSME sector and therefore face significant difficulties in compiling the relevant information and becoming a part of the domestic industry filing the application.
 - ii. The investigation in the present matter was initiated after satisfying the requirements of Rule 5 of Indian Rules and Article 5 of the WTO Agreement with regard to dumping, injury and causal link.
 - iii. The applicant in the present case proposed period of investigation as April 2018 to September 2019 (18 months) and filed duly substantiated application. Due to lockdown, the investigation got initiated after the expiry of 5 months of the POI due to which the Authority has updated the POI from 1st January 2019 to 31st December 2019 (12 months).
 - iv. The Authority can consider POI between six months to eighteen months and the POI can be extended or revised from the POI proposed by the applicant in the application. However, while initiating the investigation, the Authority has updated the POI. It seems that interested party is not aware of the practice of the Authority.
 - v. The imposition of the proposed anti-dumping duty will not result in any significant adverse impact on the eventual end product and the imposition will be in the larger public interest. The imposition of anti-dumping duty will increase the cost of the eventual end product by 0.06%-0.49% only.

F.2. Submissions of other interested parties

34. The following submissions have been made by other interested parties:
 - i. Applicant made an excuse that they are facing difficulties in compiling the relevant information as producers belong to MSME sector.
 - ii. The initiation does not comply with the requirements of Article 5 of the AD Rules as it is not based on evidence of dumping and injury in the POI. Imports have fallen during the current POI as compared to the proposed POI and the injury parameters have undergone a substantial change.
 - iii. PUC price is dependent on the LME (London Metal Exchange) which is beyond the control of any producer and only fabrication charges should be analysed for the purpose of export price/ price undercutting/ price suppression and dumping margin.
 - iv. Errors in the records needs to be rectified. The import price and volume concerning Nepal in different calculations provided in the submissions of domestic industry are inconsistent. The figures provided in the calculation of injury margin and price undercutting do not match with the import information provided for import analysis and dumping margin calculations in the very submission as far as Nepal is concerned.

F.3. Examination by the Authority

35. The Authority holds that the investigation was initiated after satisfying the requirement of Rule 5 of the Rules and Article 5 of the WTO Agreement.
36. As regards submissions concerning the length of POI or its proximity to date of initiation, the Authority notes that the POI chosen for the case is consistent with the legal position at the time of initiation and the practice being followed by the Authority.

37. It is noted that the application in the instant case was filed on 19th February 2020 having period of investigation from April 2018 - September 2019. Due to country wide lockdown, the investigation was initiated on 20th April 2020. The Authority initiated the investigation and asked the applicant to furnish an updated information for the period of investigation of Jan 2019 to December 2019.
38. The Authority notes that anti-dumping measures are aimed essentially to ensure fair trade and provide level-playing field to all stakeholders. These measures do not restrict import nor cause an unjustified increase in cost of eventual end products. The purpose of ADD is not to give any kind of undue advantage to the domestic producers or cause any undue hardship to the consumers of the product. A consumer cannot seek, as a matter of right, access to a product at dumped prices, particularly when such dumping is found to have caused injury to an established industry in India. The purpose of ADD is to remove unfair dumping causing injury to the domestic industry. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the imposition of anti-dumping measures. The imposition of anti-dumping duties would not affect the availability of the product to the consumers at fair prices.

G. MARKET ECONOMY TREATMENT (MET), NORMAL VALUE, EXPORT PRICE & DETERMINATION OF DUMPING MARGIN

39. Under Section 9A(1)(c) of the Act, normal value in relation to an article means:

(i) the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or

(ii) when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either-

(a) comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or

(b) the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6):

Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transhipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.

G.1. Submissions of the domestic industry

40. The following submissions have been made by the domestic industry:

- i. Article 15(b) of China's Accession Protocol implies that provisions of Clause 15(a)(ii) shall expire 15 years from date of China's Accession. In other words, provisions of this paragraph shall be available for 15 years, i.e., up to December 2016. Should it be contended that provisions of Article 15(a)(ii) have already ceased and, therefore, the same cannot be applied to the present case, yet the provisions of Article 15(a)(i) are still applicable and must be considered for determination of normal value in China PR. The Authority may, therefore, kindly direct the Chinese producers to show that, consistent with the provisions of Article 15(a)(i), market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of the product under consideration, so that the Designated Authority can use Chinese prices or costs for the industry under investigation. The responding exporters must establish that the elements of costs referred to in the context of determination of normal value are appropriately and completely reflected in the records kept by the exporter or producer under investigation.
- ii. China PR should be considered as a non-market economy, in line with the position taken by the Authority in previous cases, and by investigating authorities in other countries.

- iii. The applicant has not been able to procure actual or the PCN wise price information from a producer in market economy third country.
- iv. Due to lack of publicly available information on the actual or the PCN wise price of the product under consideration in Korea RP, Malaysia, Nepal, Sri Lanka and Thailand, normal value could not be determined based on selling price in the domestic market.
- v. The major raw material to produce the subject goods is copper, and the price of copper is maintained by London Metal Exchange (LME). Therefore, the applicant has determined the normal value for all the subject countries based on the LME prices during the POI, with adjustments that have been made on account of the processing cost, SGA cost, financial cost and other income(s). The applicant has adopted the consumption norms of the domestic producers.
- vi. The applicant has relied upon transaction wise import data procured from DGCI&S. The export prices being CIF value while the normal values being at ex-factory level, the export prices have been adjusted for ocean freight, marine insurance, commission, inland freight expenses, port expenses, bank charges and VAT (only for China PR).
- vii. The exporters are not entitled to be accorded individual normal value as they have not established that normal value can be determined based on their own data.
- viii. The Authority can only consider the data of the participating producers/exporters for normal value, export price dumping margin determination, if the same is complete in all respects.
- ix. The dumping margin for imports from subject countries is not only above de minimis level, but also substantial.

G.2. Submissions of other interested parties

41. The following submissions have been made by other interested parties:

- i. Thailand to be considered as an appropriate surrogate country for China PR for determination of normal value for China PR.
- ii. The estimated deductions while determining the export price are exaggerated and has resulted in reduction of ex-factory export price and overestimation of dumping margin. Non-refundable VAT rate is 0% during April 2019 – December 2019 and therefore 8% VAT adjustment from the export price is unwarranted.
- iii. Average landed value of import from China PR is incorrect. Domestic industry has incorrectly added 3% cess on imports from China PR instead of Social Welfare Surcharge (SWS), which was levied pursuant to Section 110 of the Finance Act 2018 at 10%. In addition, the imports of subject goods from China PR are levied a Basic Customs Duty which needs to be added while calculating the landed value for China PR.
- iv. Determination of export price and dumping margin for the responding producer/exporter from China PR should be based on Exporter's Questionnaire Response.
- v. There is negligible demand in Sri Lanka for PUC and dumping margin calculation is not practical as there are no third country exports as well.
- vi. The participating Sri Lankan company has always sold its product at reasonable market price for its commercial grade product and there is no so-called dumping. Dumping happens only when there is high volume at a considerably lower price. Both these cases are not for the Sri Lanka or our company.
- vii. Different normal value should be constructed for different subject countries as (a) there is a difference in development of all countries, (a) there is a difference in prices of raw material and (c) there is a difference in labour cost.
- viii. Dumping margin & injury margin in the case of the company may be determined based on the PCNs adopted.

G.3. Examination by the Authority

42. As regards the appropriateness of Thailand as a surrogate country, it is noted that no proper justification has been accorded by any of the interested parties for considering Thailand as a surrogate country for China PR in this particular investigation.

43. With regard to the error made in non-refundable VAT, Social Welfare Surcharge (SWS) etc., the Authority has verified the information and adopted the verified information for the present case.

G.3.1 DETERMINATION OF NORMAL VALUE

Normal value for China PR

Market Economy Status for Chinese Producers/ exporters

44. Article 15 of China's Accession Protocol in WTO provides as follows: "Article VI of the GATT 1994, the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 ("Anti-Dumping Agreement") and the SCM Agreement shall apply in proceedings involving imports of Chinese origin into a WTO Member consistent with the following:

"(a) In determining price comparability under Article VI of the GATT 1994 and the Anti-Dumping Agreement, the importing WTO Member shall use either Chinese prices or costs for the industry under investigation or a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China based on the following rules:

(i) If the producers under investigation can clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of that product, the importing WTO Member shall use Chinese prices or costs for the industry under investigation in determining price comparability;

(ii) The importing WTO Member may use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of that product.

(b) In proceedings under Parts II, III and V of the SCM Agreement, when addressing subsidies described in Articles 14(a), 14(b), 14(c) and 14(d), relevant provisions of the SCM Agreement shall apply; however, if there are special difficulties in that application, the importing WTO Member may then methodologies for identifying and measuring the subsidy benefit which take into account the possibility that prevailing terms and conditions in China may not always be available as appropriate benchmarks. In applying such methodologies, where practicable, the importing WTO Member should adjust such prevailing terms and conditions before considering the use of terms and conditions prevailing outside China.

(c) The importing WTO Member shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (a) to the Committee on Anti-Dumping Practices and shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (b) to the Committee on Subsidies and Countervailing Measures.

(d) Once China has established, under the national law of the importing WTO Member, that it is a market economy, the provisions of subparagraph (a) shall be terminated provided that the importing Member's national law contains market economy criteria as of the date of accession. In any event; the provisions of subparagraph (a)(ii) shall expire 15 years after the date of accession. In addition, should China establish, pursuant to the national law of the importing WTO Member, that market economy conditions prevail in a particular industry or sector, the non-market economy provisions of subparagraph (a) shall no longer apply to that industry or sector."

45. It is noted that while, the provision contained in Article 15 (a) (ii) have expired on 11th December, 2016, the provision under Article 2.2.1.1 of WTO read with obligation under 15 (a) (i) of the Accession protocol require criterion stipulated in para 8 of the Annexure I of the India's Rules to be satisfied through the information/data to be provided in the supplementary questionnaire for claiming the market economy status. It is noted that since none of the responding producers and the exporters from China PR have submitted supplementary questionnaire response, the normal value computation is required to be done as per provisions of para 7 of Annexure I of the AD Rules.
46. The Authority notes that exporter's questionnaire responses have been submitted by M/s Ningbo Xingye Shengtai Group Co., Ltd, China PR, M/s Ningbo Xingye Xintai New Electronic Material Co., Ltd, China PR and M/s Ningbo Hangzhou Bay New Zone Qiangtai Metal Materials Co, Ltd., China PR.

47. The normal value for producers/exporters from China PR has been determined in terms of Para 7 of Annexure-I on the basis of the cost of production of domestic industry and reasonable profit margin.

Normal value for Korea RP

Normal Value for cooperating producers/exporters from Korea RP

M/s Poongsan Corporation, Korea RP

48. During the POI, Poongsan Corporation, Korea RP, has sold the subject goods in the domestic market to unrelated parties. The domestic sales are in sufficient volumes when compared with exports to India. To determine the normal value, the Authority conducted the ordinary course of trade test to determine profit making domestic sales transactions with reference to the cost of production of subject goods for each PCN. Where the profit-making transactions for particular PCN is more than 80%, all transactions in the domestic sales are being considered for the determination of normal value and in cases profit making transactions are less than 80%, only profitable domestic sales are being taken into consideration for the determination of the normal value. Poongsan Corporation, Korea RP, has claimed adjustments on account of inland transportation, packing expenses, credit cost and any other deduction and the same have been allowed by the Authority. Accordingly, normal value at ex-factory level for Poongsan Corporation, Korea RP, has been determined and the same is shown in the Dumping Margin Table below.

Normal value for non-cooperating producers/exporters from Korea RP

49. The Authority notes that no other producer/exporter from Korea RP has responded to the Authority in the present investigation. For all the noncooperative producers/exporters in Korea RP, the Authority has determined the normal value at ex-factory level on the basis of best available information and the same is shown in the Dumping Margin Table below.

Normal value for Malaysia

Normal Value for cooperating producers/exporters from Malaysia

M/s Luvata Malaysia Sdn Bhd Malaysia

50. The Authority notes that Luvata Malaysia Sdn Bhd is a producer and exporter of the subject goods based in Malaysia. Luvata Malaysia Sdn Bhd has claimed normal value on the basis of sales made in the domestic market. It is noted that the company has made sales to unrelated customers in domestic market. The company has exported PUC falling under one PCN. To determine the normal value, the Authority conducted the ordinary course of trade test to determine profit making domestic sales transactions with reference to the cost of production of subject goods for such PCN. Where the profit-making transactions for particular PCN is more than 80%, all transactions in the domestic sales are being considered for the determination of normal value and in cases profit making transactions are less than 80%, only profitable domestic sales are being taken into consideration for the determination of the normal value. The company has claimed adjustments on account of inland freight, credit cost and insurance. Authority has allowed the same after due verification and normal value at ex-factory level has been determined and the same is shown in the Dumping Margin Table below. As sunwire is not a part of PUC, the same has not been taken into account for dumping margin determination.

Normal value for non-cooperating producers/exporters from Malaysia

51. The Authority notes that no other producer/exporter from Malaysia has responded to the Authority in the present investigation. For all the non-cooperative producers/exporters in Malaysia, the Authority has determined the normal value at ex-factory level on the basis of best available information and the same is shown in the Dumping Margin Table below.

Normal value for Nepal

Normal Value for cooperating producers/ exporters from Nepal

M/s. Hulas Wire Industries Limited

52. The Authority notes that Hulas Wire Industries Limited is a producer and exporter of the subject goods based in Nepal. Hulas Wire Industries Limited has claimed normal value on the basis of sales made in the domestic market. It is noted that the company has made sales to unrelated customers in domestic market. To determine the normal value, the Authority conducted the ordinary course of

trade test to determine profit making domestic sales transactions with reference to the cost of production of subject goods for each PCN. Where the profit-making transactions for particular PCN is more than 80%, all transactions in the domestic sales are being considered for the determination of normal value and in cases profit making transactions are less than 80%, only profitable domestic sales are being taken into consideration for the determination of the normal value. In case where comparable PCN were not sold in sold domestic market, the Authority has constructed the normal value for these PCNs on the basis of cost of production, selling general & administrative expenses and adding reasonable profit. The company has claimed adjustments on account of inland freight, credit cost and insurance. Authority has allowed the same after due verification and normal value at ex-factory level has been determined and the same is shown in the Dumping Margin Table below.

Normal value for non-cooperating producers/exporters from Nepal

53. The Authority notes that no other producer/exporter from Nepal has responded to the Authority in the present investigation. For all the noncooperative producers/exporters in Nepal, the Authority has determined the normal value at ex-factory level on the basis of best available information and the same is shown in the Dumping Margin Table below.

Normal value for Thailand

Normal Value for cooperating producers/exporters from Thailand

Siam Poongsan Metal Co., Ltd., Thailand

54. During the POI, Siam Poongsan Metal Co., Ltd., has sold the subject goods in the domestic market to unrelated parties. The domestic sales are in sufficient volumes when compared with exports to India. To determine the normal value, the Authority conducted the ordinary course of trade test to determine profit making domestic sales transactions with reference to the cost of production of subject goods for each PCN. Where the profit-making transactions for particular PCN is more than 80%, all transactions in the domestic sales are being considered for the determination of normal value and in cases profit making transactions are less than 80%, only profitable domestic sales are being taken into consideration for the determination of the normal value. In case where comparable PCNs were not sold in sold domestic market, the Authority has constructed the normal value for these PCNs on the basis of cost of production, selling general and administrative expenses and adding reasonable profit.
55. Siam Poongsan Metal Co., Ltd., Thailand, has claimed adjustment on account of inland transportation, packing expenses, credit cost, any other deduction and the same have been allowed by the Authority. Accordingly, normal value at ex-factory level for Siam Poongsan Metal Co., Ltd., Thailand, has been determined and the same is shown in the Dumping Margin Table below.

Normal value for non-cooperating producers/exporters from Thailand

56. The Authority notes that no other producer/exporter from Thailand has responded to the Authority in the present investigation. For all the noncooperative producers/exporters in Thailand, the Authority has determined the normal value at ex-factory level on the basis of best available information and the same is shown in the Dumping Margin Table below.

Normal value for Sri Lanka

57. The Authority notes that exporter's questionnaire response has been submitted by M/s Simmet Pvt Ltd, Sri Lanka. However, the exporter's questionnaire response submitted by M/s Simmet Pvt Ltd is not as per prescribed format. Further, the company has failed to submit the relevant appendices in excel format. The company also failed to provide the supporting documents requested by the Authority. Accordingly, Authority is unable to accept the response filed by Simmet Pvt Ltd and the normal value for Simmet Pvt Ltd and all other non-cooperating producers has been determined on the basis of facts available and the same is shown in the Dumping Margin Table below.

G.3.2.DETERMINATION OF EXPORT PRICE

Export price for China PR

Export Price for cooperating producers/exporters from China PR

Export price for M/s. Ningbo Xingye Shengtai Group Co., Ltd, China PR and M/s Ningbo Xingye Xintai New Electronic Material Co., Ltd

58. The following companies have filed the Exporters Questionnaire response:
- M/s. Ningbo Xingye Shengtai Group Co., Ltd., who is a producer of the product under consideration in China PR and has also exported to India;
 - M/s. Ningbo Xingye Xintai New Electronic Material Co., Ltd. who is a producer of the product under consideration in China PR and involved in domestic sales of PUC but has not exported to India during POI; and
 - M/s. Ningbo HangZhou Bay Qiangtai Metal Material Co., Ltd. (trader) who is involved in sale of the product under consideration in domestic market.
59. The Authority notes that M/s. Ningbo Xingye Shengtai Group Co., Ltd, China PR produced and exported the PUC to unrelated customers in India during the POI. The Authority has determined the ex-factory export price for M/s. Ningbo Xingye Shengtai Group Co., Ltd, China PR based on their export price after taking into consideration its claims of port and other related expenses, inland transportation, insurance, ocean freight, non-refundable VAT and bank charges.

Export Price for Non-cooperating producers/exporters from China PR

60. For the non-cooperating exporters from China PR, the Authority has computed the export price for based on DGCI&S transaction-wise data. Price adjustments have been made on account of ocean freight, marine insurance, commission, inland freight expenses, port expenses, bank charges and non-refundable VAT.

Export price for Korea RP

Export Price for cooperating producers/exporters from Korea RP

Export Price for M/s. Poongsan Corporation, Korea RP and M/s. Hyundai Corporation, Korea RP

61. Poongsan Corporation, who is a producer and exporter of the subject goods in Korea RP, has filed questionnaire response. During the POI, Poongsan Corporation, exported the subject goods to India directly and through an unrelated trader namely Hyundai Corporation, Korea RP. Poongsan Corporation and Hyundai Corporation have provided all the relevant information in requisite format. Poongsan Corporation has claimed adjustment on account of ocean freight, insurance, inland transportation, port and other related expenses, credit cost, bank charges, packing expenses, other deduction and duty drawback. The Authority has not accepted the adjustment of duty drawback due to non-submission of relevant documentary evidence. Accordingly, the net export price at ex-factory level for Poongsan Corporation, has been determined and the same is shown in the Dumping Margin Table below.

Export Price for Non-cooperating producers/exporters from Korea RP

62. For the non-cooperating exporters from Korea RP, the Authority has computed the export price on the basis of best available information and the same is shown in the Dumping Margin Table below.

Export price for Malaysia

Export Price for cooperating producers/exporters from Malaysia

Export price for Luvata Malaysia Sdn Bhd

63. Luvata Malaysia Sdn Bhd Malaysia has exported the product under consideration directly to India during the period of investigation. Adjustments have been claimed on account of ocean freight, Inland freight, insurance, credit cost and port related expenses by the producer in its response to the questionnaire in order to arrive at the net export price at ex-factory level. These adjustments have been accepted by the Authority. Accordingly, the net export price at ex-factory level for Luvata Malaysia Sdn Bhd has been determined, which is indicated in the Dumping Margin Table below. As sunwire is not a part of PUC, the same has not been taken into account for dumping margin determination.

Export Price for Non-cooperating producers/exporters from Malaysia

64. For the non-cooperating exporters from Malaysia, the Authority has computed the export price for all the subject countries based on DGCI&S transaction-wise data. Price adjustments have been made on account of ocean freight, marine insurance, commission, inland freight expenses, port expenses and bank charges.

Export price for Nepal**Export Price for cooperating producers/exporters from Nepal**

Export price for Hulas Wire Industries Limited

65. Nepal Hulas Wire Industries Limited has exported the product under consideration directly to India during the period of investigation. Adjustments have been claimed on account of Inland freight, insurance, port and other related expenses, by the exporter in its response to the questionnaire in order to arrive at the net export price at ex-factory level. These adjustments have been accepted by the Authority. Accordingly, the net export price at ex-factory level for Hulas Wire Industries Limited. has been determined, which is indicated in the Dumping Margin Table below.

Export Price for Non-cooperating producers/Exporters from Nepal

66. For the non-cooperating exporters from Nepal, the Authority has computed the export price on the basis of best available information and the same is shown in the Dumping Margin Table below.

Export price for Thailand**Export Price for cooperating producers/exporters from Thailand**

Export price for Siam Poongsan Metal Co., Ltd

67. During the POI, Siam Poongsan Metal Co., Ltd., exported the subject goods to India directly to unrelated parties in India. Siam Poongsan Metal Co., Ltd., has provided all the relevant information in requisite format. Siam Poongsan Metal Co., Ltd., has claimed adjustments on account of ocean freight, insurance, inland transportation, custom cost, bank charges, LC fee, credit cost, packing cost and other deduction. Accordingly, the net export price at ex-factory level for Siam Poongsan Metal Co., Ltd., has been determined and the same is shown in the Dumping Margin Table below.

Export Price for Non-cooperating producers/exporters from Thailand

68. For the non-cooperating exporters from Thailand, the Authority has computed the export price on the basis of best available information and the same is shown in the Dumping Margin Table below.

Export price for Sri Lanka

69. As stated above, the Authority is unable to accept the response filed by M/s. Simmet Pvt Ltd, Sri Lanka. Accordingly, the export price for all producers/exporters from Sri Lanka has computed on the basis of best available information and the same is shown in the Dumping Margin Table below.

G.3.3 DUMPING MARGIN

70. Based on the normal value and export price determined as above, the dumping margin for the producers/exporters from the subject countries has been determined by the Authority and the same is mentioned in the table below.

Subject Countries	Normal Value (US\$/MT)	Export Price (US\$/MT)	Dumping Margin (US\$/MT)	Dumping Margin (%)	Dumping Margin Range (%)
China PR					
1. M/s. Ningbo Xingye Shengtai Group Co., Ltd, China PR	***	***	***	***	0-10
2. M/s. Ningbo Xingye Xintai New Electronic Material Co., Ltd, China PR					
All Others	***	***	***	***	10-20
Korea	***	***	***	***	
M/s. Poongsan Corporation	***	***	***	***	0-10

All Others	***	***	***	***	10-20
Malaysia	***	***	***	***	
M/s. Luvata Malaysia Sdn Bhd Malaysia	***	***	***	***	20-30
All Others	***	***	***	***	30-40
Nepal	***	***	***	***	
M/s. Hulas Wire Industries Ltd	***	***	***	***	5-15
All Others	***	***	***	***	5-15
Thailand	***	***	***	***	
M/s. Siam Poongsan Metal Co., Ltd., Thailand	***	***	***	***	10-20
All Others	***	***	***	***	20-30
Sri Lanka	***	***	***	***	
Any	***	***	***	***	20-30

71. It is noted that the dumping margins for the subject countries are above *de minimis* limits prescribed under the rules, and are significantly positive.

H. INJURY ASSESSMENT AND CAUSAL LINK

H.1 Submissions of the domestic industry

72. The submissions made by domestic industry with regard to injury and causal link are summarized as follows:

- i. Copper flat rolled products are widely sold and purchased on daily basis in the London Metal Exchange (LME). Contracts between producers and consumers are typically referenced to the globally accepted price. Further there are negotiations about fabrication costs and number of factors that are considered during the negotiation of a metal contract that will lead to fabrication costs. Price in non-ferrous metals market is negotiated based on (1) a base reference price (i.e. LME price) and (2) a fabrication cost.
- ii. The Authority is requested to cumulatively assess the effect of such imports as (a) the margin of dumping for the subject goods from each of the subject countries is more than *de minimis*; (b) the volume of imports from the subject countries is more than three percent and (c) exports from subject countries compete inter se and with the like article offered by the domestic industry in the Indian market.
- iii. The Demand for the subject goods has declined over the injury period due to economic slowdown in the major sectors (such as automobile).
- iv. Some consumers have shifted to high value special alloy products which are not produced in India.
- v. Imports from subject countries in absolute terms and in relation to production and consumption have increased from the base year to 2017-18 and thereafter declined till the POI. This is due to (a) decline in demand, and (b) higher imports in the past leading to some of the domestic producers turning to import & sales, suspending production in view of dumping in the Country. The level of imports is higher in the POI than the base year.
- vi. The applicant has undertaken price undercutting on PCN basis. While weighted average price undercutting for the product from subject countries is positive, the price undercutting for majority of the imports is quite significant showing that the prices of dumped imports have had an adverse impact on the domestic industry.
- vii. The cost of sales increased throughout the injury period, but the selling price increased from the base year till 2018-19 and declined thereafter in the POI. The increase in selling price was less than the increase in cost of sales in the POI. The dumped imports are causing price suppression leading to significant decline in profits of the domestic industry.

- viii. Production, capacity utilization and sales of the domestic industry declined from the base year in the year 2017-18, increased thereafter in 2018-19 and again declined in the POI.
- ix. Market share of the domestic industry declined in the POI whereby the domestic industry made efforts to cater to the demand that was being catered by imports.
- x. The profits, PBIT and cash profit of the domestic industry increased from the base year till 2017-18 and declined drastically in the POI. The domestic industry has not been able to even sell at prices which will provide reasonable margin.
- xi. Due to imports and despite domestic industry selling at low prices, the inventories with the domestic industry increased over the injury period and doubled over the injury period.
- xii. Productivity of the domestic industry has shown a fluctuating trend. It declined from the base year in the year 2017-18, thereafter increased in 2018-19 and declined in the POI.
- xiii. Employment has increased throughout the injury period. Wages have shown improvement from the base year till 2018-19 and thereafter declined in the POI. Employment and wages are not solely dependent on the performance of the subject goods as the domestic industry is governed by labour laws and statutory provisions.
- xiv. Growth of the Domestic Industry in terms of production, capacity utilization and domestic sales volume have shown fluctuating trends and decline in the POI. However, growth in terms of the price parameters is negative. Growth of the domestic industry is much lower than what should have been in the absence of dumped imports.
- xv. Low priced imports are a serious threat to the financial viability of the operations of the domestic industry. Domestic industry continued its operations despite adverse profitability in the POI. The current situation cannot be sustained for a long period.
- xvi. Imports of product from European Union (EU) are above de-minimis level, but they are at higher prices. Imports from other countries are negligible.
- xvii. Contraction in demand has not contributed to adverse price effect suffered by the domestic industry.
- xviii. The pattern of consumption has seen some consumers moving to high value special alloy products, mainly used in auto sector whereby the use of copper and copper alloy flat rolled products is nominal. The adverse price effect is not due to this factor.
- xix. There is no trade restrictive practice, which could have contributed to the injury.
- xx. Technology for production of the product concerned has not undergone any change.
- xxi. The performance of the domestic industry and injury thereto has been examined with respect to the domestic sales operations to the extent possible.
- xxii. Claimed injury to the domestic industry is on account of product under consideration only.
- xxiii. In WTO ADA provision it is mentioned that “The demonstration of “a causal” relationship between the dumped imports and the injury to the domestic industry shall be based on an examination of all relevant evidence before the authorities”. The only legal requirement is that dumping should be “one of the causes” of injury to the DI.
- xxiv. DI has suffered material injury due to the dumping from the subject countries.
- xxv. Domestic industry is also using PNG apart from electricity. Thus, the exporters are not so cost efficient in terms of utility cost of subject goods.
- xxvi. The financial reports are not just dependent on the performance of the PUC. The sale of NPUC and exports of PUC has increased till 2018-19 with a slight decline in the POI due to non-availability of the domestic market.
- xxvii. The NIP is determined in consonance with Annexure-III and the decision of the CESTAT for which the best utilisation of the raw materials and the best utilisation of production capacity by the DI over the injury period is considered by the Authority

H.2 Submissions of other interested parties

73. The following submissions have been made by other interested parties with regard to injury and causal link:
- i. Decline in demand has caused injury to the domestic industry.
 - ii. Imports from China PR have declined significantly by almost 30% during the POI as compared to the base year. The import price from China PR has increased from 2016-17 to the POI and are amongst the highest within the subject countries and increased during the injury period despite customs duty applicable on imports of China PR.
 - iii. Chinese producers use Liquified Natural Gas (LNG) as energy for the production process as compared to fuel which are used by Indian producers and producers based in other subject countries making Chinese producers cost efficient.
 - iv. Chinese imports are not competing and not causing any injury to the domestic industry as Chinese producers/exporters have moved into middle and high-end subject goods to meet Indian demand as the customers in India have been shifted to high end copper alloy flat rolled products which are not produced in India.
 - v. The Authority should not recommend imposition of duty on the imports from China.
 - vi. Domestic industry has registered sharp increase in export sales from 2016-17 to the POI.
 - vii. There is no injury being caused to the Petitioner as (a) there is no significant increase in dumped imports; (b) import prices have increased; (c) demand has decreased; and (d) market share of imported products has decreased.
 - viii. The GOI has extended the Emergency Credit Line Scheme to non-ferrous metal industry and sanctioned a loan amount of 3 lakh crores to Covid hit MSMEs. Injury suffered by the domestic industry due to other factors will be remedied by several support measures announced by government for MSME sector pursuant to Covid-19 pandemic.
 - ix. The annual volume of Sri Lanka's exports to India is below the de-minimis threshold of 3%. In 2017, when there wasn't an exporter from Sri Lanka, the data indicates 305 MT imports which is based on incorrect information and cannot be accepted. The company has commenced its operations only in April 2017. Further, Sri Lanka exports to India are of commercial grade and not even ETP grade or high-end copper alloy product.
 - x. This average price taken for Copper Sheet, Copper Alloy Sheet and Brass Sheet is incorrect.
 - xi. There is no volume injury as the volume of subject goods in absolute terms and in relation to demand and Indian production have declined in POI
 - xii. Demand has declined and the fall in production quantity of the domestic industry is much less as compared to the fall in demand.
 - xiii. The price difference between two different qualities is clear; (1) Products made of prime metals & (2) Products made out of scrap (recycling process). This is required to be considered for levy of any duty on rolled product at least produced out of scrap through recycling process (which saves the nature and energy). Every end product is different and does not need the raw material made out of prime metal. Like few items of hardware or components where chemistry is not important and in that case a petitioner can't force to consume their products as raw material. Application of every end product is different, and industries are free to use products made out of recycling process to the extent of the benefit of the price to the end user.
 - xiv. There is a different usage depending upon the end user requirement, so comparing just the price is not a correct method to adopt for imposition of any additional duty demanded by any third parties who wish to have monopoly in the country.
 - xv. There is improvement in economic parameters of domestic industry as market share, export sales and employment. Productivity has declined due to poor strategic decisions made by the domestic industry as they did not anticipate the evolution of the demand and took the wrong decision to increase its production quantity and number of employees.

- xvi. Injury, if any, is due to fall in demand leading to negative impact on both cash profits and ROCE, which is still positive in POI.
- xvii. There is absence of causal link between dumping and injury. Injury is due to other factors such as decline in demand and shift to high value products. Reliance is placed on WTO AB finding in DS 184 US- Certain hot rolled steel products from Japan regarding non- attribution standards to that of Article 3.5 of WTO ADD rules.
- xviii. The market has become buyers' market as the supply of the subject goods exceeds the demand and the producer of the subject goods caters to the interest of the buyer whereby a buyer is able to extract the lowest/best price of the subject goods which creates price pressure on the domestic industry which affects its profitability.
- xix. Price pressure on the domestic industry created by buyers, fall in demand and 30-40% of Indian unorganized sector which is giving tough competition to organized sectors in terms of price.
- xx. Poor strategic decisions led to increase in production leading to increase in inventory and decline in profitability. Increase in depreciation of the capital assets attributed to the decline in profits, cash profits, ROCE.
- xxi. As per subsection (iii) para (4) of Rules, the Authority should scrutinize the expenses claimed and shall not consider Increase/Decrease in Work in progress, Research & Development expenses, export related expenses and advertisement for Non-Injurious price calculation as considered by domestic industry in Format L.
- xxii. The petitioner himself a businessman and a competitor in business and these kinds of half-truth in petition makes him liable for adverse suit.
- xxiii. Ex-factory level deduction is away from real cost of exporting and highly exaggerated.
- xxiv. Not established which product and which grade is considered for calculation of IM.
- xxv. It is the end user who decided from where he has to get the goods and on what price. Also, until covid-19, the Indian economy's annual avg. GDP growth rate was approx. 7% and demand reduction can only be temporary.

H.3 Examination of the Authority

- 74. The Authority has taken note of various submissions made by the domestic Industry and other interested parties and analysed the same considering the facts available on record and the prevailing legal position. The injury analysis made by the Authority hereunder ipso facto addresses the various submissions made by the interested parties.
- 75. It is noted that Rule 11 read with Annexure II dealing with injury specifies that the Authority shall record a finding whether dumped imports of such article into India cause or threaten material injury to any established industry in India or materially retards the establishment of any industry in India. Further, it specifies that the Authority shall determine the injury to domestic industry, threat of injury to domestic industry, material retardation to establishment of domestic industry and a causal link between dumped imports and injury, taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on price in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles and in accordance with the principles set out under the rules.

H.3.1 Cumulative Assessment

- 76. Article 3.3 of WTO agreement and Para (iii) of Annexure II of the Rules provides that in case where imports of a product from more than one country are being simultaneously subjected to anti-dumping investigation, the Authority will cumulatively assess the effect of such imports, in case it determines that:
 - i. Margin of dumping established in relation to the imports from each country is more than two percent expressed as percentage of export price and the volume of imports from each country is three percent (or more) of the import of like article or where the import of individual countries is less than three percent, the imports collectively account for more than seven percent of the import of like article; and

- ii. Cumulative assessment of the effect of imports is appropriate in the light of the conditions of competition between the imported article and the like domestic article.
77. The Authority notes that:
- The subject goods supplied from various subject countries and by the domestic industry are like articles.
 - The subject goods are being dumped into India from subject countries. The margin of dumping from each of the subject countries is more than the de minimis limits prescribed under the Rules.
 - The volume of imports from each of the subject countries is individually more than 3% of total volume of imports.
 - Prices at which the goods are being exported from the subject countries indicate a clear inter se competition between the imports from these sources in the Indian market.
 - The competition between the dumped imported articles and the like articles offered by the domestic industry in the Indian market exists.
 - Cumulative assessment of the effect of imports is appropriate as the exports from the subject countries not only directly compete inter se but also with the like articles offered by the domestic industry in the Indian market.
78. Rule II of the Rules read with Annexure II provides *that an injury determination shall involve an objective examination of both (a) the volume of the dumped imports and the effect of the dumped imports on prices in the domestic market for like article and (b) the consequent impact of these imports on domestic producers of such products. In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. For the examination of the impact of the dumped imports on the Domestic Industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, stock, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping, etc. should be considered in accordance with Annexure II of the Rules.*
79. In view of the above, the Authority considers that it is appropriate to assess injury to the domestic industry cumulatively from imports of the subject goods from the subject countries.
80. The Authority notes that the imports from Sri Lanka have been verified from import data procured from both DGCI&S & DG systems whereby it is found that the imports are 6.68% of the total imports i.e., above *de minimis limits*.

H.3.2 Volume effect of the dumped imports on the domestic industry

a. Assessment of demand/apparent consumption

81. For the purpose of the present investigation, the Authority has taken into consideration the demand or apparent consumption of the product in India as the sum of domestic sales of the Indian Producers and imports from all sources.

Demand in India	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Sales of domestic industry	MT	***	***	***	***
Sales of Other Indian Producers	MT	***	***	***	***
Total Indian Producers	MT	***	***	***	***
Imports from Subject Countries	MT	7,494	8,233	7,650	7,040
China PR	MT	2,532	2,606	2,071	1,810
Korea RP	MT	367	709	945	541
Nepal	MT	1,552	1,285	1,399	1,305

Sri Lanka	MT	305	604	511	675
Thailand	MT	2,085	2,655	2,187	2,265
Malaysia	MT	654	374	538	444
Imports from Other Countries	MT	4,762	4,834	2,457	3,058
Total Demand	MT	***	***	***	***
Demand (Indexed)		100	98	90	85

82. It is noted that the demand for the product under consideration has shown a declining trend throughout the injury period including the POI.

i. Import volumes from subject country

83. With regard to the volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports from subject countries, either in absolute terms or relative to production or consumption in India.

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Import Volume					
Subject Countries	MT	7,494	8,233	7,650	7,040
China PR	MT	2,532	2,606	2,071	1,810
Korea RP	MT	367	709	945	541
Nepal	MT	1,552	1,285	1,399	1,305
Sri Lanka	MT	305	604	511	675
Thailand	MT	2,085	2,655	2,187	2,265
Malaysia	MT	654	374	538	444
Other Countries	MT	4,762	4,834	2,457	3,058
Total Imports	MT	12,256	13,067	10,107	10,099

84. The Authority notes that the volume of imports from subject countries has shown a declining trend throughout the injury investigation period including the POI.

ii. Subject Countries Imports in relative terms

85. It is seen that the imports from subject countries in relation to production and demand increased till 2018-19 and have thereafter declined during the POI.

Import in relation to	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Total Imports	%	61.15	63.01	75.69	69.72
Total Demand	%	***	***	***	***
Total Indian Production	%	***	***	***	***
Total Indian Production	Indexed	100	115	108	104

H.3.3 Price effect of the dumped imports

86. With regard to the effect of the dumped imports on prices, it is required to be analyzed whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared to the price of the like products in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices or prevent price increases, which otherwise would have occurred in the normal course. The impact on the prices of the domestic industry on account of the dumped imports from subject countries has been examined with reference to price undercutting, price suppression and price depression, if any. For the purpose of this analysis, the cost of production, net sales realization (NSR) and the NIP of the domestic industry have been compared with landed price of imports of the subject goods from the subject countries.

a. Price Undercutting

87. For the purpose of price undercutting analysis, the net selling price of the domestic industry has been compared with the landed value of imports from the subject countries. Accordingly, the undercutting effects of the dumped imports from the subject countries work out as follows:

Countries	Landed Price Rs/Mt	POI NSR Rs/Mt	Undercutting Rs/Mt	Undercutting %	Range
China PR	4,81,795.70	***	***	***	0-10
Korea RP	4,39,506.59	***	***	***	10-20
Malaysia	3,99,664.43	***	***	***	20-30
Nepal	4,08,060.76	***	***	***	15-25
Sri Lanka	4,43,156.84	***	***	***	10-20
Thailand	4,81,293.08	***	***	***	0-10
Subject Countries	4,40,078.88	***	***	***	10-20

88. From the aforesaid table, it can be seen that the imports from subject countries are at prices below the selling price of the domestic industry. Price undercutting during the POI is positive for each of the subject country.

b. Price suppression and depression

89. In order to determine whether the dumped imports are depressing the domestic prices and whether the effect of such imports is to suppress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred in normal course, the changes in the costs and prices over the injury period, have been compared as below:

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Cost of sales	₹/Mt	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	117	126	127
Selling price	₹/Mt	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	117	123	119
Landed price	₹/Mt	3,62,664	4,25,126	4,66,112	4,40,079
Trend	Indexed	100	117	129	121

90. The following can be seen:

- Imports from subject countries were at prices lower than the cost of sales of the domestic industry throughout the injury investigation period including POI.
- A comparison of the cost of production and selling price shows that the selling price declined in the POI, whereas cost of production has increased in the POI.

91. It is thus seen that the imports are depressing and suppressing the prices of the domestic industry in the market.

H.3.4. Economic parameters of the domestic industry

92. Annexure II to the AD Rules requires that the determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of dumped imports on domestic producers of such products. With regard to consequent impact of dumped imports on domestic producers of such products, the

Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. The various injury parameters relating to the domestic industry are discussed herein below.

93. The Authority has examined the injury parameters objectively taking into account various facts and arguments made by the interested parties in their submissions.

a. Production, capacity, sales and capacity utilization

94. Capacity, production, sales and capacity utilization of the domestic industry over the injury period is given in the following table:

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Installed Capacity	MT	***	***	***	***
Indexed		100	100	100	100
Production Quantity with job work	MT	***	***	***	***
Indexed		100	94	105	95
Production Quantity without job work	MT	***	***	***	***
Indexed		100	89	100	90
Job work production	MT	***	***	***	***
Indexed		100	109	119	109
Capacity Utilisation	%	***	***	***	***
Indexed		100	93	104	93
Domestic Sales	MT	***	***	***	***
Indexed		100	90	95	83
Export Sales	MT	***	***	***	***
Indexed		100	81	131	125

95. The following is observed from the above table:

- The production, domestic sales, capacity utilization and export sales of the domestic industry first declined in 2017-18, then improved in 2018-19 and thereafter declined in POI.
- The capacity of the domestic industry has been stagnant throughout the injury period.
- The fall in production and domestic sales during POI is commensurate with the fall in demand for the product under consideration.

b. Market share

96. Market share of the domestic industry and of imports is shown in table below:

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Market Share in Demand					
Sales of domestic industry	%	***	***	***	***
Range	%	30-40	30-40	30-40	30-40
Sales of Other Indian Producers	%	***	***	***	***
Range	%	40-50	40-50	40-50	40-50
Total Indian Producers	%	***	***	***	***

Range	%	75-85	75-85	75-85	75-85
Subject Countries	%	12.28	13.73	13.86	13.52
Other Countries	%	7.80	8.06	4.45	5.87
Total Demand	%	100.00	100.00	100.00	100.00

97. It is noted that:

- Market share of the domestic industry and Indian producers as a whole improved till 2018-19 with a slight decline during the POI.
- Market share of imports from subject countries improved till 2018-19 with a slight decline during the POI.

c. Profit/Loss, Cash Flow, Return on Capital Employed

98. Profitability, return on investment and cash profits of the domestic industry over the injury period is given in the table below:

Particulars	UOM	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Selling price	₹/Mt	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	117	123	119
Cost	₹/Mt	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	117	126	127
Profit/ loss	₹/Mt	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	108	76	(19)
Profit/ loss	₹ Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	97	73	(16)
Cash profit	₹ Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	100	83	10
ROCE	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	89	73	16

99. It is noted that:

- The domestic industry suffered losses during the POI.
- The cash profits and ROCE declined significantly during the POI as compared to preceding years.

d. Inventories

100. Inventory position with the domestic industry over the injury period is given in the table below:

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Average stocks	MT	***	***	***	***
	<i>Trend</i>	100	127	151	172
Opening Stock	MT	***	***	***	***
Closing stock	MT	***	***	***	***

101. It is seen that the inventories with the domestic industry have increased significantly over the injury period. The domestic industry is suffering from accumulation of inventories.

e. Productivity

102. Performance of the domestic industry with regard to productivity was as follows:

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Productivity per day	MT/day	***	***	***	***
	Trend	100	89	100	90
Productivity per employee	MT/employee	***	***	***	***
	Trend	100	78	86	77

103. It is seen that the Productivity per day and Productivity per employee of the domestic industry has declined in 2017-18, increased in 2018-19 and declined in the POI.

f. Employment and Wages

104. Performance of the domestic industry with regard to employment, productivity and wages over the injury period was as follows.

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
No. of employee	No.	***	***	***	***
	Trend	100	115	117	117
Wages		***	***	***	***
	Trend	100	115	131	95

105. It is seen that the number of employees has increased throughout the injury period. Wages increased during injury period but declined during period of investigation.

g. Growth

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Production without job work (MT)	%		-11	13	-11
Domestic Sales without job work (MT)	%		-10	6	-12
Cost of sales (₹/MT)	%		17	8	1
Selling price (₹/MT)	%		17	6	-4
Profit/loss (₹/MT)	%		8	-29	-124
ROCE (%)	%		-12	-20	-75

106. The production, domestic sales and capacity utilization of the domestic industry improved till 2018-19 and thereafter declined in POI. The fall in production and domestic sales during POI is commensurate with the fall in demand for the product under consideration. The domestic industry suffered losses during the POI. The cash profits and ROCE declined significantly during the POI as compared to preceding years.

h. Ability to raise capital investments

107. The Authority notes that profitability of the domestic industry has deteriorated and this deterioration is bound to have an impact on the ability of the petitioning domestic industry to raise capital investments.

i. Magnitude of Dumping Margin

108. It is noted that the subject goods are being dumped into India and the dumping margin is positive and significant.

j. Factors affecting prices

109. The examination of the import prices from subject countries, change in the cost structure, competition in the domestic market, factors other than dumped imports that might be affecting the prices of the domestic industry in the domestic market would show that the landed value of imported material from subject countries are the benchmark for the selling price of domestic market. In fact, the domestic industry is matching the price of imports, and has not increased its prices in proportion to the increase in costs. This shows that the imports are affecting the prices of the domestic industry.

H.3.5. Overall conclusion on injury

110. The examination of the imports of the subject product and performance of domestic industry shows that:

- a. The demand for the product under consideration has shown a declining trend throughout the period of investigation including the POI.
- b. The volume of imports from subject countries has shown a declining trend throughout the injury investigation period including the POI.
- c. Price undercutting during the POI is positive for each of the subject country.
- d. The production, domestic sales and capacity utilization of the domestic industry improved till 2018-19 and thereafter declined in POI. The fall in production and domestic sales during POI is commensurate with the fall in demand for the product under consideration.
- e. The domestic industry suffered losses during the POI.
- f. The cash profits and ROCE declined significantly during the POI as compared to preceding years.

H.3.6 Non-attribution analysis

111. As per the Rules, the Authority, inter alia, is required to examine any known factors other than the dumped imports which at the same time are injuring the domestic industry, so that the injury caused by these other factors may not be attributed to the dumped imports.

Other known factors and causal link

112. Factors which may be relevant in this respect include, inter alia, the volume and prices of imports not sold at dumped prices, contraction in demand or changes in the patterns of consumption, trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers, developments in technology and the export performance and the productivity of the domestic industry. It has been examined below whether factors other than dumped imports could have contributed to the injury to the domestic industry.

a. Volume and price of imports from third countries

113. Imports of product from European Union (EU) being at higher prices are not causing injury to the domestic industry.

b. Contraction in demand

114. The Authority notes that the demand for the subject goods has declined throughout the injury investigation period including the POI. However, the impact of fall in demand is not so significant so as to break the causal link between the dumped imports and the material injury being suffered by the domestic industry on profitability parameters.

c. Changes in the pattern of consumption

115. Some consumers of copper and copper alloy flat rolled products have moved to high value special alloy products. Such high value products are mainly used in Auto sector.

d. Trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers

116. The import of the subject goods is not restricted in any manner and the same are freely importable in the country. No evidence has been submitted by any interested party to suggest that the conditions of competition between the foreign and the domestic producers have undergone any change.

e. Developments in technology

117. None of the interested parties have furnished any evidence to demonstrate significant changes in the technology that could have caused injury to the domestic industry. Both flat rolled product and drawn product is used in India. Further, difference in the process does not result in different product. It is merely a case of producing the same product through different processes. It is well understood under the law and practice that the difference in production process is immaterial so long as the resultant product are not different. The interested parties have not established that the product produced through different processes are technically and commercially different product. The interested parties should establish on the basis of various product criteria that the products are technically and commercially different.

f. Export performance

118. The Authority has considered the data for domestic operations only for its injury analysis.

g. Performance of other products being produced and sold by the domestic industry

119. The Authority notes that the performance of other products being produced and sold by the domestic industry does not appear to be a possible cause of injury to the domestic industry as the Authority has considered the data of PUC only for injury analysis.

H.3.7 Factors establishing causal link

120. The Authority notes as follows:

- a) The dumping margin for all the subject countries is above de-minimis limits.
- b) The demand for the product under consideration has shown a declining trend throughout the injury period including the POI. However, the impact of fall in demand is not so significant so as to break the causal link between the dumped imports and the material injury being suffered by the domestic industry on profitability parameters.
- c) The volume of imports from subject countries has shown a declining trend throughout the injury investigation period including the POI.
- d) Price undercutting during the POI is positive for each of the subject country.
- e) The production, domestic sales and capacity utilization of the domestic industry improved till 2018-19 and thereafter declined in POI. The fall in production and domestic sales during POI is commensurate with the fall in demand for the product under consideration.
- f) The domestic industry suffered losses during the POI.
- g) The cash profits and ROCE declined significantly during the POI as compared to preceding years.

I. MAGNITUDE OF INJURY MARGIN

121. The Authority has determined Non-Injurious Price (NIP) for the domestic industry on the basis of principles laid down in Anti-Dumping Rules read with Annexure III, as amended. The non-injurious price of the product under consideration has been determined by adopting the information/data relating to the cost of production for the period of investigation. The non-injurious price has been considered for comparing the landed price from the subject country for calculating injury margin. For determining the non-injurious price, a reasonable return (pre-tax @ 22%) on average capital employed (i.e. average net fixed assets plus average working capital) for the product under consideration was allowed as pre-tax profit.
122. For all the non-cooperative producers/exporters from the subject countries, the Authority has determined the landed price based on facts available.

123. Based on the landed price and non-injurious price determined as above, the injury margins for producers/exporters have been determined and the same is provided in the table below:

Subject Countries	Landed Value (US\$/MT)	Non Injurious Price (US\$/MT)	Injury Margin (US\$/MT)	Injury Margin (%)	Injury Margin Range
China PR					
1. M/s. Ningbo Xingye Shengtai Group Co., Ltd, China PR 2. M/s. Ningbo Xingye Xintai New Electronic Material Co., Ltd, China PR	***	***	***	***	0-10
All Others	***	***	***	***	5-15
Korea RP	***	***	***	***	
M/s. Poongsan Corporation	***	***	***	***	Negative
All Others	***	***	***	***	5-15
Malaysia	***	***	***	***	
M/s. Luvata Malaysia Sdn Bhd Malaysia	***	***	***	***	5-15
All Others	***	***	***	***	10-20
Nepal	***	***	***	***	
M/s. Hulas Wire Industries Ltd	***	***	***	***	5-15
All Others	***	***	***	***	5-15
Thailand	***	***	***	***	
M/s. Siam Poongsan Metal Co., Ltd., Thailand	***	***	***	***	0-10
All Others	***	***	***	***	5-15
Sri Lanka	***	***	***	***	
Any	***	***	***	***	5-15

J. POST-DISCLOSURE COMMENTS

124. The disclosure statement was issue by the Authority on 01.04.2021 disclosing essential facts of the case and inviting comments thereon from all the interested parties. The post-disclosure submissions have been received from the interested parties. Majority of the issues raised are reiterations and have already been raised earlier and also addressed appropriately. Additional submissions to the extent deemed relevant have been examined as under.

J.1 Submissions of the domestic industry

125. The following submissions have been made by domestic industry:

- The observations of the Authority with regard to product under consideration and like article is correct.
- Observations of the Authority with regard to domestic industry and standing is correct. It is correct to rely on the available information for the purpose of determining the total production in India and standing of the applicant.
- The imposition of the measures would not restrict imports from the subject countries in any way and would not affect the availability of the product to the consumers. The consumers could still maintain two or even more sources of supply.

- iv. Imposition of the proposed anti-dumping duty will not result in any significant adverse impact on the eventual end product and the imposition will be in the larger public interest.
- v. There are no additional submissions with regard to the observations of the Designated Authority in respect of injury and causal link. The Authority has already found that the imports are undercutting the prices of the domestic industry to a significant degree.
- vi. Duty may kindly be imposed on ad-valorem basis expressed as % of CIF price because of (a) changes in LME on frequent basis and (b) the subject goods having various PCNs. If ADD is kept on the basis of fixed quantum, the same would mean under protection to high priced product types and over protection to low priced product types.

J.2 Submissions of other interested parties

126. The following submissions have been made by other interested parties

- i. The Authority cannot initiate an investigation on the basis of particular data and thereafter, ask the domestic industry to furnish updated information.
- ii. Authority should calculate normal value for producers/exporters as per the information provided in the questionnaire response.
- iii. We agree with the Net Export Price calculated by the Authority for Hulas, however, there seems some error in the calculation of normal value for 3 out of 4 PCNs.
- iv. Authority is required to follow lesser-duty rule as per Rule 17(1)(b) of the AD Rules. The Authority had determined in the disclosure statement that injury margin is lower than dumping margin, hence anti-dumping duty cannot exceed injury margin. In any case, should the Authority make any changes to injury margin or dumping margin determination henceforth, it should issue a revised disclosure statement and provide opportunity to interested parties to comment.
- v. In accordance with Rule 14(e) of the AD Rules Authority should terminate the investigation if injury is negligible. If injury margin is very low vis-à-vis producer/exporter then investigation should be terminated against such producer/exporter.
- vi. Non-disclosure of evidence relating to production capability of domestic industry and discrepancy in claims of the domestic industry needs to be addressed by Authority. The interested parties had no access to any evidence relating to production and sale of the product types claimed by the domestic industry.
- vii. The Authority as per its consistent practice should not include those products within the scope of PUC which are not manufactured by the domestic industry. Domestic industry has itself mentioned on its website that they don't produce subject goods beyond particular thickness, width etc. Evidence in this regard is already placed on record. Additionally, Domestic industry have themselves admitted that they only have capability to produce the subject goods upto a particular width and thickness.
- viii. The Authority has placed heavy reliance on domestic industry's claim that there is no publicly available information on Indian production. It has been argued by interested parties that in a parallel countervailing duty investigation by the Authority on imports of Copper tubes and pipes from Malaysia, Thailand and Vietnam, Bombay Metal Exchange has provided information on domestic industry production. This is notwithstanding that the domestic industry in the said case was also MSME and non-ferrous metal sector. Authority should call upon Bombay Metal Exchange in the instant investigation to plug the gaps in information on domestic industry.
- ix. The situation of the petitioner is not representative of the overall situation of the domestic industry and petitioner should not be treated as domestic industry under Rule 2 (b) of the AD Rules. The supporters of the present case registered steady growth in production over the years and the trend of production by supporters individually shows a trend completely contrary to the situation of the petitioner.
- x. Non-compliance with disclosure requirements as per Trade Notice No. 13/2018 by the supporter producers has prevented the Authority from assessing whether injury has been suffered by the domestic industry as a whole and has also prevented Authority from taking into consideration

- the reasons why the supporters did not become co-petitioner. The Authority should re-assess the claim of the domestic industry regarding material injury in absence of information from the supporters.
- xi. Essential facts disclose no volume effect due to imports from China PR. Volume of imports from China registered a 30% decline between 2017-18 and POI.
 - xii. There is no price effect due to imports from China PR as price of PUC imported therefrom has increased during injury investigation period. Import prices of PUC from China PR rose from INR 3,54,944/MT in 2016-17 to INR 4,67,354/MT in POI. The overall import price of PUC from subject countries also rose in the same period. The Authority should note that while PUC from other subject countries enjoyed NIL customs duty, Chinese imports faced customs duty and hence landed value of PUC from China PR is higher compared to subject countries.
 - xiii. Subject goods supplied by Chinese suppliers are much superior in terms of temper, grain size and quality consistency, criticality of surface finish for plating etc. as compared to the domestic industry's product.
 - xiv. Tolerance limits in PUC should be defined for the purpose of product exclusion. Domestic producers are having issues in meeting user's specification requirement with regard to dimensional tolerance.
 - xv. Imports of PUC from China PR are not competing with domestic industry because Chinese producers/exporters have moved into middle and high-end subject goods to cater to Indian demand for high value special alloy products. The domestic industry has itself admitted that it does not produce such high value products. Accordingly, Authority should conclude that PUC imports from China PR are not competing with domestic industry.
 - xvi. Requirement for cumulative assessment is that the imported goods inter-se compete with each other. No evidence whatsoever has been given by the Authority to prove the existence of inter-se competition between imports from various countries.
 - xvii. Job work production of domestic industry has increased and decline in production is driven by significant decline of production without job work (in-house production of domestic industry). This points to structural inefficiencies inherent in domestic industry which can lead to decline in its performance and increase in cost of sales.
 - xviii. There is no causal link between injury to domestic industry and imports from China PR. The Authority should inquire into specific reasons for increase in cost of sales of domestic industry during injury investigation period before concluding any price suppression by Chinese imports.
 - xix. The Authority should not conclude price suppression based on experience of a single domestic producer. Information should be collected from supporter producers before making assessment on claims of price suppression.
 - xx. The Authority has itself noted that market share of domestic industry and Indian producers as a whole improved till 2018-19 and market share of imports from subject countries declined during POI. Capacity utilization of domestic industry has also remained stable and fall in production and sales is commensurate with the fall in demand of the product under consideration.
 - xxi. Though the petitioner has claimed losses, the same cannot be linked to any price effects created by imports from subject countries.
 - xxii. Domestic industry is suffering due to contraction in demand. The Authority should confirm in the final findings that decline in performance of the domestic industry is due to decline in demand during the injury investigation period. Fall in production quantity of the domestic industry is much less as compared to the fall in demand during the same period.
 - xxiii. The adverse effects as claimed by the petitioner on both volume and value parameters are directly linked to the fall in demand.
 - xxiv. The Authority should also take into account other factors, such as depreciation of domestic industry, in its non-attribution analysis. Depreciation increased from 100 indexed points in 2016-17 to 112 indexed points in 2018-19.

- xxv. Injury, if any, is attributable to poor strategic decisions made by the domestic industry. Indeed, the applicant took the decision to increase its production from 100 indexed points in 2016-17 to 105 indexed points in 2018-19 while the demand for the subject goods was decreasing.
- xxvi. Authority has not analysed whether there is an injury / causal link to the domestic industry due to imports from Sri Lanka. DGTR has not considered the fact that the imports from Sri Lanka have also declined during the given period.
- xxvii. M/s Simmet (Pvt) Ltd has failed to submit the exporter's questionnaire response according to the instructions provided, because being a relatively small company unable to bear the cost of consultation, the company itself completed the questionnaire response and misunderstood the instructions. Therefore, the Authority is requested to consider the facts submitted by the Sri Lankan industry and re-consider the amended version of the questionnaire response of M/s Simmet (Pvt) Ltd.
- xxviii. The Authority should provide dumping margin working i.e. (i) detailed cost computation by DGTR & (ii) Detailed working of normal value and export price. The workings cannot be considered as confidential as information is of interested parties themselves.

J.3 Examination of Authority

127. The Authority notes that most of the submissions by parties are repetitive in nature and were already addressed earlier in the disclosure statement. The findings above ipso facto deal with these arguments of the parties. Further, the Authority has examined submissions of interested parties herein below to the extent relevant and not addressed elsewhere:
 - i. With regard to the submission that the domestic industry cannot submit updated data, Authority notes that the Application by the domestic industry was filed considering April 2018 to September 2019 (18 Months) as the Period of Investigation. Due to change in period of investigation made by the Authority in the initiation notification, the domestic industry filed updated information. There is no revision of data by the domestic industry but merely submission of information for the updated POI.
 - ii. With regard to the submission that normal value and export price should be determined based on information provided in the questionnaire response, it is noted that the basis for determination of normal value and export price for each country has already been provided in the findings with proper reasons.
 - iii. With regard to the submission that there are some errors in the calculation of normal value for producer/exporter, the Authority notes that it has already provided methodology followed for determination of normal value for each subject country in the findings. The confidential version of calculation for normal value and export price was also provided to all the participating producers/exporters. The Authority has calculated the normal value, export price and dumping margin for all the participating producers/exporters in terms of the relevant provisions under the Customs Tariff Act and AD Rules and also the consistent practice of the Authority.
 - iv. With regard to the submission that the Authority should follow lesser duty rule, the Authority notes that the anti-dumping duty recommended in the duty table in the final findings is based on lesser duty rule only.
 - v. With regard to the claim that the product under consideration beyond dimensions specified in its website be excluded, it is noted that the domestic industry has furnished documentary evidence in the form of sales invoices which establish that the domestic industry has the capability to manufacture PUC beyond the dimensions indicated in their website. The interested parties seeking exclusion of products beyond certain dimensions, on the other hand, have not demonstrated with sufficient evidence that there is demand for product of such dimensions for which exclusions are being sought and that the domestic industry has shown inability to produce such dimensions. It is further noted that exclusion of the products of the wider range will give the opportunity to the interested parties to circumvent the duty.
 - vi. With regard to the claim that injury information of the supporters too should be analysed for assessment of injury, the Authority notes that the information prescribed in Trade notice 13/2018 for supporting domestic producers enables the Authority to ascertain whether supporting

domestic producers have also suffered injury, even if they are not included as a part of the domestic industry. However, in a situation where supporting domestic producers have not provided relevant information in prescribed format, but have nonetheless expressed support to the application, the Authority notes that such supporters cannot be treated as "opposing" the petition filed by the applicant. The domestic industry in the present investigation comprises of single producer, Agrawal Metal Works Pvt. Ltd, and therefore the Authority has relied on the information provided by applicant domestic industry, Agrawal Metal Works Pvt. Ltd, for determination of material injury.

- vii. With regard to the contention that information from Bombay Metal Exchange on domestic production be taken for examining standing of domestic industry, as in an ongoing countervailing duty investigation on imports of Copper tubes and pipes from Malaysia, Thailand and Vietnam, it is noted that each investigation is unique and different involving separate set of facts and circumstances and practice adopted in one investigation cannot necessarily be replicated in the other.
- viii. With regard to the claim that volume of imports from subject countries have declined and that the price of imports from subject countries have increased, the Authority notes that mere decline in volume of imports and increase in import price are not conclusive in regard to absence of material injury. The assessment of material injury should be based on objective analysis of all economic parameters of the domestic industry. The Authority notes that on the basis of objective analysis of relevant economic parameters it has already determined in the findings above that the domestic industry is suffering from material injury.
- ix. With regard to the submission that the Authority has not provided evidence for cumulative assessment of imports from subject countries, it is noted that Annexure II (iii) of AD Rules provides for possibility for cumulative assessment of subject imports when imports of a product from more than one country are being simultaneously subjected to anti-dumping investigation. The Authority notes that interested parties have not provided evidence to establish that the conditions prescribed under Annexure II (iii) of AD Rules have not been fulfilled in the present investigation.
- x. With regard to the claim that the domestic industry is suffering because of inherent structural deficiencies, decline in demand and increase in depreciation, the Authority notes that the Authority is required to assess causal link between dumped imports and injury to the domestic industry. The examination of causal link between imports and material injury to the domestic industry shows that dumped imports have significantly contributed to the decline in performance of the domestic industry.
- xi. With regard to the claim concerning questionnaire response filed by Simmet (Pvt) Ltd., the Authority notes that exporter's questionnaire response submitted by M/s Simmet Pvt Ltd is not as per prescribed format. Further, the company has failed to submit the relevant appendices in excel format. The company also failed to provide the supporting documents requested by the Authority. Therefore, in absence of complete and verifiable information, the Authority is constrained to determine normal value and export price based on the facts available.
- xii. With regard to the submission concerning confidential dumping margin workings, it is noted that the Authority has provided confidential calculation for normal value, export price and dumping margin to interested parties in accordance with the AD Rules and its consistent practice.

K. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST

- 128. The Authority notes that the purpose of anti-dumping duty, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping so as to establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Imposition of anti-dumping measures would not restrict imports from the subject countries in any way, and, therefore, would not affect the availability of the product to the consumers.
- 129. It is recognized that the imposition of anti-dumping duty might affect the price levels of the product manufactured using the subject goods and consequently might have some influence on relative competitiveness of this product. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the anti-dumping measure, particularly if the levy of the anti-dumping duty is restricted to an

amount necessary to redress the injury to the domestic industry. On the contrary, imposition of anti-dumping measure would remove the unfair advantages gained by dumping practices, prevent the decline in the performance of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of the subject goods.

L. IMPACT ON END USERS

130. Three users namely (i) FCI OEN Connectors Ltd (ii) AT & S India Pvt Ltd & (iii) Terminal Technologies (I) Pvt Ltd have responded to the initiation of this investigation. FCI OEN Connectors has filed user questionnaire response but has not made any specific comment regarding likely adverse impact of anti-dumping duty on the user industry. AT&S India Pvt. Ltd. has made specific claim regarding likely adverse impact of anti-dumping duty on user industry but has not filed questionnaire response in the prescribed format and has also not provided quantification of adverse impact. Terminal Technologies (I) Pvt. Ltd. has merely filed a letter registering itself as an interested party and there is no further submission on likely impact of anti-dumping duty on user industry.
131. Thus, it is noted that the participating users have either not stated anything about the likely adverse impact or have not quantified the likely adverse impact on account of imposition of anti-dumping measure. The domestic industry has claimed that the imposition of Anti-dumping duty on this product will increase the cost of the eventual end product by 0.06-0.49% only. No interested party has rebutted this claim of the domestic industry.

M. CONCLUSION

132. Having regard to the contentions raised, submissions made, information provided and facts available before the Authority as recorded above and on the basis of the above analysis of dumping and consequent injury to the domestic industry, the Authority concludes that:
- The product under consideration has been exported at dumped prices from the subject countries.
 - The domestic industry has suffered financial losses and witnessed decline in cash profit and ROCE in the POI besides facing decline in production, sales and capacity utilization. The domestic industry has thus suffered material injury.
 - There is causal link between dumping of the product under consideration and injury to the domestic industry.

N. RECOMMENDATIONS

133. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the domestic industry, exporters, importers and other interested parties to provide information on the aspects of dumping, injury and the causal link. Having initiated and conducted an investigation into dumping, injury and the causal link thereof in terms of the Rules and having established positive dumping margin as well as material injury to the domestic industry caused by such dumped imports, the Authority is of the view that imposition of anti-dumping duty is necessary to offset dumping and injury.
134. In view of above, the Authority, in terms of provisions contained in Rule 17(1) (b) read with Rule 4(d) of the Rules, recommends imposition of anti-dumping duty equal to the lesser of margin of dumping and the margin of injury, so as to remove the injury to the domestic industry. The Authority accordingly recommends imposition of anti-dumping duty equal to the amount indicated in Column 7 of the table below on all imports of goods described in Column 3 of the duty table originating in or exported from China PR, Korea RP, Malaysia, Nepal, Sri Lanka and Thailand for a period of five years, from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government.
135. The landed value of imports for this purpose shall be assessable value as determined by the Customs under Customs Act, 1962 and applicable level of custom duties except duties levied under Section 3, 3A, 8B, 9, 9A of the Customs Tariff Act, 1975.

DUTY TABLE

S. No.	Heading	Description	Country of origin	Country of export	Producer	Amount	Unit	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	7409, 7410	Flat rolled products of copper and copper alloy*	China PR	Any Country including China PR	Ningbo Xingye Shengtai Group Co., Ltd.	42	MT	USD
2.	7409, 7410	Flat rolled products of copper and copper alloy*	China PR	Any Country including China PR	Ningbo Xingye Xintai New Electronic Material Co., Ltd.	42	MT	USD
3.	7409, 7410	Flat rolled products of copper and copper alloy*	China PR	Any Country Including China PR	Any producer other than at serial number 1 & 2	618	MT	USD
4.	7409, 7410	Flat rolled products of copper and copper alloy*	Any Country other than China PR, Korea RP, Malaysia, Nepal, Sri Lanka and Thailand	China PR	Any	618	MT	USD
5.	7409, 7410	Flat rolled products of copper and copper alloy*	Korea RP	Any Country including Korea RP	Poongsan Corporation	NIL	MT	USD
6.	7409, 7410	Flat rolled products of copper and copper alloy*	Korea RP	Any Country including Korea RP	Any producer other than at serial number 5	651	MT	USD
7.	7409, 7410	Flat rolled products of copper and copper alloy*	Any Country other than China PR, Korea RP, Malaysia, Nepal, Sri Lanka and Thailand	Korea RP	Any	651	MT	USD
8.	7409, 7410	Flat rolled products of copper and copper alloy*	Malaysia	Any Country including Malaysia	Luvata Malaysia Sdn Bhd	828	MT	USD

S. No.	Heading	Description	Country of origin	Country of export	Producer	Amount	Unit	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
9.	7409, 7410	Flat rolled products of copper and copper alloy*	Malaysia	Any Country including Malaysia	Any producer other than at serial number 8	1077	MT	USD
10.	7409, 7410	Flat rolled products of copper and copper alloy*	Any Country other than China PR, Korea RP, Malaysia, Nepal, Sri Lanka and Thailand	Malaysia	Any	1077	MT	USD
11.	7409, 7410	Flat rolled products of copper and copper alloy*	Nepal	Any Country including Nepal	Hulas Wire Industries Ltd	429	MT	USD
12.	7409, 7410	Flat rolled products of copper and copper alloy*	Nepal	Any Country including Nepal	Any producer other than at serial number 11	478	MT	USD
13.	7409, 7410	Flat rolled products of copper and copper alloy*	Any Country other than China PR, Korea RP, Malaysia, Nepal, Sri Lanka and Thailand	Nepal	Any	478	MT	USD
14.	7409, 7410	Flat rolled products of copper and copper alloy*	Thailand	Any Country including Thailand	Siam Poongsan Metal Co., Ltd.	144	MT	USD
15.	7409, 7410	Flat rolled products of copper and copper alloy*	Thailand	Any Country including Thailand	Any producer other than at serial number 14	440	MT	USD
16.	7409, 7410	Flat rolled products of copper and copper alloy*	Any Country other than China PR, Korea RP, Malaysia, Nepal, Sri Lanka and Thailand	Thailand	Any	440	MT	USD
17.	7409, 7410	Flat rolled products of copper and copper alloy*	Sri Lanka	Any Country including Sri Lanka	Any	720	MT	USD

S. No.	Heading	Description	Country of origin	Country of export	Producer	Amount	Unit	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
18.	7409, 7410	Flat rolled products of copper and copper alloy*	Any Country other than China PR, Korea RP, Malaysia, Nepal, Sri Lanka and Thailand	Sri Lanka	Any	720	MT	USD

* Flat rolled products of copper including refined copper or copper alloys with Zinc and tin i.e., Copper-Zinc base alloys (Brass) and Copper-Tin base alloys (Phosphor Bronze). However, scope of product under consideration excludes any other copper alloys and Photovoltaic Ribbon wire (Sunwire).

O. FURTHER PROCEDURE

136. An appeal against the order of the Central Government that may arise out of this recommendation shall lie before the Customs, Excise and Service tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act.

ANANT SWARUP, Jt. Secy. & Designated Authority